लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ६, १९६२/१८८४ (शक)

६ से १८ अगस्त, १९६२/१५ से २७ श्रावण, १८८४ (शक)

3rd Lok Sabha

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Buildin
Room No. FB-025
Block 'G'

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

गुरुवार, ९ अगस्त, १९६२

१८ श्रावण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

बाल फिल्म संस्था

†*१४४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री किशन पटनायक
श्री यशपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बाल फिल्म संस्था के कार्य की जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शामनाथ)** : बाल फिल्म संस्था की कार्यपालिका परिषद् को सिफारिश पर तीन सरकारी पदाधिकारी उसके काम के विभिन्न पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने का अनुमान है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस संस्था की कुछ कमजोरियां सरकार को मालम हो चुकी हैं और क्या उन्हें दूर करने के लिये कोई अन्तरिम उपाय किये गये हैं ?

†**श्री शाम नाथ** : जी हां। हमारे पास कुछ शिकायतें आयी हैं और उस संस्था के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं और हम कुछ कार्यवाही करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले उस संस्था की कार्यपालिका परिषद् ने इस संस्था के कामकाज की जांच करने के लिये तीन पदाधिकारी नियुक्त करने के लिए हमसे कहा था।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या फिल्म्स डिवीजन ने भी बच्चों की कोई फिल्में तैयार की हैं और उस संस्था द्वारा तैयार किये गये चलचित्रों के मुकाबले में वे कैसी हैं ? क्या इस सुझाव की छानबीन की गयी है कि फिल्म्स डिवीजन इसे अपने हाथ में ले ले ?

†**श्री शाम नाथ** : यह बताना कठिन है कि इस संस्था द्वारा तैयार की गयी फिल्में फिल्म्स डिवीजन की फिल्मों के मुकाबले में अच्छी हैं या खराब हैं। मुझे उसके लिये नोटिस चाहिये। जहां तक माननीय सदस्य के सुझाव का सम्बन्ध है, उस पर विचार किया जायेगा।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या संस्था की कार्यसमिति के तीन सदस्यों ने अपना त्यागपत्र देते समय वही कारण बताये हैं जो बाल फिल्म संस्था के सचिव ने बताये हैं या उनके कारण अलग अलग हैं ?

†**श्री शामनाथ** : यह ठीक है कि श्री महेन्द्रनाथ ने अपना त्यागपत्र दिया जिसे कार्यसमिति ने १२ जून, १९६२ से उनकी ६ महीने की छट्टी खत्म होने की तारीख से मंजूर कर लिया था। अन्य सदस्यों के त्यागपत्रों के सम्बन्ध में मुझे यह मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में क्या कारण बताये हैं।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस सोसायटी में लाखों रुपए का ग़बन हुआ है और अगर हुआ है, तो उसको वापस लेने के लिए सरकार क्या कारवाई कर रही है ?

श्री शामनाथ : यह तो सही है कि कुछ इस किस्म की शिकायतें गवर्नमेंट के पास आई हैं और इसीलिये यह एन्क्वायरी हो रही है। जब इस एन्क्वायरी का नतीजा सामने आ जायेगा, उस वक्त यह कहना मुमकिन होगा कि सोसायटी में कोई ग़बन हुआ है या नहीं।

श्री किशन पटनायक : क्या इस एन्क्वायरी में ऐसे लोगों का एविडेंस लिया जा रहा है, जो पहले इस सोसायटी में नौकर थे, लेकिन जो इससे तंग आकर छोड़ कर चले गए थे ?

श्री शामनाथ : इस वक्त पोज़ीशन यह है कि जो प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी हो रही है, उसमें तीन आफ़िसर्ज़ काम कर रहे हैं, मसलन एकाउण्ट्स को मि० चारी देख रहे हैं, आफिस के वर्किंग को एक दूसरे आफिसर साहब देख रहे हैं और प्रोडक्शन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन यूनिट का वर्किंग मि० राणाडे देख रहे हैं।

श्री किशन पटनायक : श्रीमन्, मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल तो यह था कि क्या इस एन्क्वायरी के सम्बन्ध में ऐसे लोगो का भी एविडेंस लिया जा रहा है, जो पहले इस सोसाइटी में नौकर थे, लेकिन जो इस सोसाइटी की गन्दगी से तंग आकर इस्तीफ़ा देकर चले गए हैं, जैसे एक एकाउन्टेंट और क्लर्क था।

श्री शाम नाथ : इस वक्त आफ़िसर्ज़ एन्क्वायरी कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर जरूरी समझा जायेगा कि जो लोग इस सोसायटी में पहले काम करते थे, उनको बुला कर दर्याफ्त किया जाये, तो वैसे भी किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

काहिरा में आर्थिक सम्मेलन

+

†*१४५. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री सु० भू० दास :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभति मिश्र :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री नाथ पाई :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री हेम बरुआ :
श्री राम रत्न गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत काहिरा में हुए आर्थिक सम्मेलन के संयोजकों में से एक था ;

(ख) सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया ; और

(ग) उनकी मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) छत्तीस ।

(ग) सम्मेलन ने सर्वसम्मति से "विकासशील देशों की काहिरा घोषणा" स्वीकृत की जो सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल. टी.—३००/६२]**

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या सरकार हमें बतायेगी कि किन किन मुख्य उद्देश्यों से यह सम्मेलन बुलाया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस सम्मेलन का मुख्य प्रयोजन विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं की छानबीन करना है क्योंकि वे सारी दुनिया की दो तिहाई या लगभग तीन चौथाई जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं । अभी हाल के दशक में जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास दशक कहा जाता है, दुनिया के बाजार में विकासशील देशों का हिस्सा ३२ प्रतिशत से २५ प्रतिशत तक गिर गया । इसलिये सभी विकासशील देश औद्योगिक देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वाणिज्यिक नीतियों के कारण

†मूल अंग्रेजी में

सशंकित हैं और विकासशील देशों को उन प्राथमिक उत्पादों के मूल्य और परिमाण का, जो विकसित देशों को निर्यात किये जाते हैं, घाटा हो रहा है। इसीलिये हमने अविकसित देशों की सभी आर्थिक समस्याओं पर विचार करके संकल्प किया और यह घोषणा जारी की। मैं सभा का ध्यान खासकर पैरा ३६ की ओर जो एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पैरा है, दिलाऊंगा वह इस प्रकार है :—

> "साथ ही यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय क्षतिपूरक वित्त पद्धति स्थापित करना अत्यावश्यक समझता है और विकासशील देशों के भुगतानों के अधिक प्रभावी सन्तुलन के लिये कार्यवाही की छानबीन करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रानिधि को आमन्त्रित करता है।"

जैसा कि सभा को मालूम है, प्राथमिक उत्पादों के दाम घटते चले जा रहे हैं और औद्योगिक देश कम मूल्यों पर उन चीजों को खरीद रहे हैं। इसीलिये अन्तर्राष्ट्रीय क्षतिपूरक, मुद्रा पद्धति का सुझाव दिया गया है। इसके अन्तर्गत कुछ निधि रखी जायेगी जिसमें से विकासशील देशों की निर्यात-आय कम होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति दी जायेगी।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या यूरोपीय साझा बाजार समुदाय के नमूने के तौर पर इन अर्ध विकसित देशों में परस्पर सम्बन्ध बनाये रखने के लिये एक नियमित प्रणाली स्थापित करने की कोई व्यवस्था की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में हम इसे ही टालना चाहते थे, और विकासशील देश एक अलग खण्ड या समुदाय बनाने या एक छोटे से संयुक्त राष्ट्र संघ के तौर पर काम करने के लिये भयभीत नहीं हुए इसका सारा श्रेय इस सम्मेलन को है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे के अन्तर्गत और विकासशील देशों तथा औद्योगिक देशों के परस्पर सहयोग से काम करना चाहते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देशों के सामने एक से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई प्रणाली सोची गयी है या निकाली गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस घोषणा के अध्याय ५ की ओर दिलाता हूं जिसमें यह बताया गया है कि यदि आवश्यक हुआ तो हम सहकारी कार्यवाही करने के लिए अक्सर परस्पर मिलना चाहते है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह विवरण में है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान सिर्फ इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इस सम्मेलन की और अधिक बैठकें होंगी और एक दूसरे की समस्याओं तथा उन्हें सुलझाने के उपायों और उन्हें कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में समय समय पर चर्चा की जायगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जब विवरण में यह बता चुके है तब उसे फिर क्यों दोहरा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई** : वास्तव में उन्होंने यह बता कर बहुत ठीक किया है क्योंकि मैंने पूछा था कि क्या उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोई स्थायी प्रणाली है। यह ऐसी स्थिति है जिसकी पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो जानकारी वे देना चाहते हैं वह विवरण में दी हुई हैं। मैं केवल यह बताना चाहता था कि उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : वह विवरण में नहीं दी हुई है।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं उनके प्रश्न और विवरण में दी हुई बात का अन्तर समझाने की कोशिश कर रहा था।

†**श्री स० चं० सामन्त** : ऐसे कौन कौन से देश हैं जिन्हें बुलाया गया था लेकिन वे नहीं आ सके और सम्मेलन में भाग न लेने के क्या कारण उन्होंने बताये है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्राय: सभी विकासशील देशों ने सम्मेलन में भाग लिया था। वास्तव में उन में से कुछ देश समय की कमी के कारण या सरकार से शीघ्र आदेश न मिलने के कारण आ न सके लेकिन उन्होंने दूसरे अवसर पर सम्मेलन में भाग लेने की अपनी इच्छा जाहिर की थी।

†**श्री हेम बरुआ** : उन्नत देशों के समूहों की धमकी का प्रतिकार करने के लिए क्या इस सम्मेलन में किसी प्रकार का एक आर्थिक तीसरी शक्ति ढूंढ निकाली गयी थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं। जैसा कि मैंने बताया, हम ने ठीक इसी से बचने की कोशिश की थी। लेकिन आर्थिक समुदायों के सम्बन्ध में हम ने जो संकल्प किया है वह गंभीरता से अध्ययन करने योग्य है क्योंकि वे इस नये साझा बाजार की बुराइयों को दूर करने के उपाय हैं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देश ऐसा कोई समान आधार ढूंढने में समर्थ हुए हैं जिस से वे एक दूसरे को वही वस्तुएं जिनकी दुनिया के बाजार में कीमतें गिरती जा रही है, उपभोक्ता और सप्लाई करने वालों की तौर पर सप्लाई कर सकें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह केवल एक भाग है क्योंकि हम केवल दुनिया के औद्योगिक देशों पर ही विकास की जिम्मेदारी नहीं छोड़ना चाहते। मुख्य जिम्मेदारी तो विकासशील देशों पर ही, व्यक्तिगत रूप में और सामुहिक रूप में, होनी चाहिये। इसलिए इन वस्तुओं के लिए और मल्य के ढांचे के लिए भी विकासशील देशों में, आपस में ही भेदभावमूलक व्यापारिक प्रथाएं नहीं होनी चाहियें।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस सम्मेलन के सह आयोजक के तौर पर भारत ने यूरोपीय साझा बाजार का ध्यान इस सिफारिश की ओर दिलाया है जिस में यह कहा गया है कि उनकी कार्यवाही का सभी अर्ध-विकसित देशों के सामान्य आर्थिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां। ज्यों ही सम्मेलन समाप्त हुआ, अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह उस घोषणा को न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के पास बल्कि सभी प्रादेशिक बाजार समुदायों और साझा बाजार के पास भेज दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय औषधि पुनर्नियंत्रण संस्था

†*१४६. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा बनाई गई औषधियों की किस्म की पुनः जांच करने के लिये एक केन्द्रीय औषधि पुनर्नियंत्रण संस्था की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : अभी इस मामले पर विचार हो रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह विचार कब आरम्भ किया गया था ? इस विषय पर कब से विचार हो रहा है ?

†**श्री कानूगो** : लगभग कई महीनों से । सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच विचार हो रहा है । अब हमें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् से परामर्श करना है । चूंकि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स की औषधि परियोजनाओं के अलावा और किन्हीं परियोजनाओं में फिलहाल उत्पादन नहीं आरम्भ हुआ है, इसलिए उस बार में कोई जल्दी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह सारा विचार किस स्तर पर—मंत्रियों के स्तर पर हो रहा है या उसके लिए कोई समिति नियुक्त की गयी है ?

†**श्री कानूनगो** : परामर्श वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक मंत्रालय के बीच हो रहा है ।

गोआ म पुर्तगाली कानूनों का निरसन

†*१४७. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **प्रधान मंत्री** ११ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोआ, दमन और दीव में पुर्तगाली कानूनों के निरसन तथा रूपभेद के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है;

(ख) क्या भारत के अन्य भागों में प्रचलित मुख्य कानून भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों में अब तक लागू नहीं किये गये और यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में सार्वजनिक सभाओं के आयोजन तथा जुलूस आदि निकालने पर लगाये गये आपातकालीन प्रतिबन्ध अब भी लागू हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). शेष भारत में लागू मुख्य मुख्य अधिनियम गोआ दमन और दीव में लाग करने का विनियमन जारी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रहीं है।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : सरकार इस सवाल पर कब तक विचार करने वाली है और क्या सरकार जानती है कि गोआ की सारी जनता इस प्रश्न पर बहुत अधिक उत्तजित है कि पुर्तगाली कानून और विनियम यथाशीघ्र समाप्त कर दिये जाय ?

†**श्री दिनेश सिंह** : सरकार इस पर विचार कर ही है और हम आशा करते है कि वह बहुत शीघ्र ही हो जायेगा । कठिनाई यह है कि बहुत बड़ी संख्या में उन कानूनों को जिन से यहां का हमारा दैनिक जीवन विनियमित होता है वहां लागू करने का प्रश्न है । फिर हमें यह भी देखना है कि जो पुर्तगाली कानुन पहले वहां लाग है उनका उन पर क्या असर पड़गा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि एक प्रभावशाली समदाय जो पहले आँल प्राविशियल गोआ के अधीन था जो हेराल्डो ग्रुप के नाम से भी प्रसिद्ध था इस बात की कोशिश कर रहा है कि सभी पुर्तगाली विनियम वहां बने रहें ।

†**श्री दिनश सिंह** : हमें उन प्रयत्नों के अधीन नहीं होना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वहां कौन कौन से कानून फिलहाल लागू है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** मैं समझता हूं कि वह मिले जुले हैं । वहां अधिकतर पुर्तगाली कानून लागू हैं लेकिन इस शर्त के अधीन कि वे हमारे संविधान के विरुद्ध न हों । चूंकि कानूनों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए इस मामले की छानबीन की जा रही है ताकि कुछ विशिष्ट कानून वहां लागू किये जा सकें ।

प्रतिरक्षा सेवाओं में गोआनी युवकों की भर्ती

†*१४८. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआनी नेताओं ने सरकार को प्रतिरक्षा सेवाओं में गोआनी युवकों की भर्ती करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख) . जी नहीं । गोआ के नेताओं या संगठनों से भारत सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव या अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं। फिर भी सरकार प्रतिरक्षा सेवाओं के लिए गोआ के युवकों को भरती कर रही है ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : गोआ की जो पोजिशन इस वक्त है चूंकि वहां पर बहुत स पुर्तगाल के स्पाइज है इस वास्ते जो आप वहां रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो आपने सामने क्या यह कंसिडरेशन है कि उस तरह के आदमी न लिये जाये जो आगे चल कर हमारे हितों को नुक्सान पहुंचायें ? साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो सिपाही आप वहां लेंगे उनको उसी कंट्री में आप सिखायेंगे या हिन्दुस्तान में सिखायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि उस किस्म का विचार हमारा बिल्कुल नहीं है जिस किस्म का आपका ईसाइयों के बारे में है। इसाई मजहब हिन्दुस्तान का एक बहुत प्रसिद्ध मजहब है और बहुत फला हुआ है . . . . .

श्री बिशनचन्द्र सेठ : स्पाइज़ मैंने कहा है।

श्री जावाहरलाल नेहरू : मैं समझा आपने ईसाई कहा है।

जो लोग वहां लिये जायेंगे जाहिर है कि जहां भी सिपाही सर्व करते हैं वहां भेजे जायेंगे फिर चाहे वे जिस ढंग से भी लिये जायें। यह थोड़े ही है कि वहां के लिए उनको लिया जाये सिवाय इसके कि कोई होम गार्डज़ वगैरह के लिए लिये जायें जोकि व सर्वहीं करेंगे।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि करीब २००० गोआनियों को जो पुर्तगाली सेना में थे, नौकरी से अलग कर दिया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन गोआनी सिपाहियों को अपनी प्रतिरक्षा सेवाओं में रख लेने की उपयुक्तता पर विचार किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं समझता हूं कि जो पुलिस फौज वहां बनायी जा रही है उसमें उन्हें लिया जा रहा है। उन्हें प्रतिरक्षा सेवाओं में लेना बहुत आसान नहीं है क्योंकि उनकी योग्यताएं, प्रशिक्षण आदि बहुत अलग-अलग हैं।

भारत में अल्पसंख्यक जातियां

+

†*१४९. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पाकिस्तान के विदेश मन्त्री श्री मुहम्मद अली के भाषणों पर विचार किया है जिनमें उन्होंने भारत पर अल्पसंख्यक जातियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के अधिकारियों को कोई विरोधपत्र भेजा गया है ; और

(ग) विरोधपत्र के बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). पाकिस्तान स्थित हमारे उच्चायुक्त क्रमशः जुलाई २९ और जुलाई ८ को श्री मुहम्मद अली बोगरा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले और उन्होंने इस कथन का कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, घोर खण्डन किया।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या सरकार यह समझती है कि केवल यह विरोधपत्र भेजने से काम पूरा हो जायेगा ? प्रेस वक्तव्य द्वारा इसका विरोध कर सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह राय का विषय होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : जब कभी अल्पसंख्यक जातियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें आती हैं तब क्या समय-समय पर भारत की अल्पसंख्यक जातियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बुलाया जाता है ? मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक जातियों को स्थिति स्पष्ट करने के लिये बुलाया जाना चाहिये जिससे भारत में उनके दुर्व्यवहार का खण्डन हो ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह एक सुझाव है ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में, खास कर मध्यपूर्व में, पाकिस्तानी प्रचार के प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी हां ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : वह कौनसी कार्यवाही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री जाधव ।

श्री तुलशी दास जाधव : मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौनसा इंस्टेंस हुआ है जिसमें माइनोरिटी कम्युनिटी को तकलीफ हुई है और जिसको लेकर पाकिस्तान के फारेन मिनिस्टर को इस तरह का स्टेटमेंट देना पड़ा है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ऐसे वाकात हिन्दुस्तान में हुए हैं और उनको छिपाने से कोई फायदा नहीं है । लेकिन उससे वह नतीजा निकालना कि माइनोरिटी कम्युनिटी के साथ ज्यादती हो रही है हिन्दुस्तान भर में, वह बिल्कुल गलत है । छोटी मोटी बातें इधर उधर हुई हैं ।

विद्युत्चालित करघों का बन्द होना

†*१५०. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्पादन-शुल्क की वृद्धि के फलस्वरूप कई शक्तिचालित करघे बन्द हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकक पहले ही बन्द हो गये हैं ; और

(ग) छोटे एकक बन्द न हो जायें इसके लिये सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

पिछले मई में बजट प्रस्तावों की घोषणा करते समय, जिससे बिजली से चलने वाले करघों पर तैयार किये गये कपड़े पर उत्पादन-शुल्क का ढांचा बदल दिया गया था, अनेक एकक बन्द किये जाने की नोटिसें प्राप्त हुई थीं। वास्तव में कितने एकक बन्द हो गये इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

बजट पास होने से पहले वित्त मन्त्री ने प्रस्तावों में जिन परिवर्तनों की घोषणा की थी उनसे कुछ राहत मिली है। ५० से ३०० करघों वाले एककों को फरवरी १९६३ तक स्टैण्डर्ड दरों की आधी दरों पर और फरवरी, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष म स्टैण्डर्ड दरों की ३/४ दरों पर शुल्क भुगतान करने की अनुमति दी गयी है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : माननीय मन्त्री कहते हैं कि अनेक एककों के बन्द किये जाने की नोटिसें प्राप्त हुई थीं। क्या वे नोटिसें वापिस ले ली गयी हैं और नयी नोटिसें आयी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं। वे सभी वापिस ले ली गयी हैं, वे मुख्यतः उत्पादन-शुल्क के प्रति विरोध प्रदर्शित करने के लिए थीं। ज्यों ही उत्पादत-शुल्क के मामल में फैसला हो गया, वे नोटिस वापिस ले ली गयीं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या कोई विद्युत् चालित करघा बन्द नहीं किया गया था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक हमारी जानकारी का सम्बन्ध है मैंने ठीक वही अपने उत्तर में बताया है कि कोई करघा बन्द नहीं किया गमा था। उन्होंने बन्द करने की धमकी दी थी।

†**श्री सुबोध हंसदा** : विवरण से मालूम होता है कि ३०० करघों वाले एककों को फरवरी १९६४ तक स्टैण्डर्ड दर के तीन चौथाई की छूट दी गयी है। क्वा वह छूट आगे जारी रखी जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं। हमने उचित विचार के बाद उन्हें उचित नोटिस दी है कि यह रियायत १९६४ तक ही दी जायेगी जिसके बाद उन्हें अपने पर ही भरोसा करना होगा।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या इस रियायत की घोषणा के बाद किन्हीं विद्युत् चालित करघों ने अपनी कठिनाइयों की सूचना दी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : उनकी कठिनाइयां जारी हैं लेकिन जहां तक उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, सामान्य राय और उनके कामकाज से यह मालूम होता है कि उन्होंने अपने आपको ठीक कर लिया है।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार को यह मालूम हुआ है कि कुछ विद्युत् चालित करघों के मालिकों ने उत्पादन-शुल्क बचाने के लिये अपने एककों को विभाजित किया है ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यही तो छोटे पैमाने के उद्योगों को एक प्रकार का संरक्षण है। लेकिन जब किसी एकक पर जिसे आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद समझा जाता है, विशिष्ट शुल्क लगाया जाता है तब जो सीमान्त एकक होते हैं वे कई एककों में विभाजित हो जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात योग्य वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण

†*१५१. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात योग्य वस्तुओं की किस्म के अनिवार्य नियन्त्रण के प्रश्न की इस बीच जांच कर ली गई है और निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) क्या चालू अधिवेशन में इस बारे में किसी विधान पर विचार किये जाने की सम्भावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी हां ।

(ख) सरकार का विचार एक ऐसा विधान बनाने का है जिससे निर्यात किये जाने वाले माल की किस्म के नियन्त्रण और जहाज पर लादने के समय निरीक्षण की व्यवस्था की जाये । निर्यात के लिये अनिवार्य कोटि नियन्त्रण के लिये वस्तुओं का निर्वाचन क्रमिक कार्यक्रम के दौरान निश्चित किया जायेगा ।

निर्यात नियन्त्रण परामर्श परिषद् की स्थापना कर दी गयी है ताकि वे सरकार को परामर्श दे और निर्यात करने वाले माल सम्बन्धी कोटि नियन्त्रण कार्यक्रम चलाने के लिये व्यवस्था करे ।

(ग) जी नहीं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या संस्था बनाने से पहिले सम्बद्ध लोगों की राय ली जायेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हां, यही तो हम चाहते हैं और यह निर्णय करने से पूर्व हमने लगभग सभी सम्बद्ध व्यापारों की संस्थाओं का परामर्श लिया है और वस्तुओं की सूची को अन्तिम रूप देते हो हम इस परामर्श का प्राप्त करना चालू रखगे ।

†**श्री श्री नारायण दास :** इस उद्देश्य के लिये किस प्रकार की संस्था होगी, क्या मन्त्री महोदय उसकी कुछ रूप-रेखा बता सकेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इसके तीन स्तर होंगे । सबसे ऊपर एक राष्ट्रीय परिषद् होगी जो चालन कार्यक्रम का निर्माण करेगी । फिर हम विशेष अधिकरणों को इस बात के लिये प्रोत्साहन देंगे ताकि वे कोटि नियन्त्रण परीक्षण कर सकें । तीसरा स्तर होगा जहां कि कोई औद्योगिक अथवा व्यापारिक जटिलता होगी । बड़े-बड़े उद्योग मण्डल, उद्योग संघ होंगे । ऊपर की संस्था ऐसे परीक्षण ग्रहों तथा नियन्त्रण प्रयोगशालाओं को स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मुदालियर समिति ने सिफारिश की थी कि जो निर्यातक घटिया किस्म का अथवा कम तोल का माल भेजेगा उसका नाम काली सूची में लिखा जायेगा । सरकार ने इस अधिकार का गत तीन वर्षों में किस सीमा तक प्रयोग किया ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कई मामलों में हमने नाम काली सूची में लिखे हैं । यह अधिकार तो प्रशुल्क अधिनियम में दिये गये थे और यह अधिकार तो मुदालियर समिति से पहले भी सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में

को प्राप्त था। हम लोगों को काली सूची में डालते रहे हैं, परन्तु प्रश्न इसको छोड़ने का नहीं है, बात यह है कि इस मामले में मुदालियर समिति ने निर्यात व्यापार के साथ न्याय नहीं किया। ठोस कार्य तो यह था कि कोटि नियंत्रण को लागू किया जाय और सजायें भी दी जायें, सजायें दी जा रही हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि निर्यात प्रोत्साहन परिषद् में अधिकतर मिल मालिक और निर्यातक ही हैं। बुरी कोटि की बात को वे सुनते ही नहीं ? अब जो निर्यात कोटि नियन्त्रण समिति अथवा परिषद् बनाई जा रही है, क्या इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि उसमें अधिकतर मिल मालिक न हों।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह दो अलग-अलग प्रश्न हैं। निर्यात प्रोत्साहन परिषद् के सम्बन्ध में हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि उसमें एक तिहाई लोग अनिवार्य रूप से निर्यात करने वाले व्यापारी होंगे, एक तिहाई निर्यात करने वाले निर्माता और शेष सरकारी अथवा सम्बद्ध हितों के प्रतिनिधि होंगे। व्यापारियों की शिकायतें तो समाप्त हो गयीं। यह तो एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ परिषद् होगी जहां तक एक हित का अथवा दूसरे के प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं होगा। यह तो प्रोत्साहन देने वाला विधान है। मैं फिर कहता हूं कि माल को भारत से बाहर भेजने से पहिले बहुत अच्छी प्रकार देख भाल लेना चाहिए।

अमेरीका के साथ वस्तु विनिमय करार

†*१५२. { **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बदले टेरीलीन के कपड़े के आयात के लिये अमेरिका के साथ कोई वस्तु-विनिमय करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार के सौदे से देश में कपड़े की स्थिति किस हद तक प्रभावित होगी ; और

(घ) इस करार के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी बचत होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां, आयात की मदें पोलस्टर और टाप्स (कपड़े नहीं) जो कच्चे ऊन के स्थान पर रखा गया है।

(ख) ७,५०,००० पौंड की विभिन्न प्रकार की मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बदले लगभग ७०० टन पोलेस्टर और टोप्स का आयात किया जायेगा।

(ग) और (घ). पोलेस्टर कच्ची ऊन का स्थान ले लेगा, इससे हमें ९७ लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो जायेगी। वस्तु विनिमय की चीज को बेचना कठिन था और इससे हमें इन अयस्कों की अधिक कीमत मिली।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : कपड़े के बदले में टैरीलीन लेने से आम आदमी को क्या लाभ हो सकता है, क्योंकि उसकी कीमत कपड़े से अधिक है, मैं यह जानना चाहता हूं कि वस्तु विनिमय में टैरीलीन के स्थान पर कोई अन्य महत्वपूर्ण वस्तु क्यों नहीं रखी गयी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : यह तो ऊन के बदले में है जो कि टैरीलीन से अधिक कीमती है। जो लोग ऊनी कपड़े नहीं खरीद सकते उन्हें यह खरीदना आसान रहेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मेरे विचार में हम रूई अथवा किसी अन्य वस्तु का आयात कर सकते थे। मेरा प्रश्न है कि वस्तु विनिमय में टैरीलीन ही क्यों रखी गयी, हम कोई अन्य महत्वपूर्ण वस्तु ले सकते थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य को यह समझना चाहिए कि ९ करोड़ रुपये की ऊन आ रही है ताकि ऊनी कपड़े की कम से कम नियन्त्रित मांग को पूरा किया जा सके। यह गत ५० या १०० वर्ष से आयात की जा रही है। यह वस्तु विनिमय तो केवल विदेशी विनिमय की बचत की दृष्टि से किया गया है।

†**श्री हेडा** : एक ओर माननीय मंत्री यह कहते हैं कि टैरीलीन के आयात से विदेशी विनिमय की बचत होगी और ऊन के आयात में कमी, दूसरी ओर यह कहते हैं कि टैरीलीन की खपत देश में बढ़ रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब टैरीलीन की खपत बढ़ रही है तो इससे ऊन का आयात कम कैसे किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे विचार में कुछ भ्रांति चल रही है। मैंने यह नहीं कहा। हम टैरीलीन का निर्माण देशीय तत्वों से यहां ही कर रहे हैं ताकि इस पर खर्च होने वाले विदेशी विनिमय की बचत की जाये। यह इस दिशा में पहला कदम है। हमने विभिन्न 'पेट्रोलियम फ्रेक्शन्स' पर आधारित ५० लाख पौंड टैरीलीन देश में ही निर्माण करने के संयंत्र के लिये लाइसेंस दिया है।

निर्यात योग्य वस्तुओं की लागत के पहलू

†*१५३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार बोर्ड ने हाल में मुख्य निर्यात उद्योगों और निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं की लागत के पहलुओं का अध्ययन करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी हां, वाणिज्य बोर्ड ने एक स्थायी समिति नियुक्त करने का फैसला किया है जो लागत व्यवस्था के प्रश्न की छान बीन करेगी।

(ख) समिति के निर्माण करने के लिये कार्यवाही हो रही है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : यह व्यापार बोर्ड किन चीजों और उद्योगों का अध्ययन करेगा। क्या हर चीज के लिए एक अध्ययन दल बनाया जायेगा अथवा सभी निर्यात होने वाली चीजों के लिए एक ही समिति होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह विशेषज्ञों की समिति होगी और इसका सम्बन्ध लागत के हिसाब से होगा। विशेषकर उन चीजों का जिनका निर्यात व्यापार में काफी महत्व है और दुनिया की मंडी में उसका मूल्य निर्धारित किया गया है। वे सम्बद्ध हितों के परामर्श से उचित विश्लेषण करके इस सम्बन्ध में उपचार साधनों का सुझाव देंगे जो कि व्यवस्था करते समय, श्रम समस्या को हल करते

---

†मूल अंग्रेजी में

समय, कराधान के समय तथा विभिन्न प्रकार की लाइसेंसिंग की सरकारी नीति से दो चार होते समय प्रयोग में लाये जायेंगे ताकि देश भर में उत्पादन व्यय कम हो।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : अध्ययन के मुख्य विषय क्या होंगे। चाय उत्पादन संघ ने चाय की उत्पादन लागत का अध्ययन करने की कई बार मांग की है, क्या चाय उद्योग की लागत व्यवस्था का अध्ययन किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पहले पहल हम तिलहन को लेंगे जिनकी कीमत में ४५ प्रतिशत अन्तर है। हम चीनी की लागत व्यवस्था का भी अध्ययन करना चाहते हैं। यह तो वृद्धि की दिशा में है। उद्योगों के क्षेत्र में हम मशीनी औज़ारों और छोटे-छोटे इंजीनियरिंग उत्पादों को लेना चाहते हैं जिनके मूल्य में ३० प्रतिशत अन्तर है। इसी तरह हम सूती कपड़ा भी लेना चाहते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : पटसन उद्योग निर्यात की दृष्टि से बड़े महत्व का है। क्या इस की लागत व्यवस्था का अध्ययन होगा और यह देखने का प्रयत्न भी किया जायेगा कि उसकी क्य प्रगति हो रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इसे भी हम लेंगे, परन्तु पहले हम उन चीज़ों को लेंगे जिनके अन्तर्राष्ट्रीय तथा देशीय मूल्य में बहुत अन्तर है और माननीय सदस्य इस बात को स्वयं ही स्वीकार करेंगे कि जूट के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मेरा मतलब यह था कि श्रीवास्तव समिति का क्या बना ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह लागत व्यवस्था सम्बन्धी समिति नहीं थी। वह तो सारे पटसन उद्योग के लिए थी। पटसन कृषि उत्पाद है। वह समिति लगभग अपना काम कर चुकी है और एक आध मास में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाली है।

चीन म भारतीय राजदूत

\+

†*१५५. **श्री हू प्र० के० देव** : **श्री हरि विष्णु कामत** : **श्री न रेन्द्र सिंह महीड़ा** : **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : **श्री दी० चं० शर्मा** :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन की सरकार ने पेकिंग और तिब्बत में भी भारतीय राजदूतों के आने-जाने और अन्य गतिविधियों पर जो प्रतिबन्ध लगाये थे क्या वे और कड़े कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो चीन की सरकार ने क्या नये कदम उठाये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) भारतीय कूटनीतिज्ञों पर पीकिंग और तिब्बत में लगी पाबन्दियां अभी जारी हैं। उन्हें और अधिक कड़ी नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री प्र० के० देव** : कल इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर राज्य सभा में .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य राज्य सभा का उल्लेख न करें ।

†**श्री प्र० के० देव** : हमें पता चला है कि चीन में विभिन्न दूतावासों के कूटनीतिज्ञों पर सामान्य पाबन्दियां लगी हुई हैं । क्या भारतीय दूतावास पर सामान्य पाबन्दियां ही हैं अथवा और अधिक कार्यवाही की गई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : माननीय सदस्य का मतलब यहां के चीनी दूतावास से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य का मतलब पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास से है ।

†**श्री प्र० के० देव** : जी मेरा मतलब पीकिंग स्थित भारतीय दूतावास से ही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो इसका उत्तर दे दिया गया है कि पाबन्दियों को और अधिक कड़ा नहीं किया गया है ।

†**श्री प्र० के० देव** : मेरा मतलब यह है कि जो पाबन्दियां हम पर लगाई गई हैं वे सब दूतावासों पर लगी पाबन्दियां ही हैं अथवा उससे कुछ अधिक हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : लगभग पाबन्दियां एक जैसी ही हैं, यह हो सकता है कि कई बार अमली तौर पर किसी का थोड़ा अलग मतलब निकाल लिया जाये ।

†**श्री प्र० के० देव** : जो रोक भारत सरकार के दूतावास पर पीकिंग में है क्या उसी प्रकार की रोक दिल्ली में भी लगाने का सरकार का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में इसका उत्तर दे दिया गया है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं । मेरा उत्तर है नहीं । यदि हमने एक दूतावास पर रोक लगाई तो सब पर लगानी पड़ेगी ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या यह सत्य है कि ल्हासा में हमारे भारतीय एजेन्ट को वायरलैस प्रयोग करने से रोक दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दे दिया गया है ।

†**श्री नाथ पाई** : जिसे प्रधान मन्त्री ने सामान्य पाबन्दियाँ कहा है, क्या सच है कि इसके अतिरिक्त हमारे राजदूत और दूतावास के कर्मचारियों के साथ अनादर और अप्रतिष्ठा का व्यवहार किया जाता है, जिसे कुटनीतिज्ञ अर्थों में सामान्य नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, मैं यह नहीं कहता, कुछ मौकों पर भारतीय दूतावास के कुछ सदस्यों से अनादर का व्यवहार किया गया परन्तु यह बात हर समय की नहीं ।

†**श्री वी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि वहाँ साम्यवादी देशों के दूतावासों को अधिक सुविधायें दी जाती हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पता नहीं क्या अधिक सुविधायें हैं शायद उनको निमन्त्रणपत्र अधिक मिलते होंगे, परन्तु सामान्य नियम एक से ही हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : क्या प्रधान मन्त्री सदन को विश्वास में लेकर बतायेंगे कि हमारे दूतावास और कुटनीतिज्ञों के विरुद्ध क्या-क्या पाबन्दियाँ लगाई गयी हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह लम्बी बात होगी ।

†**श्री त्यागी** : आखिर सदन को पता तो लगना चाहिए कि यह पाबन्दियाँ क्या हैं । यह वही पाबन्दियाँ हम पर अथवा दूसरों पर लागू कर देने का प्रश्न नहीं । हम जानते ही . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि यह बातलम्बी हो तो प्रश्न काल में इसका उत्तर देना आवश्यक नहीं ।

†**श्री त्यागी** : परन्तु मैं चाहता हूं कि आप अपना निर्णय दें कि यह संगत है अथवा नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने कहा था कि यदि बात लम्बी है तो उसे अब न किया जाय ।

†**श्री त्यागी** : मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं । मैं यह जानना चाहता था कि पाबन्दियाँ किस प्रकार की हैं ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुख्य पाबन्दी यह है कि वे खास स्थान से परे नहीं जा सकते । वे २० किलोमीटर के बाहर बिना अनुमति प्राप्त किये नहीं जा सकते । बाकी तो छोटी-छोटी पाबन्दियाँ हैं, मुख्य यही है ।

†**श्री सोनावने** : कूटनीतिक नोट लिखने के अतिरिक्त इन असाधारण पाबन्दियों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु वे तो भारतीयों पर नहीं सब पर लागू है । यदि यही उनकी नीति है तो हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसके बारे में कोई नोट नहीं लिखे जाते । यह मामला तो पीकिंग में रहने वाले सभी कूटनीतिज्ञों के लिये मिल कर विचार करने का है । क्योंकि पाबन्दियाँ एक देश पर नहीं सब देशों पर है ।

औषधि संयंत्रों की स्थापना

†

*१५६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशन चन्द्र सेठ : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री ७ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत रूस की सहायता से जो चार औषधि संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं, उनके बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

हैदराबाद के निकट सनतनगर में संश्लिष्ट औषधि प्रायोजना के लिये सोवियत रूस के मेसर्स टेक्नोएक्सपोर्ट के साथ एक संविदा किया जा चुका है। इस संविदा में संयंत्र और मशीनों का सम्भरण करने की व्यवस्था है जिसमें भारत में सोवियत विशेषज्ञों की नियुक्ति, सोवियत रूस में भारतीय विशेषज्ञों को ट्रेनिंग संयंत्र की सीमा के अन्दर होने वाले कार्य की विस्तृत रूप-रेखा तैयार करने तथा कारखाने को खड़ा करने के खाके तैयार करना आदि शामिल है। फाइटो- केमिकल प्रायोजना के लिये उत्पादन कार्यक्रम तथा उसकी लागत निर्धारण सम्बन्धी प्रश्नों पर अभी विचार किया जा रहा है। इनके बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद ही इस प्रायोजना के लिये संयंत्र और मशीनों आदि के बारे में अन्तिम रूप से संविदा किया जा सकेगा

जिन तीन प्रायोजनाओं के बारे में संविदा किये जा चुके हैं, प्रत्येक प्रस्तावित बस्ती में रहने के लगभग २५० मकान बनाने के लिये टेंडर भी माँगे जा चुके हैं जिससे प्रायोजना के कर्मचारियों के लिये आवश्यक रहने की कुछ व्यवस्था की जा सके। रहने के लगभग १०० क्वार्टरों का निर्माण भी शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा सोवियत टेक्नीशियनों के लिये एक फील्ड होस्टल तथा आगुन्तकों के लिये एक सर्किट हाउस का बनना भी शुरू हो चुका है। कुछ सड़कें भी बनाई जा रही हैं। आवश्यक संख्या में कर्मचारी तथा अधिकारी जिनमें टेक्निकल कर्मचारी भी शामिल हैं, प्रायोजना स्थल पर पहुंच गये हैं और आशा है कि वर्षा ऋतु के समाप्त होते ही निर्माण कार्य पूरी तेजी से शुरू किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, इसका मतलब साफ है, बार बार इसको अंग्रेजी में बताने की जरूरत नहीं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण को देखने से मालूम होता है कि पिछले तीन महीनों में इन कारखानों में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है, यानी लगभग वही बातें अब बतायी गयी हैं जो कि मई में बतलायी गयी थीं। मैं जानना चाहता हू कि इन कारखानों की स्थापना में और तेजी लाने के लिये क्या कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : इन तीन कारखानों में करीब ५० करोड़ रुपये का काम होगा। मशीनें बन रही हैं, मशीनें आ रही हैं और यहाँ पर जो जमीन का और मकान बनाने का काम है वह तेजी से चल रहा है।

श्री भक्त दर्शन : क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है कि हमारे भारतीय युवक स्वयं सोवियत रूस जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करें और फिर यहाँ आकर इस का काम को जल्दी पूरा करने का प्रयत्न करें ?

श्री कानूनगो : उनको तालीम देने की व्यवस्था की जा रही है और वह तालीम ऐसी होगी कि उसको प्राप्त करने के बाद वह यहाँ आकर काम करेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** : पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार यदि सनतनगर का संयंत्र उत्पादन आरम्भ करे तो वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री कानूनगो** : यह उत्पादन लगभग ७·५३ करोड़ रुपये के मूल्य तक पहुंच जायेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया**: इन औषधों की वर्तमान आयात की स्थिति क्या है ? और यदि ये कारखाने उत्पादन करने लगे तो ये कितना कम हो जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : इन औषधों के आयात के ठीक आँकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं, परन्तु इतना कि उत्पादन काफी होना चाहिये और शायद उस समय तक माँग और बढ़ जाये ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : वक्तव्य में कहा गया है :

"रसायन परियोजना सम्बन्धी उत्पादन कार्यक्रम तथा लागत सम्बन्धी अर्थ-व्यवस्था विचाराधीन है ।"

गत छः मास से हम बड़े निराशापूर्ण उत्तर सुन रहे हैं । केरल के लागों के दिलों में यह सन्देह है कि शायद यह परियोजना चालू ही नहीं हागी । क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र ही कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री कानूनगो** : हम सम्भव कार्यवाही कर रहे हैं जो कि आवश्यक है । परन्तु यह तकनीकी समस्या है और इस मामले में हम रूस की सलाह से चलने के लिये वचनबद्ध है । हम जिस ढंग की बात करते हैं वह सस्ता नहीं है । रूस वाले सस्ता ढंग विकसित कर रहे हैं ।

पूर्व पाकिस्तान के नोआखाली जिले में हिन्दू अल्पसंख्यक

†*१५७. **श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता के समाचारपत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर गया है जिनमें पूर्व पाकिस्तान के नोआखाली जिले में चौमोहानी बाज़ार के हिन्दू अल्पसंख्यकों के विरुद्ध किये गये कार्यों की जानकारी दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने ढाका स्थित भारतीय उपउच्चायुक्त से इन समाचारों की सचाई के बारे में कोई पूछताछ की है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनश सिंह)** : (क) जी हाँ ।

(ख) ढाका स्थित हमारे उपायुक्त की रिपोर्ट ने इन घटनाओं को ठीक बतलाया है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि ये घटनायें उन लोगों ने प्रतिहिंसा के रूप में की हैं जिन्हें कलकत्ता में गोदी तथा समुद्री सेवा से हटा दिया गया है ? क्या इनमें कोई सचाई है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी नहीं, मुझे नहीं मालूम । मैं नहीं समझता इसमें कोई सचाई हो ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : जिस अखबारी रिपोर्ट का इस प्रश्न में उल्लेख है, क्या सरकार का ध्यान उस ओर गया है ? अखबारी रिपोर्ट में कथित बदले की बात का उल्लेख है । क्या सरकार को ढाका स्थित अपने उपायूक्त से इस बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हमारे पास इस विषय की कोई जानकारी नहीं और न ही हमने इस बारे में कुछ सुना ही है । जो रिपोर्टें हमें प्राप्त हुई हैं उनमें भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस प्रकार की घटनायें केवल नोआखाली में ही नहीं पूर्व पाकिस्तान के अन्य भागों में भी हो रही हैं, इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री सदा के लिये इनका निपटारा करने के लिये पाकिस्तान के राष्ट्रपति को मिल कर इस बात पर चर्चा कर रहे हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस विषय पर प्रधान मन्त्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कोई बात हो रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस समय मेरे राष्ट्रपति से मिलने की प्रस्थापना सामने नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में भारत में कोई बात होती है तो पाकिस्तान के विदेश मन्त्री चिल्लाने लगते हैं । अब जब इस प्रकार की हिन्दू अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाली घटनायें पाकिस्तान में होती हैं तो हमारा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय चुप रहता है, क्यों ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं बात समझा नहीं, क्या हमारे दूतावास चुप रहते हैं ?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत में छोटी सी बात होती है तो पाकिस्तान के लिये विदेश मन्त्री शोर करने लगते हैं । विधान सभा में और हर जगह शोर मचाते हैं परन्तु पाकिस्तान में हिन्दू अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होना है तो हमारा वैदेशिक कार्य मन्त्रालय कोई नोटिस नहीं लेता ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : पता नहीं माननीय सदस्य हमसे क्या चाहते हैं । परन्तु मुझे आशा है कि इस सम्मानीय सदन का कोई भी माननीय सदन असंगत शोर करना ठीक नहीं समझेगा ।

†**श्री त्यागी** : यह प्रचार का प्रश्न है, माननीय प्रधान मन्त्री को यह महसूस करना चाहिये कि उनका प्रचार कमजोर है । शोर करने का यह प्रश्न नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जब पिछले दिनों पूर्व और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ढाका में मिले थे तो क्या चौमोहनी बाजार के दंगों पर भी विचार हुआ था और दोनों देशों में इस सम्बन्ध में की जाने वाली किस कार्यवाही का विचार किया गया ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने इस बैठक की रिपोर्ट नहीं देखी, उनकी वार्ता के कारण इनका उल्लेख जरूर हुआ था ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : गत मास और इससे पूर्व मास में पाकिस्तान में जो भी दुर्घटनायें हुईं क्या इस सम्बन्ध में मुख्य सचिवों के सम्मेलन के अतिरिक्त कोई ऐसी नीति भी तय हुई जो दोनों सरकारों की सहमति से लागू की जायेगी ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हमारे ढाका स्थित उपायुक्त ने सरकार को एक नोट दिया था और उच्चायुक्त ने जब ८ जुलाई को पाकिस्तान के राष्ट्रपति से वार्ता की तो इन मामलों का उल्लेख किया था ।

†**श्री त्रिविद कुमार चौधरी** : उल्लेख में अतिरिक्त उसका कुछ परिणाम भी निकला, कुछ संरक्षण . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई परिणाम निकला होता तो वह अभी बता दिया जाता । शायद कोई परिणाम नहीं निकला ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सामान्यतः करार होता है । इसमें कोई मतभेद नहीं कि संरक्षण दिया जाना चाहिए । दूसरी ओर जो घटनायें होती हैं उस की ओर बार बार लोगों का ध्यान चला जाता है । इस बात पर सहमति हो गयी थी कि संरक्षण देने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा । इस तरह की बातों के लिए विस्तार से तो पहिले ही कार्यवाही का निश्चय है । सामान्य नीति निर्धारित है उसे कार्यान्वित किया गया है अथवा नहीं यह दूसरी बात है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अमेरीका को "ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े का निर्यात

†*१५८. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका में "ब्लीडिंग मद्रास" कपड़ में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिलचस्पी को बनायें रखने तथा वहां एक स्थायी बाजार के निर्माण के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् । अन्य कार्यवाही के साथ निम्न कार्यवाही की गई है :

(१) अनुचित स्पर्धा की रोकथाम करने की दृष्टि से "मद्रास ब्लीडिंग" कपड़े की कोटा प्रणाली आरम्भ की गई है ।

(२) मार्केट को सुदृढ़ बनाने और सट्टा समाप्त करने की दृष्टि से निम्नतम व उच्चतम मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं ।

(३) कपड़े किस्म नियंत्रण भी लागू कर दिया गया है ।

†**श्री मे० क० कुमारन** : क्या इसके बावजूद भी कि अमरीका में इस कपड़े की मांग बढ़ रही है, पिछले दिनों में इस कपड़े का निर्यात कम हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बढ़ गया है ।

†**श्री नम्बियार** : क्या हथकरघा के कपड़े की बड़ी मात्रा निर्यात या निपटान के लिये पड़ी है और क्या इसे अमरीका तथा अन्य देशों को भेजने के अलावा कोई और कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मनुभाई शाह : अमरीका को ही पूरी मात्रा में कपड़ा नहीं भजा जाता है । एकत्रीकरण अस्थायी प्रकार का है और यह हमारे लागू किये गये निरीक्षण के कारण हुआ है क्योंकि निश्चित स्तर से निम्न प्रकार की वस्तुओं के वहां जाने से अमरीकी बाजार हमारे हाथ से जा रहा था । माल शीघ्रता से निकाला जा रहा है ।

कृषि अध्ययन के लिये डेन्मार्क को भेजे गये तिब्बती विद्यार्थी

+

†*१५९. **श्री प० कुन्हन** :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि अध्ययन के लिए २० तिब्बती विद्यार्थियों को डनमार्क भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके अध्ययन पर कौन धन व्यय करेगा; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये डेनमार्क में कितने समय तक रहेंगे तथा वापस लौटने पर उनके अनुभवों का किस प्रकार फायदा उठाया जायेगा ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उनका यात्रा-व्यय तिब्बत-सहायता सम्बन्धी अमरीकी आकस्मिक समिति ने दिया और भरण पोषण तथा प्रशिक्षण व्यय तिब्बत सहायता सम्बन्धी डेनमार्क की समिति दे रही है ।

(ग) उनकी प्रशिक्षण अवधि ३ से ४ वर्ष तक है । उनके लौटने पर तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास के लिए भारत में कृषि में लगाने में उनके अनुभव से काम लिया जा सकता है ।

†श्री प० कुन्हन : केवल तिब्बती विद्यार्थी चुनने का क्या कारण है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : क्योंकि निधि केवल तिब्बती विद्यार्थियों के लिए है ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि कन्द्र में इन तिब्बती विद्यार्थियों संबंधी कार्य के लिए शिक्षा मंत्रालय में एक पूर्ण विभाग है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं जानता कि शिक्षा मंत्रालय इस में क्या काम करती है । साधारणतया वैदेशिक-कार्य मंत्रालय प्रभारी है । परन्तु, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से इसकी देखभाल करने के लिए कहा है । जहां तक मुझे विदित है कोई विशेष विभाग नहीं है । किसी को काम करना पड़ता ही है और शायद वहां कोई अधिकारी प्रभारी हैं ।

†श्री हेम बरुआ : क्या तिब्बती विस्थापित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई है या उन्हें विदेशी राष्ट्रजन माना जाता है ? यदि हां, तो सरकार कैसे आशा करती है कि इन तिब्बती विद्यार्थियों का अनुभव, जो विदेश गये हैं, लौटने पर देश के हित के लिए प्रयोग किया जाये ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य का प्रश्न पूरी तरह नहीं समझ सका ।

†अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न था कि क्या वे भारतीय नागरिक होंगे या विदेशी ? यदि वे विदेशी राष्ट्रजन हैं, तो भारत में कृषि में उन्हें कैसे लगाया जायेगा ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं नहीं कह सकता कि वे भविष्य में क्या होंगे । अभी तो वे भारतीय नागरिक नहीं हैं, चाहे वे कुछ भी हों ।

†श्री हेम बरुआ: ये लोग विदेशी राष्ट्रजन हैं और उपमंत्री ने कहा है कि उनके वापस आने पर उनके अनुभव को हमारे देश के लिए प्रयोग किया जा सकता है । क्योंकि वे विदेशी राष्ट्रजन हैं अतः उन पर यह बात कैसे बाध्यकारी हो सकती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह किसी ने नहीं कहा है कि यह उनके लिए एक बाध्यकारी बात होगी । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्राम्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग

†*१६०. श्री नम्बियार :
श्री हेम राज :
श्री काशीराम गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री उमा नाथ :

क्या योजना मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में चुने हुए ग्राम्य क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के विकास की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य में कौन से क्षेत्रों को चुना गया है; और

(घ) प्रत्येक राज्य को कितना आवंटन किया गया है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना आयोग ने जुलाई, १९६२ में 'ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों के गहन विकास की परियोजनायें' सम्बन्धी एक पुस्तिका निकाली थी । योजना का ब्यौरा इस पुस्तिका के भाग १ में पृष्ठ १–११ पर दिया है । संसद सदस्यों में वितरण के लिए पुस्तिका की प्रतियां लोक-सभा सचिवालय को पहिले ही दी जा चुकी हैं ।

(ग) क्षेत्रों का चुनाव अभी निश्चित नहीं हुआ है । आशा है कि राज्य सरकारों के प्रस्ताव अगस्त, १९६२ के मध्य तक योजना आयोग के पास पहुंचेंगे ।

(घ) आवंटन परियोजना संख्या के अनुसार होगा । प्रत्येक परियोजना के लिए आवंटन के आधार की व्याख्या उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित मुद्रित पुस्तिका के पृष्ठ ६ पर पैराग्राफ १२ में दी हुई है ।

†श्री नम्बियार : क्या २१ और २२ जुलाई को राज्यों के प्रतिनिधियों तथा रुचि लेने वाले व्यक्तियों का सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव था और क्या वह सम्मेलन हुआ था और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : योजना आयोग की एक समिति इस पर पहिले से ही कार्य कर रही है और सब राज्यों के परामर्श से किया गया है और इसके बारे में आगे विचार विमर्श होगा ।

†श्री नम्बियार : क्या मद्रास राज्य ने इन मामलों के बारे में कोई अभ्यावेदन भेजा है और क्या राज्यों के उद्योगों के आवंटन पर विचार करते समय इस पर विचार किया गया था ?

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मैं अभी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†श्री हेम राज : क्या योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों को श्रेणियों में बांटा गया है ? क्या इन उद्योगों के स्थापन के लिए बहुत ही अविकसित क्षेत्रों को लिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : श्रीमान्, पुस्तिका में कुछ शर्तें निर्धारित हैं।

श्री काशीराम गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि इन इंडस्ट्रीज को चलाने का माध्यम को-आपरेटिव सोसायटीज होंगी अथवा पंचायत समितियां।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : यह कार्य योजना के उपबन्ध अनुसार होगा। तीन अवस्थायें हैं : प्रथम, दिल्ली में योजना आयोग; द्वितीय, राज्य समिति, अर्थात्, स्थायी समिति जिसमें मंत्रालयों, खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग तथा कुछ अखिल भारतीय निकायों के प्रतिनिधि होंगे। तृतीय, उद्योग मंत्री या राज्य के मुख्य मंत्री के निर्देशन में एक समिति होगी जिसमें स्थानीय पंचायत, जिला परिषद्, पंचायत समिति के सभापति और प्रशासी टेक्निकल कर्मचारी होंगे और साथ ही साथ सहकारी संघों के प्रतिनिधि होंगे। राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि परियोजना समितियों के सभापति यथासंभव गैर-सरकारी अधिकारी हों।

†**श्री प्र० च० बरुआ** : क्या सरकार को विदित है कि यहां तो योजना आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के गहन विकास की योजनायें बनाने में लगा है और आसाम में विद्युत् की कमी तथा कच्चे सामान की, विशेषकर इस्पात की अनोपलब्धि के कारण छोटे पैमाने के उद्योग प्रायः विनाशावस्था में हैं और यदि हां, तो सरकार का विचार क्या करने का है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : योजना में विद्युत् संभरण का विशेष ध्यान रखा गया है।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : इस प्रकार विकास के लिए चुने जाने वाले क्षत्रों के लिए क्या सरकार ने कोई सिद्धान्त बनाया है और, यदि हां, तो सिद्धान्त क्या ह ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : इसका उल्लेख पुस्तिका में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर, उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लिये कुछ परियोजनायें विशेष रूप से निश्चित की गई हैं ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : निश्चय ही योजना में सभी राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के लिये उपबन्ध किया गया है।

लैंसडाउन जूट मिल, कलकत्ता

†*१६१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लैंसडौन जूट मिल, कलकत्ता बन्द कर दी गई है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो इसको बन्द करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार की पूर्वानुमति मांगी गई थी तथा दे दी गई थी ;

(घ) कितने कर्मचारी इसके कारण बेकार हो गये ;

(ङ) क्या मिल मालिकान के कुप्रबन्ध तथा कदाचार की कोई शिकायतें मिली हैं ;

(च) क्या इन शिकायतों की जांच की गई है; और

(छ) क्या सरकार का इरादा मिल को पुनः चालू करने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ङ) नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ), (च) और (छ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि इस कम्पनी ने इस महीने की १४ ता० के बाद किसी समय मिल बन्द करने के अपने विचार की अधिसूचना दी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि उन्होंने नवम्बर, १९६२ तक इसे बन्द करने की अधिसूचना दी है । हम इस दृष्टि से कार्यवाही करने का प्रयास कर रहे हैं कि उस मशीन का पुनर्नवीकरण या अन्य किसी स्थान को स्थानान्तरण हो सकता है या नहीं ताकि उन्हें वहां चलाया जासके । बाकी मशीन तोड़नी होगी ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस कम्पनी ने मिल बन्द करने के विचार का क्या कारण बताया है और क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने हाल में इस कम्पनी को बहुत बड़ा ऋण दिया था, और यदि हां, तो फिर यह मिल बन्द क्यों होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जहां तक हमारे टेक्निकल विशेषज्ञ की जानकारी का सम्बन्ध है, उसके अनुसार मशीन बदल कर या अन्यथा इस मिल का आधुनिकोकरण नहीं हो सकता । केवल इतना किया जा सकता है कि उसके स्थान पर नया मिल स्थापित किया जाये और इसी प्रयोजन से नया परिवर्तन होगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि एक पटसन मिल को बन्द करने और कार्य के घन्टे अन्य मिल को बेचने से भी मिल लाभ प्राप्त कर सकता है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई नियम बनायेगी कि मिल के बन्द होने से पहिले, सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त की जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार के हाल के एक निश्चय के अनुसार पटसन उद्योग का विस्तार हो रहा है । अतः काम के घन्टे बेचकर लाभ प्राप्त करना ही इसका एक साधन नहीं है । यदि मिल चालू हों, तो वे उन्हे ऐसा करना ही होगा । टेक्निकल दृष्टि से मशीनें टूट गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

+

†*१६२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प० कुन्हन :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दाजी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री प्र० व० राघवन :
श्री र० ना० रेड्डी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरुआ :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत से निर्यात को सुकार बनाने के लिये विभिन्न पत्तनों पर हैमबर्ग कोपेनहैगन, न्यूयार्क, सान-फ्रांसिस्को, लोस एन्जिलस, और कोलोन के नमूने पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रश्न की जांच कर ली है ;

(ख) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने सुझाव दिया है कि भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तट पर चार निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाये जायें ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) हां, श्रीमान ।

(ख) हां, श्रीमान ।

(ग) परिवहन तथा संचार एवं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों ने काण्डला पत्तन पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने की योजना बनाई थी जो सरकार के विचाराधीन है ।

देश के विभिन्न पत्तनों पर निर्बाध व्यापार क्षेत्रों की ऊंच नीच के साधारण प्रश्न पर व्यापार बोर्ड की एक उप-समिति विचार कर रही है । इस विषय पर व्यापार तथा उद्योग के संघों ने अनेक अभ्यावेदन दिये हैं ।

†श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस मामले में निर्माताओं के संघों ने जो सुझाव दिये हैं उन्हें लागू करने से क्या लाभ होने की संभावना है ?

†श्री मनुभाई शाह : ठीक योजना यही है, परन्तु हमें ऊंच नीच पर बहुत ही ध्यानपूर्वक विचार करना है । निर्यात सम्बर्धन के लिये कुछ लाभ है परन्तु तस्कर व्यापार तथा अनेक अन्य बातों से हानियां हैं । इनका ध्यानपूर्वक मूल्यांकन किया जा रहा है और इस मामले मे सरकार के निश्चय करने से पहले लाभ तथा हानि के अन्तर पर विचार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प० कुन्हन** : क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ ने कोचीन बन्दरगाह पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने की केन्द्रीय सरकार से सिफारिश की थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान। उन्होंने हाल मे हमसे अभ्यावेदन किया है कि भारत के विभिन्न भागों मे चार बन्दरगाह चुने जाने चाहिये, अर्थात् एक उत्तर में, एक दक्षिण मे, तीसरा पश्चिम में और चौथा पूर्व में ताकि इन बन्दरगाहों में निर्बाध व्यापार क्षेत्र की पर्याप्त सुविधायें पैदा की जा सकें। ये सारे मामले विचाराधीन हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि गोआ और पाण्डिचेरी को भी नर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने के लिये सरकार से अभ्यावेदन किये गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वे फीड्रेशन की सिफारिशों में भी सम्मिलित हैं। प्राय : प्रत्येक बन्दरगाह ने निर्बाध व्यापार क्षेत्र होने के लिये अभ्यावेदन किया है। परन्तु सरकार को मूल रूप मे निश्चय करना है कि निर्बाध व्यापार क्षेत्र की कार्यवाही, चाहे सीमित मात्रा में ही हो, भारत की वर्त्तमान स्थितियों मे जांच किये जाने योग्य है या नहीं। इस दृष्टि से, यह योजना पहिले काण्डला बन्दरगाह के लिये बनाई गई है और वह विचाराधीन है। व्यापार बोर्ड ने अपनी हाल की बैठक में प्रो० गाडगिल के सभापतित्व में निर्बाध व्यापार क्षेत्र के सामान्य प्रश्न की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त थी।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इसके ब्यौरे पर ध्यानपूर्वक विचार कर लिया है कि इन निर्बाध व्यापार क्षेत्रों के बनने पर सरकार तस्कर व्यापार के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी और यदि हां, तो क्या भारतीय माननीय मंत्री सभा को इससे सूचित करेंगे ?

श्री मनुभाई शाह : हां, श्रीमान। मैं यथोचित समय पर सभा को सूचित करूंगा कि सरकार का अन्तिम निश्चय क्या होगा। मैं सभा के समक्ष विशेष अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा कि तस्कर व्यापार के खिलाफ क्या कार्यवाही करनी है यह दखने के लिये क्या संवर्धन सहायता देनी है कि इससे निर्यात व्यापार मे सहायता मिलती है, बशर्ते कि निश्चय अनुकूल हो। यदि निश्चय अनुकूल न हुआ तो मैं बताऊंगा कि हम इसे किन कारणों से छोड़ रहे हैं।

†**श्री मान सिंह प्र० पटेल** : इस बात का ध्यान रख कर कि सरकार ने यह निश्चय करने मे कितना समय लिया है कि काण्डला बन्दरगाह को निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाया जाने या नहीं, सरकार इस मामले मे निश्चय करने मे कितना समय लेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : एक या दो मास में।

श्री रघुनाथ सिंह : कांडला पोर्ट की स्कीम पांच-छः बरस से पेंडिंग है। क्या मैं जान सकता हूं कि वह कितने बरस तक--पांच, दस, बीस. पच्चीस बरस ?--पेंडिंग रहेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैं आश्वासन देता हूं कि दो महीने मे, इस बार मे, इधर या उधर फैसला जाहिर कर दिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण

+

†*१६३. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या उपपत्तियां है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) :** (ख) तथा (क) पूर्व उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों का योजना आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त अध्ययन किये जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन हैं परन्तु अभी तक कोई निश्चिय नहीं किया गया है ?

†**श्री प्र० के० देव** : देश में पूर्व उत्तर प्रदेश की भांति समान रूप से आर्थिक दष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, क्या सरकार अन्य क्षेत्रों में भी जांच पड़ताल करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हां, श्रीमान। योजना आयोग यह करने का निरन्तर प्रयास करता रहा है।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या सरकार की रुचि केवल सर्वेक्षण करने में हैं या आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : विचार विमर्श समाप्त होते ही, मैं समझता हूं कि सहायता भी दी जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान पूर्व उत्तर प्रदेश की बुरी आर्थिक स्थितियों के बारे में प्रधान मंत्री के अनेक भाषणों की ओर आकर्षित किया गया है ? यह देखने के लिये तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही हैं कि उन जिलों की स्थिति में सुधार हो ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : हां, श्रीमान। प्रधान मंत्री के भाषणों का हमें पता है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हो सकता है कि वह परिचित हों, परन्तु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : पूर्व उत्तर प्रदेश में लगभग १५ जिलों है जिन में से कुल जिलों का चुनना होगा। हम अभी विचार विमर्शकर रहेहै।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : प्रश्न १६५ बहुत महत्वपूर्ण है। उसे लिया जा सकता है।

†**श्री सरजू पाण्डेय** : माननीय मंत्री जी को पता हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को एक टीम जाने वाली हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह टीम कब तक वहां जायगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालत को सुधारने के लिए उसको कितनी रकम दी जायेगी और किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को वह एड दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन** : विचार विमर्श समाप्त होते ही और जिलों का चुनाव होते ही टीम पूर्व उत्तर प्रदेश जायेगी ।

प्रशासनिक सुधार

+

†*१६४. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भगवत झा आजाद ।

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने प्रशासनिक सुधारों का अध्ययन पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) अध्ययन के क्या निष्कर्ष निकले तथा उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री तथा योजना उप मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : (क) और (ख) श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने प्रशासन संबंधी कर्मचारियों तथा जिला तथा खण्ड में उत्पन्न होने वाली प्रशासी समस्याओं के प्रश्नों पर अपना अध्ययन पूरा कर लिया है । आशा है कि उनकी रिपोर्ट इस मास में किसी समय मिल जायेगी ।

(ग) हां ।

तारांकित प्रश्न संख्या १६५ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मांग की जा रही है कि प्रश्न संख्या १६५ लिया जाये । यदि मंत्री महोदय उत्तर देने को तैयार हों, तो मैं अनुमति दे सकता हूं ।

†**श्री त्यागी** : मुझे आशा है कि स्वयं प्रधान मंत्री शायद इसका उत्तर देना चाहेंगे ।

†**श्री नाथ पाई** : श्री कामत ने कोई लिखित प्राधिकार नहीं दिया हैं . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : लिखित प्राधिकार समूचे प्रश्न सूची समाप्त होने पर आता हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान, आपने मुझे नहीं सुना । श्री कामत ने कोई लिखित प्राधिकार नहीं दिया हैं परन्तु उन्होंने प्रार्थना की थी कि हम आप से इसके लिए जाने का निवेदन करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात समची प्रश्न-सूची समाप्त होने पर उठेगी । अब अपनी इच्छा बताना मंत्री महोदय का कार्य है । यदि वह समझते है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि वह उत्तर देना चाहते है, तो मैं इसे ले सकता हूं, अन्यथा नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : क्या है, श्रीमान ?

---

†पूरा अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ माननीय सदस्य चाहते हैं कि प्रश्न संख्या १६५ लिया जाये। प्रश्न यह है कि क्या चीन-सरकार ने सूचित किया है कि वे भारत में राजदूत नियुक्त करना नहीं चाहते।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू** : नहीं श्रीमान। उन्होंने यह सूचित नहीं किया है **(अन्तर्बाधा)**

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमान, आपने प्रश्न स्वीकार करने की कृपा की थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : ६० मिनट समाप्त होने पर, माननीय सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : मैं तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की प्रतीक्षा कर रहा था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें दोष नहीं देता। परन्तु प्रश्न काल समाप्त हो गया।

†**श्री नाथ पाई** : एक अनुपूरक प्रश्न पर्याप्त हो तो। **(अन्तर्बाधा)**।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पुर्तगाल में नजरबन्द भारतीय

†*१५४. { **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुर्तगाल में अब भी कोई भारतीय नागरिक नजरबन्द हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको रिहाई के लिये क्या क़दम उठाये गये हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) और (ख). पांच भारतीय राष्ट्रजन जो दिसंबर १९६१ में लिजबन में नजरबन्द किये गये थे। रिहा कर दिये गये है। एक भारतीय राष्ट्रजन श्री राना डे, जो गोआ के मुक्त होने के पहले से पुर्तगाल में नजरबन्द है, अभी तक रिहा नहीं किया गया हैं। प्रेस रिपोर्टों से पता चला हैं कि पुर्तगाली अधिकारियों ने श्री तेलो डी मैं सारेन्हास को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो गोआ की मुक्ति से पहले से लिजबन में रहा रहा हैं। भारत सरकार इन व्यक्तियों को रिहा करवाने के लिये सब प्रयत्न कर रही हैं।

भारत में चीनी राजदूत

†*१६५. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने यह बताया है कि उनका विचार भारत में राजदूत नियुक्त करने का नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की १९६० की हड़ताल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

*१६६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल के बारे में प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : श्री आर० एल० मेहता दूसरे और जरूरी कामों में व्यस्त रहे इसलिये इस रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका ।

मरमागाओ में कर्मचारियों की हड़ताल

†*१६७. **श्री नम्बियार :**
श्री नाथ पाई :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री दाजी :
श्री महम्मद इलियास :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरमागाओ के सात हजार कर्मचारियों ने अनिश्चित काल की हड़ताल कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो मजदूरों की क्या मांगें थी ; और

(ग) क्या विवाद तय हो गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) दो सौ कर्मचारियों ने ३० जून १९६२ को हड़ताल की और बाद में कुछ और लोग हड़ताल में शामिल हो गए ।

(ख) कर्मचारियों ने मांग की कि अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी में कायम रखा जाये और उनको उचित मंजूरी दी जाए, पुर्तगाली विधि के स्थान पर भारतीय विधि लागू की जाय, गोआ में प्रजातंत्रात्मक निर्वाचन कराये जाएं और मारागोआ तथा पंजीम पत्तनों का विकास किया जाए ।

(ग) जी हां । हड़ताल ४ जुलाई १९६२ को वापिस ले ली गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समुद्रपार क्रय संगठन

†*१६८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **निर्वाण, आवास संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र पार क्रय संगठन का नवीनीकरण करने के प्रस्ताव में अब और प्रगति हुई ; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १ अनबन्ध संख्या ३८]**

दिल्ली में अनधिकारवासियों के परिवार

†*१६९. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में अनधिकारवासियों के परिवारों का सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के अनुसार उनके अन्तिम आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन अनधिकारवासियों के परिवारों के पुनर्वास की अपनी नीति को अन्तिम रूप दे दिया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख) लगभग ४४००० परिवार, झुग्गी और झोंपड़ी उन्मूलन योजना के अन्तर्गत, जून–जुलाई १९६० में दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई विशेष जनगणना के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकार कब्जा किये हुए पड़े थे।

(ग) सरकार का इरादा यह है कि अर्ह परिवारों को, जो जून–जुलाई १९६० में जनगणना से पूर्व दिल्ली/नई दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकार कब्जा किये पड़े थे, खुले विकसित स्थान दिये जाएं, ताकि वे उन पर अपने मकान बना सकें। जो परिवार उस तिथि के बाद भूमि पर अनधिकार कब्जे में बैठे, उनको वैकल्पिक स्थान दिये बिना वहां से उठाया जाएगा।

कोयला खानों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति

†*१७०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई १९६२ में त्रिदलीय सम्मेलन के बाद से तीन महीनों में कोयला खानों की कानून तथा व्यवस्था की स्थिति में कितना सुधार हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विभिन्न अखिल भारतीय मजदूर संगठनों से संबद्ध श्रमिक संघों ने इस सुझाव का समर्थन किया है ;

(ग) क्या प्रबन्धकों ने संयुक्त प्रयत्नों में पूरा सहयोग दिया है ; और

(घ) क्या सरकार ने निदेशालय को परामर्श दिया है कि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये वह उचित जानकारी हासिल करे और श्रम संघों से सम्बन्ध स्थापित करे ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) खान मालिक और कर्मचारियों के संघों ने स्वीकार किया है कि वे छः महीनों के अन्दर अपने संबंध सुधारने का प्रयत्न करेंगे। इस तिथि के समाप्त होने पर इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) यह नियमित रूप से किया जा रहा है।

अफ्रीअकन मिलिटरी हाई कमान्ड

†१७१. श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कैसाब्लांका पावर्स" ने एक अफ्रीकन मिलिटरी हाई कमान्ड स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(घ) क्या सरकार को निर्णय बता दिया गया है अथवा ऐसा कोई प्रस्ताव बनाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :(क) और (ख) जी नहीं। हम ने इसके संबंध में केवल समाचार पत्रों की खबरें देखी हैं।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता।

वाराणसी में पकाई हुई मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के लिये अग्रिम केन्द्र

†३४६. श्री तन सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी में १९५८ में पकाई हुई मिट्टी (टैराकोट्टा) के बर्तन आदि के निर्माण के लिये एक अग्रिम केन्द्र खोला गया था ;

(ख) उस पर कुल कितना व्यय किया गया ;

(ग) अब तक केन्द्र में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया ; और

(घ) प्रशिक्षण के बाद उन प्रशिक्षित लोगों ने क्या काम आरम्भ किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां। 'टेरोकोट्टा पौटरी' के लिये एक अग्रिम केन्द्र १ अगस्त १९५८ को वाराणसी में स्थापित किया गया था।

(ख) ४४,८६७ रुपये। ३० सितम्बर, १९६० को केन्द्र बन्द कर दिया गया था।

(ग) दस।

(घ) यह अनुमान है कि सब प्रशिक्षण प्राप्त लोग इस शिल्प में लगा लिये गये हैं।

हस्तकला उद्योग

३४७. **श्री तन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा हस्तकला उद्योग के लिये कितना अनुदान/ऋण देने का विचार है ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को इस प्रकार का कितना अनुदान/ऋण दिया गया ; और

(ग) राजस्थान राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत दिया जाने वाला ऋण और अनुदान किन-किन हस्तकला उद्योगों के लिये है और कितना-कितना ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कनूनगो) :(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हस्तकला के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को आवंटित राशियां बताने वाला एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३९]** इन आवंटनों में केन्द्र और राज्यों द्वारा किया जाने वाला खर्च भी शामिल है। केन्द्रीय सहायता और अनुदानों एवं ऋणों का हिसाब वर्ष के अन्त में राज्य सरकारों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय तथा उस वर्ष अमल में लाई गई योजनायें किस प्रकार की थीं, इनके आधार पर किया जाता है।

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४०]**

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरकार द्वारा हस्तकलाओं के विकास की जिन योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है, उनमें हाथ से छपे सूती कपड़े, नक्काशीदार हाथी दांत की वस्तुएं, पीतल के कलात्मक बर्तन, सुनहरी पालिशदार बर्तन, ऊनी नमदों, मोटे ऊनी वस्त्रों और कालीनों, लकड़ी के खिलौनों, बेंत और बांस की वस्तुएं बनाना ।

पंजाब के लिये आवास योजनायें

†३४८. **श्री हेम राज** :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार की तीसरी योजना में इस की विविध आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६२–६३ के लिये कितनी राशि दी गई है ;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने उसकी तीसरी योजना की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये अधिक धन मांगा है; और

(घ) यदि हां, तो कितना, और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४१]**

(ख) विविध विकास मदों के अन्तर्गत, जिनमें 'आवास' सम्मिलित है, वर्ष १९६२–६३ के लिये राज्यों को किये जाने वाले नियतन अभी तै नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ). जी हां। विविध आवास योजनाओं के अधीन ४२२ लाख रुपये। अतिरिक्त मांग किस मात्रा तक पूरी की जा सकती है, यह उस धन राशि पर निर्भर करेगा, जो जीवन बीमा निगम द्वारा दी गई या अन्य राज्यों को किये गये नियतन से बचेगी या आवास के लिये योजना नियतन में वृद्धि की जाएगी, यदि ऐसा करना संभव होगा।

सीरा का निर्यात

†३४९. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में भारत से सीरा का कितना निर्यात हुआ ;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में ये आंकड़े कैसे हैं ;

(ग) भारत के कौन से भाग सीरा का निर्यात करते हैं ;

(घ) क्या सीरा का निर्यात करने में कोई कठिनाई अनुभव हुई थी ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या और उन को दूर करने के लिये क्या कार्रवाई की गई?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	मात्रा टनों में	लागत लाख रुपयों में
१९६०–६१ .	२८,०००	२०.२४
१९६१–६२ .	८४,०००	६१.३२

(ग) उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास और मैसूर।

(घ) और (ङ). जो मुख्य कठिनाइयां अनुभव की गई हैं वे ये हैं, चीनी मिलों से पत्तनों तक ले जाने के लिये पत्तनों पर भंडारन की सुविधाओं और टैंक वैगनों का उपलब्ध न होना। अब मद्रास, कलकत्ता तथा विशाखापटनम में भंडारण संबंधी सुविधाएं बनाई गई हैं और आशा की जाती है कि ऐसी ही सुविधाएं शीघ्र ही बंबई में भी की जाएगी। वैगन अग्रता आधार पर नियत किये जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थी

†३५०. **श्री दशरथ देव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बती शरणार्थियों को उद्योगों में रोजगार दिलाने की कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक उद्योगों में कितने लोगों को बसाया गया है और कहां ;

(घ) क्या तिब्बती शरणार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने के लिये कोई विशेष निधि बनाई गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसकी वार्षिक राशि कितनी है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी हां। १२९ तिब्बती शरणार्थियों को विविध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और केन्द्रों में दस्तों में व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया गया है ।

(ख) प्रशिक्षण निम्न व्यवसायों और कामों का दिया गया है।

बढ़ई का काम	२२
लोहार का काम	१३
फिटिंग	२९
जूते बनाने	२२
मिट्टी के बर्तन बनाना	१०
मशीन शाप	२४
इलैक्टरो पलेटिंग	९

(ग) १० व्यक्तियों को तिब्बती शरणार्थी शिविरों और स्कूलों में लाभप्रद धंधों पर लगाया गया है और ४ व्यक्तियों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अन्य लोगों को रोजगार दिलाने का काम हाथ में है।

(घ) सरकार समय समय पर विविध प्रशिक्षण के लिये धन मंजूर करती रहती है।

(ङ) २,०१,२०३ रुपये की राशि ३१-३-६२ तक तिब्बती शरणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गई है।

पटसन के माल का निर्यात

†३५१. **श्री मे० क० कुमारन :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पटसन के माल के निर्यात और उत्पादन पर कलकत्ता में प्रस्तावित १५ विद्युत् कटौती के कुप्रभावों का विचार किया है ; और

(ख) सरकार इस मामले में क्या करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां। प्रयत्न यह किया जा रहा है कि विद्युत कटौती की मात्रा पटसन चाय इंजीनियरिंग आदि निर्यात उद्योगों के मामले में निम्न तक की जाए।

सौराष्ट्र और कच्छ में आणविक खनिजों का सर्वेक्षण

†३५२. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि समूचे सौराष्ट्र और कुछ प्रदेशों में आणविक खनिजों का सर्वेक्षण भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है ;

(ग) क्या उस पर कोई रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में अणु शक्ति विभाग के आणविक खनिज विभाग ने गुजरात राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ प्रदेश के कुछ उन क्षेत्रों में आणविक खनिजों को मालूम करने के लिये रेडियो मीट्रिक सर्वेक्षण किया है, जहां ऐसे खनिजों की विद्यमानता के कुछ भूतत्वीय संकेत मिले थे। इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). सर्वेक्षण के परिणामों की सार्वधिक रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। रेडियो मीट्रिक सर्वेक्षण जिन क्षेत्रों का अब तक किया जा चुका है उनसे युरेनियम के निक्षेपों का पता चला है जिनको लाभप्रद ढंग से निकालना उचित होगा।

काफी के बीजों की बिक्री

†३५३. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि काफी बोर्ड के बिक्रीडिपू उपभोक्ताओं को तब तक काफी के बीज नहीं बेचते जब तक कि वे घटिया किस्म के बीज भी एक निश्चित मात्रा में नहीं खरीदते ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी अवांछित पद्धति का अनुमोदन करती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय बागान उद्योग

†३५४. { श्री अ० क० गोपालन :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय बागान उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इन सिफारिशों को कार्य रूप में परणित किया गया है ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :(क)मजूरी में अन्तरिम वृद्धि के लिये बोर्ड की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी हैं।

(ख) दक्षिण भारत में अन्तरिम मजूरी वृद्धि संबंधी सिफारिशों की प्रतियां ३० मार्च, १९६२ को लोक-सभा के पटल पर रखी गई थीं। आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में अन्तरिम मजूरी की वृद्धि देने से संबंधित बोर्ड की सिफारिशों की प्रतियां ७ अगस्त १९६२ को सभा पटल पर रख दी गई हैं।

(ग) दक्षिण भारत में भुगतान आरम्भ हो गया है। आसाम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा प्रशासन की सरकारों से भी प्रार्थना की गई है कि वे शीघ्र इनको कार्य रूप में परणित करें और सावधिक प्रगति रिपोर्टें भेजें।

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

†३५५. श्री अ० क० गोपालन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड ने अपनी हाल की बैठकों में अविकसित क्षेत्रों में लोगों के निर्वाह स्तर को उठाने का कोई कार्यक्रम स्वीकार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं। ऐसे क्षेत्रों के मामले में, जिन्हें पिछड़ा हुआ और या अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग ने विशेष योजनायें जारी करके यदि आवश्यकता हो, अपनी गतिविधियों को तेज करने का फैसला किया है। इसके अतिरिक्त सहायता के सामान्य ढांचे में समुचित संशोधन करके कुछ अतिरिक्त सहायता देने का भी आयोग ने विचार किया है जिससे आदिवासी क्षेत्रों और पिछड़े क्षेत्रों में खादी और ग्राम उद्योगों का विकास किया जा सके।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना

†३५६. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये केन्द्र द्वारा राजस्थान सरकार को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) क्या सहायता के तौर पर आवंटित राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है ; और

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंच वर्षीय योजना अवधि में योजना के लिये वित्तीय सहायता के तौर पर ३० लाख रुपये देना स्वीकार किया है, यदि राजस्थान सरकार अपने पास से १० लाख रुपये और दे ।

त्रिपुरा में अम्बर चर्खा

†३५७. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि के पहले वर्ष में और दूसरी योजना अवधि में वर्षवार, त्रिपुरा में परम्परागत खादी और अम्बर कार्यक्रम के लिये कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) अब कुल कितने अम्बर चर्खे चल रहे हैं ;

(ग) कुल कितना धागा तैयार किया गया है ; और

(घ) क्या उत्पादन सन्तोषजनक समझा गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तीसरी योजना के पहले वर्ष में और दूसरी योजना अवधि में परम्परागत [तथा] अम्बर खादी पर त्रिपुरा में इस प्रकार राशि खर्च की गई है :

वर्ष	राशि
	रुपये
१९५९–५७ . . .	११,१२७
१९५७–५८	९,९७५
१९५८–५९ . .	३३,१९०
१९५९–६० . . .	६३,४९४
१९६०–६१	२८,७२४
१९६१–६२	९,६१६
कुल . .	१५६,१२६

(ख) २७२ ।

(ग) १३८ मन ।

(घ) जी हां ।

अफगानिस्तान को हरी चाय का निर्यात

†३५८. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान को हवाई जहाज से चाय भेजने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) उसने उत्पादकों को सामान्य मूल्य दिलाने का कहां तक प्रयत्न किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) मई, १९६२ तक अफगानिस्तान को हरी चाय के निर्यात में, पिछले वर्षों में उसी अवधि की तुलना में, वृद्धि हुई है । अफगानिस्तान को हवाई जहाज से चाय भेजने की अतिरिक्त सुविधायें देने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं । यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में इस साल कीमतें कुछ गिर गयी हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि स्टाक इकट्ठा हो जाने के कारण कीमतें गिर गयीं ।

आविष्कार संवर्धन योजना

†३५९. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ में अब तक आविष्कार संवर्धन योजना के अधीन कौन कौन से महत्वपूर्ण आविष्कार किये गये ;

(ख) १९६२ के पूर्वार्द्ध में योजना पर कितना खर्च हुआ, और

(ग) किन किन अत्यधिक महत्वपूर्ण आविष्कारों के संबंध में अभी फिलहाल छानबीन हो रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वर्ष १९६२ में (१ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६२ तक) आविष्कार संवर्धन बोर्ड ने जो महत्वपूर्ण आविष्कार किये हैं उनकी सूची संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४२]**

(ख) बोर्ड जिन महत्वपूर्ण आविष्कारों के संबंध में अभी छानबीन कर रहा है व संलग्न सूची में दिये हुये हैं **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४३]**

मजूरी बोर्ड

†३६०. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा, इस्पात, चाय और पटसन उद्योगों के मजूरी बोर्डों के काम में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ख) इन मजूरी बोर्डों को अपना अपना काम पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम-मंत्री (श्री हाथी)**: (क) लोहा और इस्पात उद्योग के मजूरी बोर्ड ने अपनी प्रश्नावलि जारी की है। पटसन और बागान मजूरी बोर्ड पार्टियों की बातें सुन रहे हैं।

(ख) मजूरी बोर्ड अपना काम कब तक पूरा कर सकेंगे यह इस समय बताना संभव नहीं है।

दक्षिणी दिल्ली में बाजार

†**३६१. श्री बसुमतारी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दक्षिण दिल्ली में कालकाजी में एक बड़ा बाजार बनाने के बारे में सोच रही है ;

(ख) यदि हां, तो वह संभवत: कब आरम्भ किया जायगा ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** (क) से (ग). कालकाजी में बाजार बनाने की पुनर्वास विभाग की कोई योजना नहीं है। फिर भी पूर्व पाकिस्तान के जो विस्थापित व्यक्ति दिल्ली में रोजगार में लगे हुये हैं उनके लिये कालकाजी के पास एक बस्ती कायम करने की इस विभाग की योजना है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इस बस्ती के लिये जमीन की सफाई आदि कर रहा है इस बस्ती की योजना में बाजार, वाणिज्यिक कार्यालय और सरकारी इमारतों आदि की व्यवस्था है।

केरल में बेरोजगारी का सर्वेक्षण

†**३६२.** { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बिचि बावा :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री २ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने बेरोजगारी के संबंध में जो सर्वेक्षण कराया था उसकी रिपोर्ट क्या सरकार को मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पालमपुर में चाय बागान

†**३६३. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालमपुर (कांगड़ा) में चाय बागान के मजदूरों को भारत में सब से कम मजूरी मिल रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनकी मजूरी देश के दूसरे चाय बागान के मजदूरों की मजूरी से कम है या ज्यादा ;

(ग) क्या पालमपुर के बागान में बागान अधिनियम लागू नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अधिनियम को वहां लागू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (घ). संबंधित राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विकेन्द्रीकरण

३६४. { **श्री म० ला० द्विवदी** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री एस० हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके इस आशय के वक्तव्य पर कि वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के पक्ष में हैं मंत्रालय की ओर से विभिन्न मंत्रालयों से जो टिप्पणियां मांगी गई थीं उन के सारांश क्या हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर नियुक्त करने की कोई सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो कब तक ; और

(घ) यह प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और इस में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (घ) : इस विषय में सम्बन्धित मंत्रालयों से चर्चा की गई है, किन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

गोआ के लिये चीनी

†३६५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गोआ की स्थानीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए चीनी के स्टाक देना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी चीनी दी जायगी और उसकी कीमत क्या होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) और (ख). गोआ के सौदागर भारत के किसी भी चीनी कारखाने से अपनी आवश्यकता के अनुसार चीनी खरीद सकते हैं क्योंकि भारत में चीनी के मूल्य, वितरण या उसके लाने ले जाने पर कोई नियंत्रण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती कैनेडी की भारत यात्रा संबंधी प्रलेखीय चलचित्र

†३६६. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती कनैडी की इस देश की यात्रा के संबंध में कोई रंगीन प्रलेखीय चलचित्र तैयार किया गया है ; और

(ख) क्या वह चल चित्र अभी हाल में बर्लिन चलचित्र समारोह में दिखलाया गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। मालूम हुआ है कि इसी संबंध में अमरीकी सूचना सेवा द्वारा तैयार की गयी "इन्विटेशन टु इंडिया" नामक एक दूसरी फिल्म बर्लिन चलचित्र समारोह में प्रस्तुत की गयी थी।

कागज उद्योग के लिये लकड़ी की लुगदी

†३६७. { **श्री ह० प्र० चटर्जी :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग के लिए लकड़ी के गूदे के आयात से विदेशी मुद्रा समाप्त हो रही है ;

(ख) क्या हमारे पास ऐसे पेड़ हैं जिन के लगान से हमें सभी आवश्यक गूदा मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी नहीं। कागज उद्योग द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कुल गूदे का केवल लगभग ७ प्रतिशत गूदा ही विदेशों से आयात किया जा रहा है।

(ख) देश में यूकलिप्टस, सलाई, स्प्रूस, फर, आदि कुछ किस्म के पेड़ ऐसे हैं जो लकड़ी का गूदा तैयार करने के लिये उपयुक्त हैं। उन पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी संभव कार्यवाही की जा रही है जिस से जहां तक हो सके, कागज उद्योग की मांग पूरी करने के लिए आवश्यक मात्रा में गूदा मिल सके।

पुनर्वास उद्योग निगम से ऋण

†३६८. { **श्री ब० कु० दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास उद्योग निगम से ऋण प्राप्त करने वाली औद्योगिक संस्थाएं ऋण की शर्तों के अनुसार आवश्यक संख्या में विस्थापित व्यक्तियों को अपने यहां कामकाज नहीं दे सकी हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

*Wood dulp

(ख) यदि हां, ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) अभी तक केवल १७ औद्योगिक संस्थाओं को पुनर्वास उद्योग निगम से ऋण प्राप्त हुए हैं। इन में से केवल ४ संस्थाएं ऋण की शर्तों के मुताबिक आवश्यक संख्या में विस्थापित व्यक्ति को रोजगार नहीं दे सकी हैं।

(ख) विवरण संलग्न है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४४**।]

कांगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज का कारखाना

३६९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री प्र० के० देव :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा जिले में प्रस्तावित अखबारी कागज कारखाने के लिए मुलायम लकड़ी कितनी उपलब्ध हो सकेगी इस के लिए क्या हिमालय व्यास बेसिन में वन सम्पत्ति के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का क्या परिणाम है ;

(ग) किस ने सर्वेक्षण कराया था ; और

(घ) क्या प्रस्तावित विदेशी सहायक भी सर्वेक्षण में शामिल थे?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). हिमालय व्यास बेसिन में मुलायम लकड़ी की उपलब्धि के संबंध में कुछ अनुमान राज्य वन अधिकारियों ने तैयार किये हैं। इस के अलावा, दो फिनिश विशेषज्ञों को भी इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए बुलाया गया है। परिणाम उत्साहजनक हैं। इस आधार पर, पंजाब में अखबारी कागज तैयार करने के लिये एक लाइसेंस एक प्राइवेट पार्टी को जिस के विदेशी सहायक भी संभवत : शीघ्र ही एक दूसरा सर्वेक्षण करने वाले हैं ; जारी किया गया है ।

लघु उद्योग बोर्ड

†३७०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों में लघु उद्योग बोर्ड बनाये जा चुके हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) इन बोर्डों के उद्देश्य क्या हैं ; और

(ग) ये बोर्ड किस प्रकार कार्य करेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) अधिकतर राज्यों ने लघु उद्योग और दस्ताकारी बोर्ड बनाये हैं । उनमें से कुछ राज्यों ने लघु उद्योग और दस्तकारी विकास समन्वय समितियां भी कायम की हैं ।

(ख) ये बोर्ड समितियां दस्तकारी और लघु उद्योगों के विकास के लिये खास कर निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में, राज्य सरकारों को सलाह देती हैं :—

(१) अधिक अच्छी प्रणालियां और सुधरे हुए साज सामान का प्रयोग करना ।

(२) कच्चा माल प्राप्त करना और उसका वितरण करना, ऋण सुविधाओं की व्यवस्था करना, तकनीकी सहायता, बिक्री और प्रशिक्षण की सुविधाएं आदि ;

(३) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों , डिजाइन केन्द्रों और अग्रिम परियोजना केन्द्रों आदि के लिये राज्य सरकारों की योजनाओं की छानबीन, कार्यान्वित और पुनर्विलोकन ;

(४) अच्छी किस्म के माल के उत्पादन के लिए आवश्यक कार्यवाही ;

(५) औद्योगिक सहकारी समितियों का विकास ; और

(६) कुटीर उद्योगों, दस्तकारी और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न विभागों की कार्यवाहियों का समन्वय ।

(ग) ये बोर्ड समितियां सलाहकार संस्थाओं के रूप में काम करेंगी और केन्द्रीय तथा राज्यों की योजनाओं में सम्पर्क भी बनाये रखेंगी ।

इंजीनियरी माल का निर्यात

†३७१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ब० कु० दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से अप्रैल, १९६२ के महीनों में इंजीनियरी माल के निर्यात में भारी कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कमी कितनी थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) निर्यात का लक्ष्य कितना था ; और

(घ) यह कमी क्यों हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क), (ख) और (घ). जनवरी से अप्रैल, १९६२ के दौरान २·९८ करोड़ रुपये के इंजनियरी माल का निर्यात हुआ। जबकि १९६१ में इसी अवधि में २·८२ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था।

(ग) १९६२-६३ के लिए १५·७५ करोड़ रुपया।

गोआ में शिक्षा

†३७२. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि ;

(क) गोआ में शिक्षा के सम्बन्ध में छानबीन करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ख) इनमें से कौन-कौन सी सिफारिशें मंजूर की गई हैं और कार्यान्वित की गई हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय मे रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—३०१/६२]**।

व्यापार बोर्ड

३७३. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार बोर्ड के कार्य में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कुछ सिद्धांत भी व्यापार बोर्ड ने निश्चित किये हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) व्यापार बोर्ड की अब तक कितनी बैठकें हो चुकी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय म अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). व्यापार बोर्ड की बैठक दो बार—९ जून, १९६२ और ६ जुलाई, १९६२ को हुईं। बोर्ड ने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की :—

(१) बाह्य और आंतरिक व्यापार में ईमानदारी।
(२) १९६२–६३ के लिये निर्यात योजना।
(३) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निर्माता—निर्यातकों, व्यापारी निर्यातकों और पुराने आयातकों का महत्व।

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) निर्यात घरों की स्थापना ।
(५) प्रोत्साहनों को सरल और उदार बनाना ।
(६) उदार और बढ़ी हुई ऋण सुविधायें ।
(७) किस्म नियंत्रण ।
(८) जूट, रूई और सूती वस्त्रों के निर्यात की संभावनायें ।
(९) लागत कम करने का कार्यक्रम ।
(१०) निर्यात के क्षेत्र में किये गये अभूतपूर्व कार्य की सार्वजनिक प्रशंसा ।
(११) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इन्स्टीट्यूट की स्थापना ।
(१२) मुक्त व्यापार खंडों की स्थापना करना ।

बोर्ड ने लागत कम करने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक स्थायी समिति बनाने का निश्चय किया है । बोर्ड ने (१) व्यापार में ईमानदारी (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार इन्स्टीट्युट की स्थापना करने तथा (३) मुक्त व्यापार खंडों पर विचार करने के लिये समितियाँ बनाई हैं । बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को एक ऐसी समिति बनाने का भी अधिकार दे दिया है जो निर्यात के क्षेत्र में किये गये अभूतपूर्व काम के लिये सार्वजनिक प्रशंसा करने की एक योजना तैयार करेगी । यह बार्ड व्यापार बोर्ड की नियूक्ति संबंधी संकल्प में सरकार द्वारा निर्धारित निर्देश-पदों के अनुसार बाह्य और आंतरिक व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर भी सलाह देता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन

†३७४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के पिछले अधिवेशन में पारित किये गये संकल्प के अनुसार, जिसमें उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के बारे में सदस्य देशों की सरकारों की राय मालूम करने के लिये कहा गया था, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन के बारे में आर्थिक और सामाजिक परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो बहुमत क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : (क) जी हाँ ।

(ख) अधिकतर राष्ट्र इस सम्मेलन के पक्ष में हैं ।

युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

†३७५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध विराम रेखा के उल्लंघन की कितनी घटनायें हुईं ;

(ख) क्या इन घटनाओं की ओर संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षकों का ध्यान दिलाया गया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन्होंने इन शिकायतों की कोई जांच की ; और

(घ) यदि हां, तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पिछले तीन महीनों में जम्मू और काश्मीर में सीमा/युद्ध विराम रेखा के पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा उल्लंघनों की कुल संख्या ९३ थी।

(ख) ७९ मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों से शिकायतें की गयी थीं।

(ग) जी हां ।

(घ) मुख्य सेना पर्यवेक्षक ने ५ मामलों में पाकिस्तान के विरुद्ध निर्णय दिया है और १० शिकायतों को खारिज कर दिया। ६४ मामलों में अभी तक उसके निर्णय घोषित नहीं किये गये हैं ।

पाकिस्तान के विरुद्ध मुख्य सेना पर्यवेक्षक द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर पाकिस्तान सरकार के पास विरोध व्यक्त किया गया है ।

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

३७६. **श्री म० ला० द्विवदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में भारत से ब्रिटेन को ऐसा कितना कपड़ा भेजा गया जिसकी रंगाई, छपाई अथवा अन्य प्रकार से तैयारी करके वहां से पुनः निर्यात कर दिया गया ; और

(ख) ब्रिटेन ने किन-किन देशों को इस कपड़े का निर्यात किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ब्रिटेन से भारतीय कपड़े का कितने वास्तविक परिमाण में पुनः निर्यात किया गया, इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। तो भी अनुमान है कि पुनः निर्यात कुल आयात का २० प्रतिशत हुआ होगा ।

सामान के निर्यात के लिये प्रचार सामग्री

३७७. **श्री म० ला० द्विवदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय वस्तुओं की खपत बढ़ाने के लिये जो सामग्री बांटी जाती है वह किन-किन भाषाओं में होती है ;

(ख) इस सामग्री में अंग्रेजी की सामग्री का कितना अनुपात रहता है और उस पर १९६१–६२ में कितना व्यय किया गया ; और

(ग) १९६१–६२ में प्रचार सामग्री को तयार करने एवं उसके वितरण पर कुल कितना व्यय किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विदेश स्थित भारतीय मिशनों को निर्यात संवर्द्धन के लिये वाणिज्य प्रचार निदेशालय द्वारा जो प्रचार सामग्री भेजी जाती है, वह केवल अंग्रेजी में होती है। मिशन विभिन्न भाषाओं जैसे फ्रांसीसी, जर्मन, स्पैनिश, इटालवी, स्वीडिश, युगोस्लावियायी, अरबी, फारसी, स्वाहिली, चीनी, इंडोनेशियायी, बर्मी, नेपाली, सिंहाली आदि में प्रकाशित होने वाले अपने-अपने बुलेटिनों में इस प्रचार सामग्री को शामिल कर लेते हैं। निर्यात संम्बन्धी प्रचार प्रमुख विदेशी भाषाओं में आकाशवाणी के द्वारा भी किया जाता है।

(ख) अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ग) वाणिज्य प्रचार निदेशालय (हिन्दी यूनिट को छोड़कर) पर १९६१–६२ में कुल ३,१४,००० रुपये खर्च हुये।

दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में दर्ज कर्मचारी

†३७८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में दर्ज उन कुशल और अकुशल कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें १९५७ से या उससे पहले से रोजगार नहीं मिल सका है ; और

(ख) इस साल उन्हें राजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क)

कुशल	१२८
अकुशल	२८०

(ख) उन सभी कर्मचारियों के मामलों पर, जिनका मालिकों द्वारा चुनाव नहीं किया जा सका, इस दृष्टि से फिर विचार किया जा रहा है कि उन्हें अपना हुनर बढ़ाने या दूसरा कोई काम धंधा जिसमें रोजगार की अधिक गुंजाइश हो, सीखने की सलाह दी जाये।

लघु उद्योगों के लिये कच्चा माल

†३७९. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चे माल की अपर्याप्त सप्लाई के बुरे परिणामों की छानबीन करने का कोई आदेश सरकार ने दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नतीजा निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय मउद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). ऐसी कोई छानबीन नहीं की गयी है। फिर भी, कच्चे माल के सम्बन्ध में, खासकर उन चीजों के बारे में जो विदेशों से मंगायी जाती हैं। छोटे उद्योगों को कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है। इस सामान्य कमी का मूल्य कारण यह है कि सारे देश में नये कारखाने स्थापित किये जाने और वर्तमान कार-

†मूल अंग्रेजी में

खानों के विस्तार के कारण माँग बहुत बढ़ गयी है और विदेशी मुद्रा की स्थिति कठिन हो गयी है। यह स्थिति तभी सुधरेगी जबकि विदेशी मुद्रा की स्थिति सुधरेगी।

रबड़ बोर्ड की श्रम कल्याण योजना

†३८०. **श्री अ० व० राघवन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०, १९६१ और १९६२ में कितने विद्यार्थियों को रबड़ बोर्ड की श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत अधिछात्रवृत्ति दी गयी ;

(ख) अधिछात्रवृत्तियां किन पाठ्यक्रमों के लिये दी गयी हैं ; और

(ग) वर्ष १९६३ के लिये कितनी धनराशि स्वीकार की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क)

१९६०–६१	४५९
१९६१–६१	७८०
१९६२–६३	इस वर्ष के लिये अधिछात्र-वृत्तियाँ अभी दी जा रही हैं वर्ष के अन्त में ही पूरी जानकारी उपलब्ध होगी।

(ख) हायर सेकेन्ड्री, प्रि-युनिवर्सिटी आर्टस और साइंस में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्य-क्रम, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा।

(ग) वर्ष १९६३–६४ के लिये अभी कोई रकम मंजूर नहीं की गई है क्योंकि, इस वर्ष के रबड़ बोर्ड के आय-व्ययक को नवम्बर-दिसम्बर, १९६२ में अन्तिम रूप दिया जायेगा। वर्ष १९६२–६३ के लिये बोर्ड के आयव्ययक में श्रम कल्याण के लिये उपबन्धित १,००,००० रुपये की धनराशि में से बोर्ड ७५,००० रुपये विद्यार्थियों को अधिछात्रवृत्ति देने पर खर्च करेगा।

गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य

†३८१. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़े हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) और (ख). कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य में कुछ सामयिक वृद्धि हुई है। वर्षा समाप्त होने पर मूल्यों के सामान्य हो जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्वालियर रेयन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड

†३८२. **श्री प० कुन्हन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ मई, १९६२ को अतारांकित प्रश्न संख्या १९०२ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्वालियर रेयन मैन्युफक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कोई मकान न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). परियोजना केरल सरकार द्वारा अक्तूबर, १९६१ में मंजूर की गई थी। मंजूर किये गये २५० मकानों में से ११६ मकान निर्माणाधीन हैं और बाकी १३४ मकानों का निर्माण अभी आरम्भ किया जाना है ।

अल्वाय में गन्धक का तेजाब बनाने का कारखाना

†३८३. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्वाय में गन्धक का तेजाब बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये साइमन कार्वस लिमिटेड के साथ किसी संविदा पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो संविदा का क्या ब्योरा है ;

(ग) प्रस्थापित संयंत्र में कितना उत्पादन होगा, और

(घ) संयंत्र में कुल कितने व्यक्ति नियोजित किये जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) संविदा में कुल ३२ लाख रुपये के, (नौतल पर्यन्त निःशुल्क) ब्रिटेन पत्तन पर, मूल्य के उपकरण का संभरण शामिल है ।

(ग) इस कारखाने में प्रति दिन लगभग ४५० टन सल्फरिक एसिड के उत्पादन की आशा है ।

(घ) योजना में श्रमिकों समेत लगभग ५० व्यक्तियों के नियोजन की व्यवस्था है ।

अभ्रक उद्योग में उपदान योजना

†३८४. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमा नाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभ्रक उद्योग में कोई उपदान योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या यह योजना लागू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अभ्रक उद्योग में इस समय कोई उपदान योजना नहीं है ।

(ख) सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार सेवा-निवृत्ति-एवं-उपदान और उत्तरजीविता निवृत्ति-वेतन की अवैधता के लिये व्यवस्था वाली भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं के एकीकरण का प्रश्न परीक्षणाधीन है ।

मद्रास में सहायक काफी विपणन पदाधिकारी का कार्यालय

†३८५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमा नाथ :
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में काफी विपणन सहायक पदाधिकारी का कार्यालय चलाने में कितना व्यय होता है ; और

(ख) इस कार्यलय द्वारा कितने टन काफी एकत्र की जाती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क)

१९६०–६१ . . .	४०,९६५ रुपये
१९६१–६२. . .	४१,०४५ रु०

(ख) यह कार्यालय काफी इकट्ठा नहीं करता । इसका सम्बन्ध मुख्यतः मद्रास, स्थानीय बिक्रय केन्द्रों और विजयवाड़ा में पूल विक्रय केन्द्रों से और आयातित चिकोरी के संग्रह और वण्टितियों को वितरण से हैं ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर

†३८७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड, नार्थ वेस्ट टैनरी वांचिज, कानपुर के कूपर एल न के प्रबन्धकों को बदला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले वर्षों में इन समवायों में उत्पादन बहुत कम हुआ है; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). कूपर एलन और नार्थ वेट टेनरी ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड कानपुर की एक यूनिट है । २३ मई, १९५८ से ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक-मंडल (अन्तरिम प्रबन्ध समिति)

†मूल अंग्रेजी में

के गठन के बारे में समय समय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तै किया जाता है । १४ फरवरी, १९६२ को दिये गये अपीलीय निर्णय में उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ निर्देश दिया कि अन्तरिम प्रबन्ध समिति निदेशक-मंडल चुनने के लिये, जो १ फरवरी, १९६३ से कार्य-भार संभालें, जनवरी, १९६३ में कम्पनी की एक सामान्य बैठक बुलायें । इस समय श्री बी० पी० बजोरिया समेत कुछ अंशधारियों ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन-पत्र दायर किया है । जिसमें नये निदेशक-मंडल के चुनाव के लिये अंशधारियों की सामान्य बैठक शीघ्र बुलाने का आदेश देने की प्रार्थना की गई है । न्यायालय के समक्ष अन्तिम सुनवाई हो गई है और इसके आदेश प्रतिक्षित हैं ।

(ग) जी , नहीं । कूपर एलन और नार्थ वेस्ट टैनरी ब्रांच का उत्पादन वर्ष १९५८ के बाद से कम नहीं हुआ है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक क्षेत्र

३८८. श्री तन सिंह : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष चालीस ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) इन औद्योगिक क्षेत्रों के क्या उद्देश्य हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें क्रमश: इन क्षेत्रों के लिये क्या आर्थिक सहायता देने का विचार कर रही हैं ; और

(घ) ये क्षेत्र कहां-कहां स्थापित किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण साथ में नत्थी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४५ ।]**

नारियल जटा उद्योग

†**३८९. श्री दशरथ देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में नारियल जटा के सामान के संभरण से कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(ख) देश में इस उद्योग के प्रोत्साहन और विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में निर्यात की गई सभी किस्म की नारियल जटा, नारियल जटा के रेशे और नारियल जटा से बनी वस्तुओं का मूल्य क्रमश: ८,६६,७७,००० रुपये और ११,३५,२८,००० रुपये रहा ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४६ ।]**

†मूल अंग्रेजी में

पटसन का निर्यात

†३९०. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ११ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में उत्पादकों को बफर स्टाक एसोसियेशन द्वारा दिये गये पटसन का अधिकतम और न्यूनतम प्रति मन मूल्य क्या है; और.

(ख) बफर स्टाक एसोसियेशन ने पटसन अधिनियम मूल्य पर खरीदा या उस मूल्य पर जो त्रिपुरा में सामान्यतया अन्य व्यापारियों द्वारा दिया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) बफर स्टाक एसोसियेशन द्वारा २०.३२ रुपये और २९.९९ रुपये के बीच मूल्य पर त्रिपुरा पटसन खरीदा ।

(ख) यह खरीद चालू बाजार भाव पर की गई ।

त्रिपुरा में लघु उद्योग निगम

†३९१. **श्री दशरथ देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन त्रिपुरा में त्रिपुरा लघु उद्योग निगम" बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा ;

(ग) आरम्भ में निगम की पूंजी कितनी होगी ; और

(घ) यदि कोई योजना है तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी , हां ।

(ख) आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने के बाद निगम स्थापित किया जायेगा ।

(ग) अंश पूंजी १०,००,००० रुपये कार्य पूंजी ५,००,००० रुपये ।

(घ) योजना का उद्देश्य त्रिपुरा में अत्याधिक तेजी से छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों को कच्चा माल लेने से लेकर तैयार माल के बिक्रय तक सभी संभव सहायता देना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अणु शक्ति केन्द्र

३९२. श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उमानाथ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री अ० चं० बरुआ :
श्री प्र० के० देव :
श्री हेम बरुआ :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **प्रधान मंत्री** २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हयात कमेटी ने दिल्ली-पंजाब-राजस्थान-उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अणु-शक्ति उत्पादन केन्द्रों के लिये जिन दो स्थानों की सिफारिश की थी, उनके बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : अभी तक कोई आखिरी निश्चय नहीं किया गया है ।

जर्मनी को पटसन का निर्यात

†३९३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी भारत से पटसन के आयात में कमी करने का प्रयत्न कर रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाईशाह) :** सरकार को पश्चिम जर्मनी की सरकारकी ऐसी कोई कार्यवाही का पता नहीं है ।

उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का सामाजिक व वार्षिक सर्वेक्षण

३९४. **श्री भगत दर्शन :** क्या **योजना** मंत्री २२ जून, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १६३७क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्र के नये जिलों, चमौली, उत्तर काशी और पिथौरागढ़ का आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करने की जो परियोजना स्वीकार की गई थी उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उस सर्वेक्षण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तीन जिलों में से पिथौरागढ़ जिले का क्षेत्रीय सर्वेक्षण पूरा हो गया है और उत्तरकाशी तथा चमौली जिलों का सर्वेक्षण जारी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सर्वेक्षण का कार्य दो वर्षों की अवधि में पूरा होने की सम्भावना है।

तिब्बत में निरुद्ध भारतीय राष्ट्रजन

३९५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** १६ मार्च १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा पकड़े गये भारतीय राष्ट्रजनों तथा भारतीय संरक्षणाधीन व्यक्तियों को छुड़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों में और कहाँ तक सफलता मिली है?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : १६ मार्च १९६२ को तारांकित प्रश्न संख्या ६९ का उत्तर दिए जाने के बाद से अब तक तिब्बत में चीनी अधिकारियों द्वारा हिरासत में रखे हुए भारतीय और भारत-रक्षित लोगों को मुक्त कराने के संबंध में कोई और प्रगति नहीं हुई है।

ग्राम समाज के निर्बल अंगों सम्बन्धी अध्ययन दल

३९६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **योजना** मंत्री २७ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज के निर्बल अगों की दशा का अध्ययन करके एक अध्ययन मंडल ने जो प्रतिवेदन कुछ समय पहिले समर्पित किया था, उसकी विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४७।]

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में घातक दुर्घटना

३९७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १००५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) २४ अप्रैल, १९६२ को हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नई दिल्ली में एक श्रमिक की घातक दुर्घटना सम्बन्धी जाँच का क्या परिणाम निकला; और

(ख) उस परिणाम के अनुसार क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जाँच अफसर इस परिणाम पर पहुंचा है कि उस मज़दूर की मृत्यु किसी व्यक्ति के जान बुझ कर किये गये कार्य के कारण नहीं हुई, अपितु एक दुर्घटना के फलस्वरूप हुई। यह दुर्घटना कुछ कर्मचारियों द्वारा, साथ ही मृत व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने में पर्याप्त सावधानी न बरतने के कारण हुई।

(ख) प्रबन्धक वर्ग ने उन अफसरों से स्पष्टीकरण माँगे हैं, जिनसे उनके विरुद्ध अनुशासनी कार्रवाई की जा सके। प्रबन्धक वर्ग ने इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए जाँच अफ़सर की सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए, जहाँ तक सम्भव हुआ, उचित कार्रवाई भी की है।

---

†मुल अंग्रेज़ी में

बाल फिल्म संस्था

†३९८. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल फिल्म संस्था का एक उद्देश्य अन्य देशों में बनी बाल फिल्मों से अपनी फिल्मों की अदला बदली करना भी है ;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितनी फिल्में बदली गयी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) जी हाँ।

(ख) कोई नहीं।

(ग) संस्था ने ऐसा करना व्यवहार्य नहीं समझा।

गोहाटी में आकाशवाणी केन्द्र

†३९९. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आकाशवाणी का गौहाटी केन्द्र कचार, मिजो जिला, मनीपुर और त्रिपुरा समेत दक्षिणी आसाम के विभिन्न भाषायी और सांस्कृतिक वर्गों के कार्यक्रमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने और प्रसारण की व्यवस्था करने में अपर्याप्त है ;

(ख) क्या आकाशवाणी के गोहाटी केन्द्र से बंगाली भाषा में प्रसारण की इस समय कोई व्यवस्था नहीं है यद्यपि आसाम में बंगाली एक प्रमुख भाषा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) से (ग). आकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र आसाम में विभिन्न सांस्कृतिक वर्गों के श्रोताओं के कार्यक्रमों का अधिकतर पूरा करता है। गोहाटी से बंगाली संगीत और बोले जाने वाले शब्द सीमित अंश में प्रसारित किये जाते हैं। त्रिपुरा के लिये कार्यक्रम आकाशवाणी, कलकत्ता से प्रतिदिन प्रसारित किये जाते हैं। हाल में चालू किया गया कुरसियोंग केन्द्र, जो बंगाली संगीत और बातचीत प्रसारित करता है, भी आसाम और समीपवर्ती क्षेत्रों में बंगाली श्रोताओं की आवश्यकता को पूरा करेगा।

अम्बर चरखे

†४००. **श्री काशी राम गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में क्रमशः कितने अम्बर चरखे चल रहे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त अवधि में, वर्षवार, प्रति अम्बर चरखा गुच्छियों का औसत दैनिक उत्पादन कितना रहा और उसी अवधि में अम्बर चरखे पर एक श्रमिक की औसत दैनिक आय कितनी रही ; और

(ग) वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१, और १९६१–६२ में क्रमश: अम्बर चरखे की कताई से प्रति वर्ष कितने गज खादी बनायी गयी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) यह अनुमान है कि वर्ष १९५९–६०, १९६०–६१ और १९६१–६२ में देश में क्रमश: १,९२,९६७, २,२३,९६९ और २,३८,५२८ अम्बर चरखे चल रहे थे।

(ख) उपरोक्त अवधि में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रति अम्बर चरखे से औसतन ३––४ गुच्छी प्रतिदिन बनी और प्रतिदिन कातने वाले की औसत आय ३७ नये पसे से ५० नये पैसे रही।

(ग) वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमश: २५६ और २३४ लाख वर्ग गज वर्ष १९६१–६२ में अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार उस वर्ष अम्बर धागे से २३३ लाख वर्ग गज खादी बनायी गयी।

मनीपुर में हथकरघे

†४०१. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में लगभग १ लाख ७५ हजार हथकरघे हैं और जिनके लिये प्रति वर्ष ६ से ७ करोड़ रुपये का धागा मनीपुर में बाहर से आयात करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह सच है कि मनीपुर और त्रिपुरा को ५०,००० तकुवे आवंटित किये गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थानीय रूप से धागा बनाने के लिये एक कताई मिल स्थापित करने के लिये स्थानीय प्रशासन (मनीपुर) ने क्या व्यवस्था की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) मनीपुर में २,००,२५८ हथकरघे हैं। मनीपुर में आयात किय गये धागे के मूल्य का प्रशासन से पता लगाया जा रहा है और जानकारी सभा पटल पर रख दी जावेगी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) मनीपुर में एक सहकारी कताई मिल स्थापित करने की योजना प्रशासन द्वारा अखिल भारत हथकरघा बोर्ड को भेजी गयी है और इसका निरीक्षण कया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

नारियल जटा का रेशा

†४०२. **श्री नटराज पिल्ले :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा बोर्ड ने मशीनों द्वारा नारियल जटा धागा बनाने और रबड़-युक्त रेशा बनाने की सिफारिश की है ; और

(ख) क्या बोर्ड के इस सुझाव के अनुरूप कोई उद्योग आरम्भ करने के लिये किसी राज्य ने कोई कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। केरल, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में गद्दे/कडे धागे के निर्माण के लिये रेशा निर्माण संयत्र (डिफाइबरिंग प्लांट) आरम्भ करने के लिये कदम उठाये गये हैं। मद्रास राज्य में तिरुनेलवेल्ली जिले में पेट्टाई में रबड़युक्त नारियल जटा की वस्तुएं बनाने का एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है।

ऊन के तकुए[1]

†४०३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन के तकुवों की रद्दी ऊन के तकुओं[2] में बदलने की अनुमति देने की माँग है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) समय समय पर ऐसे सुझाव दिये गये हैं। विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुये सरकार ऐसी कोई अनमति नहीं दे सकती।

राजस्थान में तांबा और पीतल से बनी वस्तुयें

†४०४. **श्रीमती मैमूना सुल्तानाः क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में कोटा में तांबा तथा पीतल से वस्तुएं बनाने के लिये एक भारत-अमरीका संयुक्त उपक्रम को लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी उत्पादन क्षमता का लाइसेंस दिया गया है ; और

(ग) संबंधित भारतीय और अमरीकी फर्मों में समझौते की क्या शर्तें हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो) :** (क) जी, हां।

---

†मुल अंग्रेजी में

[1]Woollen spindles

[2]Shody spindles

(ख) ट्यूब, छड़ और कर्तन

	प्रति वर्ष
(१) अलौह खोखले	१२०० टन
(२) अलौह ठोस	६०० टन
मुद्रण मशीनों के लिये तांबे के मुद्रण रोल . . .	५००० रोल

(ग) मुख्यतः शर्तें ये हैं :—

(१) अमरीकी कम्पनी का अंशदान कुल सम पूंजी के ३३१/३ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(२) संयंत्र का डिजाइन बनाने, इंजीनियरिंग सेवा, जानकारी और तकनीकी सहायता आदि देने की जिम्मेदारी अमरीकी कम्पनी की होगी और इसके बदले में उनको ३,३८,००० रुपये का भुगतान अमरीकी डालरों में किया जायेगा।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित आर्थिक आयोजन सम्मेलन

†४०५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अगस्त, १९६२ में जनेवा में आर्थिक आयोजन संबंधी एक सम्मेलन आयोजित कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इसमें भाग ले रहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने अपनी अन्तिम बैठक में आर्थिक विकास के लिये आयोजन संबंधी एक संकल्प स्वीकार किया था। इस संकल्प ने अन्य बातों के साथ महासचिव को कुछ विशेषज दलों की सहायता से, एक ऐसा अध्ययन तैयार करने को कहा था जिसमें विभिन्न देशों में आर्थिक विकास के आयोजन में प्राप्त किये गये अनुभव और अपनाई गई विभिन्न प्रविधियों का संक्षेप वर्णन हो। महासचिव के नियंत्रण पर योजना आयोग के श्री तरलोक सिंह विशेषज्ञों की इस बैठक में भाग ले रहे हैं जो चालू मास में होगी।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में क्वार्टरों का निर्माण

४०६. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १६ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली के चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों को गिरा कर नये सिरे से बनाने का जो निश्चय किया गया था उसे कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस क्षेत्र में इस प्रकार के कुल कितने क्वार्टर थे ;

(ग) उनमें से कितने अब तक खाली कराये जा चुके हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उन क्वार्टरों से हटाये गये कर्मचारियों को किन अन्य स्थानों पर क्वार्टर दिये गये और वहां उनके बच्चों की शिक्षा आदि के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) से (घ). पंचकुइयां रोड क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये कुल ११५१ क्वार्टर हैं। शुरू में ६४४ क्वार्टरों को ढहाया जायेगा, जिससे उनके स्थान पर नये क्वार्टर बनाये जा सकें। ४५४ क्वार्टरों को, उनके निवासियों को रामकृष्णपुरम में स्थानान्तरित करके, खाली करा लिया गया है और बाकी १९० क्वार्टरों के निवासियों को भी शीघ्र ही दूसरी जगह निवास स्थान दे दिया जायेगा। क्वार्टरों को ढहाने का काम जल्दी ही आरम्भ किया जायेगा।

विद्यालय इत्यादि का रामकृष्णपुरम में प्रबन्ध कर दिया गया है।

क्वार्टरों के निर्माण के लिये सिंगरेनी कोयला खानों को ऋण

†४०७. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरैनी कोयला खान कम्पनी ने क्वार्टरों के निर्माण के लिये कोयला खान कल्याण संघ की आवास निधि से बिना ब्याज के १.५० करोड़ रु० का ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह स्वीकृत हो गया है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) नहीं। परन्तु उन्होंने कोयला खान कल्याण संघ से प्रार्थना की थी कि वे १४९.१४३ लाख रु० का जो वे क्वार्टरों के निर्माण के लिये लेना चाहते हैं, ब्याज दें।

(ख) और (ग). निधि ब्याज उठाने में असमर्थ है, परन्तु एक कोयला क्षेत्र के आवास खाते से दूसरे खाते में राशि रखने के प्रश्न पर विचार हो रहा है ताकि जहां आवश्यकता हो वहां अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सके।

बहुप्रयोजनीय संस्थाओं के लिये क्वार्टर

†४०८. **श्री र० ना० रेड्डी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोठागुडियम, वेल्लमपल्ली और मलन्देव कोयला खानों में, बहुप्रयोजनीय संस्थाओं के कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर बनाने की योजना स्वीकार कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब शुरू होगा ; और

(ग) उनके कब तक पूरे होने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रायलय में उप श्रममंत्री (श्री हाथी)**: (क) अभी नहीं। प्राक्कलनों की जांच पड़ताल हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) कार्य आरम्भ होने से ६ मास में।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुराने बंगलों का निरीक्षण तथा मरम्मत

†४०६. **श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहिले गृह-कार्य मंत्री के बंगले की छत से काफी प्लास्टर उनके बिस्तर पर गिर गया था और वह बुरी तरह घायल होने से बाल बाल बचे ;

(ख) क्या यह सच है कि इससे पहिले भी अन्य मंत्रियों तथा संसत्सदस्यों के बंगलों से भी इसी प्रकार की घटनाओं की सूचना मिली थी ;

(ग) यदि हां, तो छतों का इस दृष्टि से गहन निरीक्षण करने के लिये विभाग ने क्या कार्यवाही की कि उनकी छतें रहने के लिये ठीक हैं या नहीं ; और

(घ) सामयिक निरीक्षण की क्या प्रक्रिया है और जिन मकानों में ऐसी घटनायें हुई हैं उनके बारे में लापरवाही के लिये कौन जिम्मेदार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) पिछले महीने में गृह-कार्य मंत्री के बंगले में सोने के एक कमरे में छत से प्लास्टर गिर गया था।

(ख) विभिन्न समयों पर अन्य बंगलों में भी इस प्रकार प्लास्टर गिरा है।

(ग) और (घ). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारी नियमित रूप से सभी बंगलों का निरीक्षण करते हैं और उन्हें आवास योग्य बनाये रखने के लिये भरसक प्रयास किया जाता है। फिर भी, स्थिति यह है कि अनेक बंगले तीस वर्ष से अधिक पुराने हैं और उनकी छतेंजैकआर्क प्रकार की बनी हैं या इंटों की हैं और उनकी अवधि समाप्त हो गई है। सरकार बड़ी बड़ी मरम्मत के कार्य पहिले ही स्वीकृत कर चुकी है। इन कामों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की सिफारिश पर इन बंगलों की छत दुबारा डालना भी शामिल है। जब भी बंगले मरम्मत के उपलब्ध होते हैं, तो ये मरम्मत कार्य किया जाता है।

परबेलिया कोयला खान

†४१०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के जिला पुरूलिया में परबलिया कोयला खान में खनन कार्य हड़ताल के कारण २० जुलाई, १९६२ को बन्द हो गया था ;

(ख) क्या हड़ताल का कारण यह था कि भारतीय मजदूर कांग्रेस से सम्बद्ध दो संघों में मान्यता के लिये प्रतिद्वन्दिता थी ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) हां।

(ख) हड़ताल भारतीय मजदूर कांग्रेस के संघ ने इसका विरोध करने के लिये आरम्भ किया था कि प्रबन्धकों ने दो मजदूरों को काम से निकाल दिया था।

(ग) हड़ताल शीघ्र समाप्त कराने का प्रयास किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लन्दन में फिल्म समारोह

†४११. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लन्दन मे भारतीय फिल्म संस्था अगस्त, १९६२ में भारतीय फिल्म. का एक समारोह का आयोजन कर रही है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ):** इस बारे मे सरकार को केवल समाचारपत्रों में छपे समाचार की जानकारी है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान

†४१२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री राम रत्न गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई मे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये लगभग २,००० अतिरिक्त मकान बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उनका श्रेणीवार विभाजन क्या होगा ; और

(ग) वे कब तैयार हो जायेंगे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना):** (क) दिल्ली और बम्बई में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये सामान्य पूल में १९८४ मकानों का निर्माण पिछले दिनों में आरम्भ किया गया है या किया जा रहा है ।

(ख) इन मकानों का श्रेणीवार विभाजन निम्न है :—

	दिल्ली	बम्बई
५०० रु० या अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये	१४६	९६
५०० रु० से कम वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये	१४६२	३२
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये .	२४८	—
योग . .	१८५६	१२८

(ग) ये मकान निर्माण कार्य आरम्भ होने की तारीख और अपेक्षित समय के अनुसार विभिन्न समय पर तैयार होंगे । आशा है कि सारा प्रोग्राम लगभग दो वर्ष मे पूरा हो जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी म

सरकारी विज्ञापन

४१३. **श्री किशन पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने के नियमों में कोई परिवर्तन होने जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को सरकारी विज्ञापन देने के लिये कोई औपचारिक नियम नहीं बनाये गये हैं ।

ग्रामीण आवास

†४१४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री रा० स० तिवारी :
श्री दी० चं० शर्मा ।

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यवार, यदि जानकारी उपलब्ध हो, ग्रामीण आवास व्यवस्था पर देश भर वस्तुतः कितना व्यय हुआ है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना मे राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) वर्ष १९६२–६३ के लिये राज्यवार कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) और (ख). दूसरी पंचवर्षीय योजना काल मे प्रत्येक राज्य सरकार ने ग्राम आवास परियोजना योजना के अन्तर्गत कितनी सहायता ली और तीसरी योजना काल में उसके लिये कितना धन आवंटित किया गया है, यह दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]** । योजना केवल दूसरी योजना काल में लागू हुई थी ।

(ग). राज्य सरकारों को ग्राम आवास परियोजना योजना सहित अनेक योजनाओं के अन्तगत चालू वर्ष में प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता का आवंटन अभी निर्धारित नहीं किया गया है ।

रेडियो स्टेशन

४१५. **श्री बागड़ी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत मे कितने रेडियो स्टेशन हैं और उनमे कितने कर्मचारी कार्य करते हैं; और

(ख) इनमें से कितने अनुसूचित जातियों के और कितने अनुसूचित आदिम जातियों के हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

सूचना और प्रसारण मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

हुब्ली को-आपरेटिव काटन मिल्स में मजदूरों की मजूरी

†४१६. **श्री मोहसिन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूचना मिली है कि को-आप्रेटिव काटन मिल्स, हुब्ली (मैसूर राज्य) में मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी राज्य के अन्य किसी भी कपड़ा मिल में दी जाने वाली मजूरी के अपेक्षा बहुत ही कम है ; और

(ख) क्या कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशें को-आप्रेटिव काटन टेक्स्टाइल मिल्स में भी लागू की जायगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)**: (क) अलग अलग मिलों में दी जाने वाली मजूरी संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) यदि को-आप्रेटिव काटन टेक्स्टाइल मिल्स बोर्ड की रिपोर्ट पर सरकार के संकल्प के पैरा ७ के अन्तर्गत न आता हो, तो उस पर सिफारिशें पहिले से लागू हैं।

अलीगंज नई दिल्ली में क्वार्टर

†४१७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगंज, नई दिल्ली में चतुथ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर मरम्मत के लिये पिछले वर्ष खाली कराये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच उनकी मरम्मत हो गई है ;

(ग) मरम्मत का काम कब पूरा हुआ था ;

(घ) क्या वे अभी तक पुनः नहीं दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (ङ). अलीगंज में चतुर्थ श्रेणी के लगभग २०० क्वार्टर वर्ष १९६१ मे विस्तृत मरम्मत के लिये खाली कराये गये थे। १११ क्वार्टरों की मरम्मत पूरी होने वाली है और आशा है कि सितम्बर, १९६२ के मध्य तक वे दिये जाने के लिये दे दिये जायेंगे। बाकी क्वार्टरों की मरम्मत हो रही है।

पटसन से अखबारी कागज

†४१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन प्राद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, कलकत्ता पटसन तथा पटसन की डंडियों से अखबारी कागज या कागज तथा अनेक अन्य उत्पादों का उत्पादन करने के लिये प्रयोग कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी मे

(ख) यदि हां, तो प्रयोग किस अवस्था में है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) डिब्बा बनाने का कागज और छपाई का कागज का वाणिज्यिक पैमाने पर निर्माण करने का प्रयोग सफल रहा है। संस्था पटसन की डंडियों से रेअान ग्रेड की लुगदी बनाने पर भी प्रयोग कर रही है। परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुये हैं।

अस्पृश्यता निवारण संबंधी फिल्म

†४१९. श्री दी० चं० शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण के लिये फिल्म बनाने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) प्रदर्शनार्थ इसके कब तक तयार होने की संभावना है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) निर्माता ने जुलाई, १९६२ में कथानक का पुनरीक्षण प्रारूप प्रस्तुत किया है। निश्चित कथानक तैयार करने के लिये इसे उस पर सरकार का मत बता दिया गया है।

(ख) यह नहीं बताया जा सकता कि प्रदर्शन के लिये फिल्म कब तैयार होगी।

पंजाब को वित्तीय सहायता

†४२०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में अधिक वित्तीय सहायता देने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांग है ; और

(ग) वस्तुतः कितना धन स्वीकृत किया गया है ?

†योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिये २ करोड़ रु० की अतिरिक्त ऋण सहायता की प्रार्थना की गई थी।

(ग) केन्द्र में इस प्रोग्राम के लिये कोई व्यवस्था न होने के कारण, कोई भी राशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

पंजाब में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल

†४२१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत पंजाब में कोई अस्पताल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां।

(ख)

अस्पताल/अनेक्सी का नाम	प्रगति
१. अमृतसर—१२५ बिस्तर का सामान्य अस्पताल	भूमि ले ली है और नक्शा तथा प्राक्कलन स्वीकृत हो गये हैं।
२. यमुनानगर—५० बिस्तर का सामान्य अस्पताल.	भूमि ले ली है। नक्शा और प्राक्कलन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।
३. फरीदाबाद—५० बिस्तर का सामान्य अस्पताल.	स्थान निश्चित हो गया है और शीघ्र कब्जा मिलने की आशा है। नक्शा तथा प्राक्कलन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।
४. फरीदाबाद—१२ बिस्तर की क्षयरोग की अनेक्सी	फरीदाबाद के असैनिक अस्पताल में अनेक्सी बनाने का विचार है। नक्शा तथा प्राक्कलन विचाराधीन हैं।
५. क्षय रोग की (१२, १२ बिस्तरों की) अमृतसर तथा धर्मपुर में अनेक्सियां।	निर्माण हो रहा है।
६. जलंधर—२४ बिस्तर की अनेक्सी . .	नक्शे तथा प्राक्कलन स्वीकृत हो चुके हैं।

प्रबन्धक सक्षमता प्रमाणपत्र परीक्षा

†४२२. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल धनबाद के बजाये दक्षिण भारत में द्वितीय श्रेणी के योग्य प्रबन्धक प्रमाणपत्र परीक्षा करवे का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अगली परीक्षा दक्षिण भारत में करने की कोई संभावना है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दक्षिण भारत से बहुत थोड़े उम्मीदवार परीक्षा में बैठते हैं और इस आधार पर वहां केन्द्र बनाना न्यायोचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औचित्य प्रश्न के बारे में

†**श्री बागड़ी** (हिस्सार) : श्रीमान, औचित्य प्रश्न के हेतु . . .

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुन लीजिये। कल मुझे यह सलाह दी गई थी कि जो मुझे बहुत पसन्द आई कि जो साहब प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहते हों वह फौरन पहले बतायें कि किस रूल को उल्लंघना हुई है, किस रूल का वायोलेशन हुआ है या किस की पाबन्दी नहीं हो रही है और इस के बाद हो वह अपना प्वाइंट आफ आर्डर पेश करें।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं निवेदन करना चाहता हूं :

श्री प्रिय गुप्त : डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर भी जब कहते है कि अंडर पब्लिक इंटिरेस्ट में कोई बात नहीं बता सकते, है, तो उनको भी कहा जाना चाहिये कि वे कोट करें कि किस रूल के तहत उनको ऐसा कहने को पावर मिली हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कहना चाहते है आप ?

श्री प्रिय गुप्त : हम लोगों को जब कोट करने के लिये कहा जाता हैं तो मंत्रियों को 'सार्वजनिक हितों" की आड़ लेते समय नियम बताने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा एक नियम हैं, और मंत्री ऐसा कह सकते हैं।

श्री प्रिय गुप्त : हम लोगों को आप बांध कर रखना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : बांध कर रखने की इस में क्या बात है ?

श्री बागड़ी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब कोई कालिंग एटेंशन नोटिस दिया जाए तो उसका आपकी तरफ से तहरीरी जबाब आना चाहिये कि वह रिजेक्ट हो गया हैं। एक दफा सदन में जब यह सवाल आया था तो आपने कहा था कि अगर दस बजे उसे दिया जाया करेगा तो उसका जबाब दिया जा सकेगा। मैं ने कालिंग एटेंशन नोटिस आपको दस बजे दे दिया था जो बर्फ खराब पकड़ी गई है, उस के बारे में, वह था। लेकिन एक साहब आए और मुझे कह गए कि आपका कालिंग एटेंशन डिसएलाऊ हो गया है : कैसे हुआ हैं क्यों हुआ हैं, इसका कोई ब्यौरा नहीं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस तरह के नोटिसिस का तहरीरी जबाव आना चाहिये।

श्री प्रिय गुप्त : लिख कर हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : जबाब मिल गया हैं और अब मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं रह गई है। आर्डर्ज आपकी तरफ़ से मिल गये है।

श्री प्रिय गुप्त : ज़बानी दिया गया हैं (**अन्तर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता हैं कि सवाल मुझ से किया जा रहा हैं और जवाब वहां से दिया जा रहा है। अगर मैम्बर साहब इस को अपने जिम्मे ले लें तो (अन्तर्बाधा)। आप बोलते ही चले जायेंगे या मुझे भी कुछ कहने देंगे। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी मैम्बर को बोलते जाने से बन्द कर सकूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

अगर दस बजे आ जाया करेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका तहरीरी जवाब मिल जाया करे। अगर आज नहीं मिला है तो आइंदा जरूर तहरीरी जवाब आपको पहुंचा दिया करूंगा। बर्फ का काम पार्लियामेंट का नहीं है। इसकी चूंकि म्यूनिसिपल कारपोरेशन पड़ताल करती है, इस वास्ते इसको पार्लियामेंट में नहीं लाया जा सकता है। बर्फ १५० मन पकड़ी गई है, यह सवाल ऐसा नहीं है, जिस पर पार्लियामेंट का वक्त लगाया जाए।

श्री बागड़ी : चूंकि इस में मिलावट हुई थी, इस वास्ते मैं इसको यहां रखना चाहता . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

रुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया एस० ओ० संख्या २२०३ और चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ जून, १९६२ को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८८ में प्रकाशित रुई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—२९५/६२]**।

(२) उद्योग विकास तथा (विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाला गया दिनांक १६ जुलाई, १९६१ का एस० ओ० संख्या २२०३। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९६ / ६२]**

(३) वर्ष १९५९—६० के लिये चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २९७/६२]**

लाइसेंस प्राप्त नमक उत्पादकों को ऋण देना (संशोधन) नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं नमक उपकर अधिनियम १९५३ की धारा ६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००७ में प्रकाशित लाइसेंस प्राप्त नमक उत्पादकों को ऋण देना (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—२९८ / ६२]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : ७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर में २३ जून से ३१ जुलाई, १९६२ तक हुई रेल दुर्घटनाओं की संख्या बताई गई थी। इन में से १४ में व्यक्ति हताहत हुए थे। ३१ जुलाई को एक और दुर्घटना हजारीबाग में हुई जिस से संख्या १५ हो गई है। मैं एक विवरण पटल पर रखता जिस में २३ जून से ३ अगस्त तक हुई १५ रेल दुर्घटनाओं और हताहतों का ब्योरा दिया हुआ है तथा रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताई गई है। शेष दुर्घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ और बहुत कम नुकसान हुआ है। इन सब मामलों में भी पूरी जांच की जाती है। मैं यह वक्तव्य पटल पर रख रहा हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—२९६/६२]**।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): इस पर चर्चा के लिए समय निश्चित किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर विचार करूंगा।

सभा का कार्य

†**संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: आज की कार्य सूची में सरकार ने ७ घंटे का का काम रखा है जो आज और कल के लिए काफ़ी होगा। यदि उस ने यह काम जल्दी समाप्त कर लिया, तो श्री दी० चं० शर्मा : के सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रस्ताव पर चर्चा करेगा। इसी सूची में अनुपूरक कार्य के रूप में सम्मिलित किया जायेगा।

†**श्री नम्बियार** (तिरूचिरापल्ली) : उप समिति की सिफारिशों के अनुसार उन सात संकल्पों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं बचन देता हूं कि इन को भी लिया जायेगा।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं कि अभी मंत्री महोदय ने जो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया है, उस का हिन्दी अनुवाद भी होना चाहिये। यह इंग्लिस्तान नहीं है इस लिये केवल इंग्लिश वालों को सन्तुष्ट करने का यत्न नहीं किया जाना चाहिये। हम भी यहां बैठे है। यह भारतवर्ष हैं और इसकी भी कोई भाषा हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप ने मुझ को एक के लिये लिखा था कि उसका हिन्दी तर्जमा हो, वह मैं ने कर दिया। इस को भी देख लिया जायेगा।

माननीय विधि मंत्री।

श्री रामेश्वरानन्द : मुझे कोई उत्तर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : जो उत्तर दिया जाता हैं, अगर आप उसको सुनते ही नहीं तो मेरी मजबूरी हैं, मैं क्या करूं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मैं सुनता क्यों नहीं हूं ? बैठा ही इसी लिये हूं। मेरे कान बन्द थोड़े ही हैं ?

विशिष्ट सहायता विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय विधि मंत्री !

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** श्रीमान क्या आप उपमंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आज्ञा देंगे ?

†**विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** मैं प्रस्ताव करता हूं --

"कि कुछ प्रकार की विशिष्ट सहायता सम्बन्धी विधि की परिभाषा करने और तत्सम्बन्धी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिस में इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात्, डा० मा० श्री० अणे, श्री ब्रजवासी लाल, श्री ब्रज राज सिंह कोटा, श्री छत्तर सिंह, श्रीमती जोहरा-बहन अकबर भाई चावदा, श्री च० ला० चौधरी, श्री धवन, श्री न० र० घोष, श्री अब्दुल गनी गौनी, श्री हरिश्चन्द्र हेडा, श्रीमती जमुना देवी, श्री गुलाबराव केशवराव जधे, श्री योगेन्द्र झा, पंडित ज्वालाप्रसाद ज्योतिषी, श्री निहार रंजन लास्कर, श्री मसुरिया दीन, श्री विभूधेन्द्र मिश्र, श्री डेविड मुंजनी, श्री दे० द० पुरी, श्री अ० वे० राघवन, स्वामी रामेश्वरानन्द, श्री रेड्डयार, श्री अ० त्री० शर्मा, श्री सिद्धय्या, श्री क० क० सिंह, श्री कृष्ण पाल सिंह, डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, श्री उमा नाथ, श्री पें० वैकटसुब्बय्या और श्री अशोक कुमार सेन ;

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को भी बतायें ।"

विशिष्ट सहायता अधिनियम भारत में १८७० से लागू रहा है। जैसा कि विधि आयोग ने कहा है, यह बहुत अच्छा काम करता है, किन्तु इस में अब भी सुधार की गुंजाइश है। सुधार दो प्रकार के हो सकते हैं। औपचारिक, संमोधन, जिस से भाषा में सुधार किया जा सके। दूसरा यह कि मतलब को स्पष्ट किया जाये, ताकि निर्णयों के भिन्न भिन्न होने के कारण वाद विवाद को खत्म किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि आयोग के प्रतिवेदन को राज्य सरकारों में परिचालित किया गया था । और अब उन सब ने उस के सिद्धान्तों को स्वीकार किया है । यह विधेयक मुख्य अधिनियम में विधि आयोग की सिफारिशों का समावेश करना चाहता है । धारा ४२ से सम्बन्धित सिफारिश को छोड़ कर अन्य समस्त सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है ।

जहां तक अधिनियम को लागू करने का सम्बन्ध है यह अनुसूचित जिलों पर लागू नहीं होता । विधि आयोग इसे वहां लागू करने का कोई औचित्य नहीं देगा । सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम जिस में इस प्रकार के सिद्धांत हैं, वहां लागू होता है । आधुनिक विधान की प्रवृत्ति यह है कि ये अनुसूचित जिला क्षेत्रों में लागू होते हैं । यदि किसी समय कोई कठिनाई महसूस है, संविधान की छटी अनुसूची के अन्तर्गत सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्त्तन हटा सकती है । यह शक्ति मौजूद है । इसलिए उनकी राय है कि यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू किया जाये ।

एक महत्वपूर्ण सिफारिश धारा ९ के बारे में है । इस धारा को खत्म किया जा रहा है क्योंकि इस के अन्तर्गत शीघ्र कार्यवाही नहीं की जा सकती और इस के कारण विश्वादग्रस्त कब्जे के मामलों में कई प्रकार के मुकदमें शुरू हो जाते हैं ।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण संशोधन की ओर निर्देश करता हुं वह यह है कि धारा ४५ से ५१ तक तक को अध्याय ८ से निकाल दिया जाये । यह अनुभव किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद २२६ के लागू हो जानेके बाद इन धाराओं की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है । अनुच्छेद २२६ न्यायालयों को इन धाराओं की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तियां प्रदान करता है । फिर विधि आयोग ने यह मत प्रकट किया है कि धारा ४५ की उपधारा (च) और (छ) ६ संविधान के अनुच्छेद २२६ के अनुकूल नहीं है । विधि आयोग ने कहा है कि न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से न रोका जाये । इसलिए ये उपधारायें संविधान के शक्ति परस्तात् हैं ।

अधिनियम की धारा ५० सारे अध्याय के विपरीत है इसलिए इन सब कारणों से उस ने यह सुझाव दिया है कि चूंकि पर आदेश के अलावा लख अन्य बहुत से रूपों में मिल सकते हैं, इसलिए यह अध्याय बिल्कुल हटा दिया जाये ।

फिर एक और महत्वपूर्ण सुझाव उस ने यह दिया है कि धारा ५६ की उपधारा (घ) भी हटा दी जाये चूंकि यह भी संविधान के अनुच्छेद ३६१(१) के शक्तिपरस्तात है । विधि आयोग का यह सुझाव मान लिया गया है कि । अब मैं धारा ४२ की ओर आता हूं जिस के बारे में आयोग की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई । उस की राय थी कि धारा ४२ का परन्तुक हटा दिया जाये । यदि उस परन्तुक को निकाल भी दिया जाये तब भी व्यवहार प्रक्रिया संहिता में एक वैसा ही उपबन्ध मौजूद है जिस के लोप के लिए आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की । यदि विधि आयोग की सिफारिश मान ली जाये, तो इस का अर्थ विशिष्ट सहायता अधिनियम से इस उपबन्ध को निकालना होगा । इस का भिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ेगा क्योंकि एक मुकदमा इस लिए असफल नहीं होगा कि आगे सहायता नहीं मांगी गई ।

आगे विधि आयोग यह चाहता है कि यह धारा केवल सम्पत्ति के अधिकारों पर नहीं बल्कि सब कानूनी अधिकारों पर लागू हों । यह सुविख्यात है कि घोषणा के अलावा धारा ४२ और कुछ प्रदान नहीं करती । इसलिए यदि इस अधिकार को घोषणा कर भी दो जाये, इससे किस पक्ष को न्यायालय में जाने से रोका नहीं जा सकता । इस से बाद बढेंगे । इस से यह स्वीकार नहीं किया गया ।

[श्री विभुधेन्द्र मिश्र]

ये विधि आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं। चूंकि यह विधेयक संयुक्त समिति में जा रहा है इस लिये मैं औपचारिक संशोधनों को नहीं ले रहा हूं। प्रस्ताव के स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना करता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री मान सिंह पू० पटेल** (मेहसाना) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके द्वारा मुख्य अधिनियम की कुछ अनावश्यक धाराओं को समाप्त किया जा रहा है।

धारा ९ बहुत आवश्यक है और उसे कायम रखना चाहिये क्योंकि वह उस मालिक को संरक्षण प्रदान करती है जिसकी सम्पत्ति अन्यथा अनधिप्रवेशक द्वारा ग्रहण कर ली जायेगी। संयुक्त समिति को, जिसके पास यह विधेयक जा रहा है, डा० एन० सी० सेनगुप्त के विमति टिप्पण को दृष्टि में रख कर इस मामले पर विचार करना चाहिये।

खंड २१ में जो 'उचित मामले में' शब्द आये हैं, वे आवश्यक नहीं हैं। खंड १९ अनावश्यक हैं, धारा ९ की उपधारा (१), (३) और (४) पर्याप्त होनी चाहिये। उन मामलों की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये जिनमें न्यायालय अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे क्योंकि उससे मुकदमेबाजी बढ़ जायेगी।

विधेयक के प्रारूप में सुधार किया जाना चाहिये, कुछ अनावश्यक शब्द निकाल देने चाहियें। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विधि आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये विधेयक यथाशीघ्र उपस्थित किया जाये। कानून को संहिताबद्ध करने का कार्य तेजी से किया जाना चाहिये।

†**श्री पु० र० पटेल** (पटना) : यह बहुत अच्छी बात है कि यह विधेयक विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार बनाया गया है।

मुख्य अधिनियम की धारा ९ को अब हटा दिया गया है। यह बहुत शीघ्रता का उपचार था। इसमें बेदखली के मामलों के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था की, इसे बनाये रखना चाहिये था संयुक्त समिति को इस मामले पर विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि क्या उससे कुछ संशोधन करके उसे कायम रखा जा सकता है।

खंड ११(१) में व्यवस्था है कि न्यायालय ठेके के एक किसी अंश को पूरा करने का आदेश नहीं देगा।

उपखंड (२) मे व्यवस्था है कि यदि ठेकेदार पूरे काम का अपना भाग पूरा करने में असमर्थ हो, और यदि उसका काम पूरे काम का एक बहुत ही छोटा सा अंश हो, और धन के रूप में उसका प्रतिकर दिया जा सकता हो, तो न्यायालय प्रतिकर दिला सकता है। यह बिलकुल उचित है। यदि आप उपखंड (२) और उपखंड (३) की भावना को देखें तो आप उपखंड (३) की व्यवस्था को स्वीकार करने में हिचकेंगे।

धारा की व्यवस्था के अनुसार यदि पूरे काम का एक छोटा सा अंश रह जाये, तो उसके लिये प्रतिकर अदा करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति बेचता है, और यदि उसका एक बड़ा भाग ऐसा है जिसे प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, तो विधि के अनुसार उसकी पूरी राशि अदा करनी पड़ेगी और प्रतिकर का अधिकार नहीं रहेगा। विधि मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये कि यह कहां तक उचित व्यवस्था है। संयुक्त समिति को इसकी छानबीन करनी चाहिये।

खंड १२ का उपखंड (घ) भी ठीक नहीं लगता। संयुक्त समिति को इस पर बारीकी से विचार करना चाहिये। उपखंड (घ) को संशोधित किया जाना चाहिये।

खंड १७ में की गई व्यवस्था को खंड २५ की व्यवस्था के साथ रख कर देखिये। खंड २५ में कहा गया है कि यदि दोनों पक्षों की पारस्परिक चूक के कारण किसी संविदा या करारनामें में वास्तविक अभिप्राय व्यक्त न हो पाया हो, तो कोई भी पक्ष न्यायालय के जरिये उसे ठीक करा सकेगा। व्यवस्था यह होनी चाहिये कि जो पक्ष उसे ठीक कराना चाहे वह खंड २५ की व्यवस्था के अन्तर्गत मुकदमा दायर करे। ऐसे मामलों में मौखिक साक्ष्य की व्यवस्था नहीं रहनी चाहिये।

आशा है कि माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों पर विचार करेंगे।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : मैं इस विधेयक का इसी रूप में स्वागत करता हूं। इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं और उनका कारण यह है कि विधि आयोग के सदस्यों ने साधारण जनता की कठिनाइयां नहीं समझी हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि विशिष्ठ सहायता अधिनियम की धारा ९ की व्यवस्थाओं को इसमें क्यों नहीं रहने दिया गया है। उसमें व्यवस्था है कि यदि किसी पक्ष की अचल सम्पत्ति पर कोई दूसरा पक्ष गैर-कानूनी तरीके से काबिज हो जाये, तो उसे न्यायालय-शुल्क में रियायत दी जा सकती है।

इस मामले में हक का कोई साक्ष्य आवश्यक नहीं था। विधि आयोग ने कहा है कि कुछ मामलों में साक्ष्य लिया गया था, लेकिन वह न्यायपालिका की गलती थी। गलती का कारण यह है कि न्यायपालिका में कालेज से हाल ही निकले कुछ अनुभवहीन लोगों को भर लिया जाता है। इसका इलाज यही है कि अनुभवी लोगों को लिया जाये, यह नहीं कि यह व्यवस्था ही हटा दी जाये।

यह विशिष्ठ सहायता अधिनियम सन् १८७७ से लागू चला आ रहा है। उसने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। इसलिये धारा ९ को इसमें से हटाया नहीं जाना चाहिये।

उच्च न्यायालयों को अपने नियम बनाने की शक्ति दी गई है। उच्च न्यायालयों ने गरीब जनता को मुकदमेबाजी से दूर रखने के लये अपना न्यायालय शुल्क काफी बढ़ा दिया है।

इस संबंध में कोई भी वैधानिक व्यवस्था नहीं की गई है। मेरा ख्याल है कि धारा ४५ को हटा देना चाहिये। इसलिये अब जनता के मूलभूत अधिकारों का महत्व और बढ़ गया है। यदि उन मूलभूत अधिकारों को केवल संविधि पुस्तक तक ही सीमित नहीं रखना है, तो गरीब जनता को भी उच्च न्यायालय तक पहुंचने देना चाहिये। संसद चाहे तो अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत इस संबंध में विधि बना सकती है।

रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित धारा ४४ की व्यवस्था को हटाने का प्रश्न भी इतना ही अहम है। ग्रामीण इलाकों के न्यायालयों के न्यायाधीशों और शहरी न्यायालयों के न्यायाधीशों के विचारों में अधिक अन्तर नहीं रहना चाहिये। बहुत से न्यायाधीश तो मुकदमे के पहले और मुकदमे के विचाराधीन रहने के काल में 'रिसीवरों' की नियुक्तियों में कोई भी अन्तर नहीं मानते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

'रिसीवर' ऐसे ही व्यक्ति को बनाया जाना चाहिये जो ईमानदार हो और विवेकपूर्ण ढंग से अपना निर्णय दे सके। जब मामला विचाराधीन हो, तब उस काल में रिसीवर की नियुक्ति से और पेचीदगी पैदा हो जाती है।

आवश्यकता इस बात की थी कि 'रिसीवर' की नियुक्ति के प्रश्न को एक विस्तृत रूप से पेश किया जाता, पर उसके बदले धारा ४४ को ही हटाया जा रहा है।

इसलिये मेरा सुझाव है कि धारा ४४ की विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिये। और इसे मुख्य विषय बनाना चाहिये न कि इसे संविधि में से निकाला जाये।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड ८ एक नया खंड है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इसे क्यों रखा गया है जबकि यह काम खंड ४(क) से चल सकता था। हमने उस व्यवस्था को निकाल दिया है। और कहा गया है कि इसके निकालने के बाद संविदा अधिनियम के अधीन उस पक्ष को सभी सहायता मिलने लगेगी। लेकिन मेरा विचार है कि धारा ४ के खंड (क) का लोप करने और और नये खंड ८ द्वारा वैसा उपबन्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस खंड से मुकदमेबाज़ी को अनेक प्रकार के बचाव के साधन मिल जायेंगे जिससे मुकमेबाज़ी और लम्बी खिच जायेगी।

खंड ९ जो मुख्य अधिनियम की धारा १२ को नया रूप प्रदान करता है, आवश्यक नहीं है क्योंकि वह कुछ शाब्दिक परिवर्तनों और मुख्य अधिनियम के दृष्टांतों के लोप के अतिरिक्त अन्य क रता।

मुख्य अधिनियम की धारा २१ को नया रूप देने की कोई आवश्यकता नहीं है जैसाकि खंड १३ में किया जा रहा है। यह एक खराब कदम है तथा उससे बहुतों को कठिनाई होगी।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि इस विधि में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा है कि संयुक्त समिति विशिष्ट प्रतिपालन के प्रश्न पर नगरेता क्षेत्रों में राय लेगी और विधेयक में वांछनीय संपरिवर्तन करेगी।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर) : माननीय मंत्री ने जो विधेयक रखा है उसमें मूल अधिनियम की अपेक्षा धाराओं की संख्या कम कर दी गई है। इसलिये वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं। मेरा विचार है कि इस विधेयक का लाना इसलिये आवश्यक था कि क्योंकि कुछ अधिनियम जो वर्तमान परिस्थितियों में बेकार से हो गये हैं संशोधित होने योग्य हैं और इसलिये भी कि हमारे संविधान में कई निवारक उपाय हैं और सुविधायें पहले हमें उपलब्ध नहीं थीं।

यह कहना न्यायोचित नहीं है कि "न्यास" शब्द की परिभाषा पूर्ण नहीं है। इस विधेयक में परिभाषा इस ढंग से की गई है कि वह भारतीय न्यास अधिनियम में दी गई परिभाषा से मिलती जुलती है तथा वर्तमान विधेयक में जो त्रुटि है, वह उससे दूर हो जाती है।

इस अधिनियम में कुछ नई धारायें जोड़ दी गई हैं, कुछ वर्तमान धाराओं में संशोधन कर दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह वर्तमान विशिष्ट सहायता अधिनियम आज के वर्तमान समाज के बिलकुल अनुकूल है। यह सत्य है कि इस अधिनियम में समाज के परिवर्तित स्वरूप के अनुकूल समय समय पर परिवर्तन होते रहेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ८ का उपबन्ध जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी को संविदा अधिनियम में उपलब्ध समस्त रक्षा सुविधायें दी गई हैं केवल खंड ४ में ही शामिल किया जाना चाहिये था।

वर्तमान अधिनियम की धारा ९ के लोप से उसमें भूमि पर तत्कालीन काबज व्यक्ति को शीघ्रता से कानूनी कार्यवाही की सुविधा से वंचित कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रार्थी या वादी को अपनी शिकायत को शीघ्रता से दूर कराने की व्यवस्था की जाये। संयुक्त प्रवर समिति इस मामले पर पुनः विचार करे।

खंड १३ का स्वागत है। देश की परिवर्तित स्थिति को ध्यान में रख ते हुये ही यह उपबन्ध किया गया है। खंड २१ का भी स्वागत है। इसमें दावों की संख्या को बहुत बढ़ जाने से रोकने की बहुत क्रियाकारी व्यवस्था है।

खंड ४० के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि जिसके अनुसार उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जहां व्यादेश जारी नहीं किये जा सकते।

धारा ४२ में घोषित डिग्री के सबध में कुछ सहायता निर्धारित की गई है। वर्तमान अधिनियम की धारा ४५ को ठीक से नहीं लिया गया है। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद २२६ या ३२ के अन्तर्गत क्रियाकारी तथा शीघ्रतापूर्ण कानूनी कार्यवाही की सुविधा उपलब्ध है इसलिये मैं समझती हू कि यह धारा इस अधिनियम के लिये आवश्यक नहीं है।

यह विशिष्ट सहायता विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। और नये संशोधनों के द्वारा उन सभी उपबन्धों को इसमें सम्मिलित कर लिया गया है जो संविदा अधिनियम के अधीन आ जाते थे। मैं इस पक्ष में भी हू कि धारा ९ को बिधेयक में सम्मिलित किया जाये।

हां इतना अवश्य कहूंगी कि जनता को न्याय देर से मिलता है। लेकिन साथ ही यह भी मानती हू कि यह धारा ९ न्याय करने में देर नहीं करती।

अन्त में यही कहूंगी कि मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि सयुक्त समिति इस विधेयक पर अच्छी तरह विचार करेगी।

†**श्री गौरी शंकर** (फतेहपुर) : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मुकदमों की पुनरावत्ति को यह विधेयक किस प्रकार रोकेगा।

इस विधेयक के द्वारा धारा ९ को निकाल दिया गया है। लेकिन इस धारा में तो सम्पत्ति से वंचित किये गये व्यक्ति के लिये कानूनी सुविधा की व्यवस्था है। और अब इसको इस आधार पर निकाल दिया गया है कि उससे कई स्थानों पर कार्यवाही की आवश्यकता को टाला जा सके। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कई हैं जो मामलों के बढ़ जाने के साथ साथ जारी हैं। इस धारा के निकाल देने से बहुत कठिनाई का सामना होगा, क्योंकि यदि नियमित मुकदमे का वचार किया गया है तो इसमें बहुत विलम्ब हो जायेगा। तथा इससे बहुत सी कठिनाई भी बढेगी। तथा मुकदमे के निबटने में समय भी बहुत ही लगेगा। हो सकता है कि वादी को १०–१२ वर्ष तक भी प्रतीक्षा करनी पड़े।

नये खंड ८ में जो उपबन्ध है उससे मामला बहुत जटिल हो जायेगा। इसका अर्थ है कि किसी फैसले पर पहुंचने के लिये अधिक समय तथा अधिक व्यय करना होगा। खंड ११ से वादी को

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गौरी शंकर]

राहत के स्थान पर कठिनाई का सामना करना होगा। क्योंकि अपना कोई दोष न होते हुये भी उसे अपने स्वत्व दावे के एक भाग का त्याग करना होगा। कुछ उपबन्ध जैसे खंड ३५ तथा खंड ३६ बिलकुल फालतू से हैं। क्या विधेयक में उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिये था। यह उचित होगा कि समस्त विद्यमान अधिनियमों जैसे संविदा अधिनियम सम्पत्ति हस्तांतरण अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम आदि को एक साथ लिया जाता तथा उन अधिनियमों के संबंध में विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें एक दूसरे से सम्बद्ध किया जाता। उससे विधि को सरल बनाया जा सकता था। तथा मुकदमों को बढ़ने से रोका जा सकता था।

धारा ४२ का स्वागत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। मेरा यही निवेदन है कि धारा ९ को भी रखा जाये।

अन्त में मेरा यही निवेदन है कि संयुक्त समिति के सदस्य इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों की छानबीन करें तथा इसे इस प्रकार से सरल बनायें जिससे कि किसी व्यक्ति को बिना विलम्ब के न्याय मिल सके।

†**श्री रा० बरुआ** (जोरहाट) : विधि मंत्रालय को इस विधेयक के प्रस्तुत करने के लिये मैं बधाई देता हूं।

मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि विधेयक से वर्तमान अधिनियम की धारा ९ को ठीक ही छोड़ दिया गया है। क्योंकि इससे वादी को कोई लाभ नहीं पहुंचता और उल्टा मुकदमेबाजी बढ़ती है। उस धारा में अपील का भी कोई उपबन्ध नहीं था केवल उच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिये याचिका की ही व्यवस्था थी जो प्रक्रिया खर्चवाली है। सहभोगिता के संबंध में खंड १३ को समाप्त कर दिया जाये। यदि इसे रखा गया तो इससे लोगों को अनावश्यक परेशानी बढ़ेगी। सहभागिता अधिनियम एक व्यापक अधिनियम है जो सहभागियों में उत्पन्न हुये झगड़ों से संबंधित है।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : अधिकतर भाषण देने वाले इस अधिनियम की धारा ९ के लोप के पक्ष में हैं। अन्य सब तर्कों पर विधि आयोग ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। धारा ९ के अन्तर्गत आज्ञप्ति से कोई हक नहीं मिल जाता। निःसन्देह इससे मुकद्दमे अधिक हो जायेंगे। श्री त्रिवेदी ने कहा कि नये स्नातकों को जिला जज बना दिया जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है।

यह कहा गया है कि यद्यपि मुकद्दमा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४५ के अन्तर्गत चलाया जाता है, परन्तु मामला असैनिक न्यायालय को भेजना पड़ता है। अन्तर को याद रखना चाहिये। धारा १४५ के अन्तर्गत मुकद्दमा निरोधक है। शांति कायम रखने के लिये मैजिस्ट्रेटों को कुछ शक्तियां देना आवश्यक है। जब तक वे कब्जे के संबंध में किसी सक्षम असैनिक न्यायालय द्वारा हक का निर्णय किये जाने तक कोई अध्यादेश न दे सकें सरकार को शांति रखना कठिन होगा।

†**श्री गौरी शंकर** : धारा १४५ के अन्तर्गत कब्जे पर निर्णय मुन्सिफ अदालत को भेजा जाता है। मैं मुन्सिफ न्यायालयों की इस स्थिति की ओर ध्यान दिला रहा था जिससे दोहरापन होता है।

†**श्री अ० कु० सेन** : धारा १४५ के अन्तर्गत किसी हक्क का निर्णय नहीं किया जाता। यदि मुन्सिफ इस का निर्णय करे तो इसमें क्या हर्ज है? इसका धारा ९ पर चर्चा से क्या संबंध है?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गौरी शंकर : उसी मुन्सिफ को दो बार निर्णय करना पड़ता है । पहले तो कब्जे का मामला उस के पास भेजा जाता है फिर उसे वहीं मामला निपटाना पड़ता है । जहां दाहे-रापन था ।

†**श्री विभुधेन्द्र मिश्र** : नये खंड ८ के लगाने पर आरोप लगाया गया है । प्रतिवादी—क्या सफाई दे सकता है तब इसकी व्यवस्था की जाती है तो कहा जाता है कि यह चोर के हाथ में रोशनी देने के तुल्य है । जब तक इन सफाइयों का विशेष रूप से जिक्र नहीं किया जाता तो यह सफाइयां विशिष्ट सहायता अधिनियम के अन्तर्गत मुकद्दमों मे नहीं पेश की जा सकेंगी ।

यह कहा गया है कि अध्याय ८, धाराओं ४५ से ५१ का लोप नहीं किया जाना चाहिये था । कोई समय था जब शक्तियां तीन उच्च न्यायालयों को दी गई थीं । अब हमारा विधान है और सब उच्च न्यायालय परमादेश लेख जारी करते हैं । यह भी कहा गया था कि धारा ४५ (च) और (छ) संविधान के अनुच्छेद २२६ के विरुद्ध हैं । धारा ५० जोड़ी गई थी । यह सारे अध्याय ८ का शून्यीकरण करता है । अतः इस अध्याय का लोप करना उचित समझा गया था ।

विधि आयोग ने सिफारिश की है कि उदाहरण नहीं दिये जाने चाहियें । इससे न्यायपूर्ण विधि शास्त्र का विकास नहीं होता है । मामला संयुक्त समिति के सामने जा रहा है और यह फिर सदन के सामने आयेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :—

"कि कुछ प्रकार की विशिष्ट सहायता संबंधी विधि की परिभाषा करने और तत्संबंधी विधि को संशोधित करने वाले विधेयक का दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें इस सभा के ३० सदस्य, अर्थात्, डा० मा० श्री अणे, श्री ब्रजबासी लाल, श्री बृजराज सिंह—कोटा, श्री छतर सिंह, श्रीमती जोहराबहन अकबरभाई चावदा, श्री च० ला० चौधरी, श्री धवन, श्री न० र० घोष, श्री अब्दुल गनी गोनी, श्री हरिश्चन्द्र हड़ा, श्रीमती जमना देवी, श्री गुलाबराव केशव राव जेझे, श्री योगेन्द्र झा; पंडित ज्वालाप्रसाद ज्योतिषि, श्री नीहार रंजन लास्कर, श्री मसुरिया दीन, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री डेविड मुजनी, श्री दे० द० पुरी, श्री अ० व० राघवन, स्वामी रामेश्वरानन्द, श्री रेड्डियार, श्री अ० त्रि० शर्मा, श्री सिद्धय्या, श्री कृ० का० सिंह, श्री कृष्णपाल सिंह, डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी, श्री उमानाथ, श्री पे० वेंकटसुब्बय्या और श्री अशोक कुमार सेन ;

और राज्य सभा के १५ सदस्य हों ;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों मे संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री चि० सुब्रह्मण्यम का वक्तव्य अगले विधेयक के बाद होगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : श्री सुब्रह्मण्यम को पहले वक्तव्य देने दिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे वक्तव्य दे दें ।

छोटी कार बनानें के बारे में वक्तव्य

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : अध्यक्ष महोदय, यह मामला कुछ समय से सरकार के विचराधीन रहा है । कल मंत्रीमण्डल ने इस मामले पर विचार किया और निर्णनय किया गया ।

मोटर गाड़ी उद्योग पर १९५९ में नियुक्त तदर्थ समिति ने थोड़ी कीमत वाली कार की आवश्यकता और भारत में उस के निर्माण पर जांच की । सरकार ने इस प्रतिवेदन पर ६ सितम्बर, १९६० के संकल्प में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का निर्णय किया जो कि देश में कार बनाने की सम्भावना पर विचार करेगी । वह कार ६,५०० रुपयों के लगभग सरकार को उपलब्ध होगी । सरकार ने यह भी निर्णय किया कि यदि विशेषज्ञ समिति ने यह कहा कि ऐसी कार का निर्माण सम्भव है, तो परियोजना सरकारी क्षेत्र में आरम्भ की जाएगी । एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी गई । १९६१ जून में दिए गए प्रतिवेदन में समिति ने यह राय दी कि यदि ५०,००० कारें प्रतिवर्ष बनाई जाएंगी तो लगभग ५,१०० रुपये निर्माणी मूल्य होगा और यदि २०,००० प्रतिवर्ष कारें बनाई जायेंगी तो निर्माणी मूल्य ६,१५० रुपये होगा । इस में उत्पादन-शुल्क नहीं होगा । उस समिति ने सिफारिश की थी कि फ्रांस की "रेरेनाल्ट फैक्टरियों" के सरकारी निगम की "दोफीन" नमूने की कार टैक्नीकल तथा आर्थिक विचार से हमारी आवश्यकता के लिये सर्वोत्तम हैं ।

"रेनाल्ट निगम" से बाद में विस्तृत बार्ता हुई तथा प्रस्थापनाओं पर विचार हुआ जिससे पता लगा कि "दोफीन" नमने की कार ३।। वर्ष तक २०,००० प्रतिवर्ष की दर पर बनाया जा सकेगा । इसके निर्माण में ९० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुएं आरम्भ में प्रयोग में लाई जाएंगी । तीन वर्ष ९० प्रतिशत वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा । निर्माण आरम्भ होने के तीन वर्ष में ५०,००० कारें प्रतिवर्ष बनाई जाएंगी ताकि उत्पादन की कीमतें कम हो जाएं । यह भी विचार किया गया कि इस प्रयोजन से अपेक्षित मुद्रा १५ वर्षीय ऋण से पूरा किया जाएगा तथा अदायगी उत्पादन के पांच वर्ष बाद आरम्भ होगी । व्याज की अदायगी, पूंजी अदायगी और इंजनीयरिंग शुल्क के लिये इस कारखाने का लगभग ११ प्रतिशत उत्पादन के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जन की कोशिश की गई । इस में "रेनाल्ट निगम" पूरा सहयोग देगा । पहले बर्षों में पुर्जों और अन्य चीजों के निर्यात के लिये

---

†मल अंग्रेजी में

अदायगी फ्रांस को उन्हें जो साधारणतया माल निर्यात किया जाता है उस से भिन्न प्रकार का माल निर्यात करके की जाएगी। 'रेनाल्ट निगम' ने हमारे साथ मेहनत की और हमारी कठिनाइयां दूर करने के लिये हमारी बहुत सहायता की।

रेनाल्ट से तय किए गए रूप में मामला उन मंत्रालयों को जो उसमें हित रखते थे और योजना आयोग को भेजा गया ताकि उन के विचार पता चल जाए और मामला मंत्री मण्डल को भेजा जाए।

सरकार के निर्णन के विशेष कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति में प्रश्न परियोजना की अच्छाई का नहीं है, परन्तु यह कि इसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिये। यद्यपि छोटी मोटरकार तैयार करने की बात सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप से तैयार होने से पहले सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली थी, फिर भी इसे तीसरी योजना में लेना सम्भव नहीं हो सका। क्योंकि उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं की संख्या बहुत हो गई जिन के लिये रुपया मुद्रा में विदेशी मुद्रा के संसाधन पर्याप्त नहीं थे। तब से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ, परन्तु उल्टी हालत और खराब है। परिणामतः छोटी मोटर कार की परियोजना को प्राथमिकताओं की किसी भी सूची में नहीं डाला जा सकता।

(२) मोटर गाड़ियों के क्षेत्र में प्राथमिकता वाणिज्यक गाड़ियों के पक्ष में होनी चाहिये।

(३) यद्यपि परियोजना के लिये विदेशी संसाधन दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु कारों के विदेशों में निर्यात सम्बन्धी आशाएं, तथा फ्रांस को अपरम्पराबध वस्तुओं का भेजना भी बिल्कुल निश्चित नहीं था।

(४) सब संसाधनों से वर्तमान और आगामी ऋण जो हमें उपलब्ध होंगे वे ब्याज और पूंजी आदि की अदायगी की हमारी क्षमता के सम्बन्ध में ऋण देने वाले देशों की राए पर आधारित होंगे। अतः जो भी धन बाहर जाएगा वह हमारे लिये ठीक नहीं होगा।

परियोजना की तुरन्त कार्यान्विति से न केवल धन का व्यय होगा बल्कि भौतिक संसाधन जैसे वस्तु सामग्री (उत्पादन के लिये) इस्पात तथा विद्युत् और परिवहन की सुविधाओं इत्यादि का भी व्यय होगा। इन सब की हमारे पास कमी है। अतः जिस परियोजना की वर्तमान परिस्थितियों में ऊंची प्राथमिकता नहीं है उस पर हम इन में से किसी को भी व्यय नहीं कर सकते।

इन सब कारणों से सरकार ने फैसला किया कि छोटी कार के निर्माण की परियोजना को तुरन्त शुरू नहीं किया जा सकता तथा इस परियोजना को स्थगित रखना होगा। हमें उचित परिस्थितियों तक इस पर विचार स्थगित करना होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिमी) : क्या दूसरी सस्ती कार की परियोजना जिस के सम्बन्ध में कल प्रतिरक्षा मंत्रालय ने बताया बनाई जानी है ? क्योंकि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां तो सब मंत्रालयों को हैं।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह भिन्न बात है और यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्रालय से पूछना चाहिये।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : यह मंत्रीमण्डल का निर्णय है। क्या मंत्रीमण्डल ने इस परियोजना पर विचार करते समय उस पहलू पर भी विचार किया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वे अलग प्रश्न की सूचना दे दें ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** (राजनन्दगांव) : इस वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को बांटी जायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** ये माननीय सदस्यों को बाँट दी जायेंगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या मंत्री मण्डल ने जब इस परियोजना को रोकने का निर्णय किया था, तो हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी की सस्ती कार परियोजना को भी ध्यान में रखा था या नहीं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं ने इस परियोजना पर मंत्री मण्डल का निर्णय बता दिया है । यदि कोई और निर्णय मंत्रीमण्डल के विचार के लिये आएगा तो उस पर उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा ।

महाप्रशासक विधेयक

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) :** श्री अ० कु० सेन की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि महाप्रशासक के पद और कर्तव्यों सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने के आदेश के साथ श्री भागवत झा 'आजाद', श्री स० मो० बनर्जी, श्री रा० गि० दुबे, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री काशी राम गुप्त, श्री शिव चरण गुप्त, श्री जो० ना० हजारिका, श्री इकबाल सिंह, श्री हरि विष्णु कामत, श्री चेरियान केप्पन, श्री खाडिलकर, श्री कुन्हन, श्री लहरी सिंह, श्री ललित सेन, श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा, श्री मनायन, श्री जसवन्त राज मेहता, श्री बाकर अली मिर्ज़ा, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री मोहन नायक, श्री घनश्यामलाल ओझा, श्री रा० शि० पाण्डेय, श्री राम सिंह, श्री हरिचरण सोय, श्री म० प० स्वामी, श्री कृष्ण देव त्रिपाठी, श्री तुलाराम, श्री राम सेवक यादव, श्री भीष्म प्रसाद यादव और श्री अशोक कुमार सेन की प्रवर समिति को सौंपा जाये ।"

महा प्रशासक के सम्बन्ध में कानून वर्ष १८६९ में बना था और केवल राजनैतिक कारण से बना था । यह अंग्रेजों के वाणिज्यक हितों के लिये बनाया गया था ।

अधिनियम का मुख्य प्रयोजन यह था कि किसी व्यक्ति की मत्यु की अवस्था में उस की सम्पत्ति को रक्षित किया जायेगा । यदि मत्यु के तुरन्त बाद 'प्रोबेट' या प्रशासन-पत्र पेश नहीं किये गये तो मृतक की ओर से सम्पत्ति को प्रबन्ध के लिये महा प्रशासक ले लेता है । फिर १९१३ के अधिनियम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य में महा प्रशासक होना चाहिए । वे केवल २,००० रुपये से कम सम्पत्ति के सम्बन्ध में कार्यवाई कर सकते थे । इस प्रकार अधिनियम आरम्भ हुआ ।

इस अधिनियम के प्रयोजन के लियें दो प्रकार के व्यक्ति हैं—छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त । यह कानून गैर छूट प्राप्त व्यक्तियों के लिये बनाया गया है । भारतीय ईसाई, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, बौद्ध छूट प्राप्त व्यक्तियों की व्याख्या में आते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा ६ केवल गैर छूट प्राप्त व्यक्तियों की सम्पदाओं के संरक्षण के सम्बन्ध में इस धारा के अन्तर्गत यदि कोई गैर-छूट प्राप्त व्यक्ति २,००० रुपये से अधिक की जायदाद छोड़ कर मर जाये और मृत्यु के एक महीने के अन्दर कोई आवेदन-पत्र नहीं देता है तो सम्पदा के प्रशासन के लिये उच्च-न्यायालय से प्रशासन पत्र लेने के लिये उचित समय में महाप्रशासक कार्यवाई करेगा। धारा ६ केवल गर-छूट प्राप्त व्यक्तियों पर लागू होती है और गैर छूट प्राप्त व्यक्ति अंग्रेज थे।

यह अधिनियम कलकत्ता, बम्बई, और मद्रास स्थित सम्पत्तियों पर लागू होता है। यह गैर छूट प्राप्त व्यक्तितियों के अतिरिक्त लोगों पर भी लागू होता है। धारा १० के अन्तर्गत, उच्च-न्यायालय महाप्रशासक को प्रशासन-पत्रों के लिये आवेदन पत्र देने के लिये कह सकता है। यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी और आस्तियों के बिगड़ने की सम्भावना हो। महाप्रशासक को यह आदेश दिया जा सकता है कि जब तक किसी मामले में ऐसी आस्तियों के बारे में उत्तर अधिकारी का निर्णय नहीं हो जाता तब तक वह आस्तियों की देखभाल करे। जब कि किसी ऐसे व्यक्ति के मामलों में, जिसे छूट दी गई हो, और जब न्यायालय भी यह समझे कि उस काल की आस्तियों के लिये उसे संरक्षण देना आवश्यक है, न्यायालय महाप्रशासक को प्रशासन पत्र दे सकता है ।

ये इस अधिनियम की मुख्य धारायें हैं—जिन के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि किन परिस्थितियों में महाप्रशासक मृत-व्यक्ति की सम्पति को अपने अधिकार में ले सकता है, और उसे खराब न होने दे। उस समय भारत में ऐसा अंग्रेजों के साथ होता था। विधि आयोग की भी यही राय थी कि यह अच्छा पद है और इस सिद्धान्त को सारे देश पर लागू किया जाना चाहिये और विभिन्न श्रेणियों के लोगों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। और इस अधिनियम से छूट दिये गये व्यक्तियों की परिभाषा को निकाल देना चाहिये। और सभी व्यक्तियों को एक स्तर पर रखना चाहिये। विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि प्रेजीडेंसी नगर बम्बई, कलकता और मद्रास में स्थित सम्पत्ति को अन्य स्थानों की सम्पति से अधिक नहीं मिलना चाहिये ।

विधि आयोग ने सिफारिश की है कि ये सब अनियमितताये समाप्त की जानी चाहियें और उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति की ठीक देखभाल हो।

मैंने उन गौण संशोधनों का जिक्र नहीं किया कि महा प्रशासक, और उप-महा प्रशासक की शक्तियां क्या हैं? मैं खण्ड २१ का उल्लेख करना चाहता हूं जिस में यह कहा गया है कि महा प्रशासक के सम्बन्ध में जम्मू और काश्मीर राज्य के न्यायालय के इच्छा पत्र की संघ के अन्य राज्यों में भी मान्यता की जानी चाहिये। पारस्परिक आधार पर उन्होंने यह कहा है कि वे अपनी विधि में इस प्रकार का उल्लेख करेंगे कि भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया गया कोई भी इच्छापत्र उन के राज्य में भी मान्य होगा। यह बात खंड २१ द्वारा रखी गयी है ।

खंड ५४ के अधीन जिला न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वह अर्जित व्यक्ति के मत्यु के तत्काल पश्चात् महा प्रशासक को इसकी जानकारी दे देवें। तथा महाप्रशासक द्वारा सम्पति को लिये जाने से पहले उसकी व्यवस्था अपने हाथों में ले लेवें। तथापि अब यह संकट हटा दिया गया है ।

मैं विधेयक के मुख्य सिद्धान्त और सिफारिशें बता चुका हूं। अब यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है। विधेयक के पुरस्थापन के समय यह प्रश्न उठाया गया था कि संक्षिप्त नाम में बहुवचन जब कि विधेयक में इस वचन का प्रयोग किया गया है। श्री कामत ने इसे त्रुटि समझा थी। वस्तु स्थिति यह है कि हम प्रत्येक राज्य में एक महा प्रशासक नियुक्त करना चाहते हैं। इसी कारण यह अंतर आ गया है।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि महाप्रशासक के पद और कर्तव्यों सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने के आदेश के साथ श्री भागवत झा "आजाद", श्री स० मो० बनर्जी, श्री रा० गि० दुबे, श्री म० ला० द्विवेदी, श्री काशी राम गुप्त, श्री शिव चरणगुप्त, श्री जो० ना० हजारिका, श्री इकबाल सिंह, श्री हरि विष्णु कामत, श्री चेरियान कप्पन, श्री खाडिलकर, श्री प० कुन्हन, श्री लहरी, सिंह, श्री ललित सेन, श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा, श्री मनायन, श्री जसवन्त राज मेहता, श्री बाकर अली मिर्जा, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री मोहन नायक, श्री घनश्याम लाल ओझा, श्री रा० शि० पाण्डेय, श्री राम सिंह, श्री हरि चरण सोय, श्री म० प० स्वामी, श्री कृष्ण देव त्रिपाठी, श्री तुला राम, श्री राम सेवक यादव, श्री भीष्म प्रसाद, यादव और श्री अशोक कुमार सेन की प्रवर समिति को सौंपा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

दिल्ली में बिजली की व्यवस्था का खराब होना

श्री बिशनचन्द्र सेठ (एटा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी के सम्बन्ध में बहुत समय से हमारे सदन में अनेक प्रकार की बातें आती रहीं हैं और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार के सामने समय समय पर अनेक प्रकार के सुझाव रखे गये और जो कष्ट जनता के थे वे भी सामने लाये गये। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी केन्द्रीय सरकार, देश की राजधानी जैसे महत्वपूर्ण स्थान में भी आज बिजली और पानी जैसी जीवन की दैनिक आवश्यकताओं का उचित प्रबन्ध नहीं कर पा रही है।

मैं कभी कभी यह सोचने लगता हूं कि सामान्य जीवन के दिनों में, जब कि हमारे देश के सामने कोई भी महत्वपूर्ण समस्या नहीं है, देश सामान्य स्थिति में चल रहा है, पानी और बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय का हमारी सरकार प्रबन्ध करने में अपनी असमर्थता अनुभव कर रही है। ईश्वर न करे कि देश के सामने कोई महत्वपूर्ण क्लेश आ जाये, तब हमारी देश की क्या स्थिति होगी? यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसे सोच कर मेरे दिमाग में बड़ी उलझन और परेशानी पैदा होती है।

मैं आप से बताना चाहता हूं

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

कि आज से कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में छपा था, उसी का रेफेरेंस देना चाहता हूं ...

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट के लिए आप मुझे इजाजत दें सेठ साहब तो बेहतर होगा। इस बहस में बहुत से माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोई टाइम लिमिट मुकर्रर कर दी जाए तो अच्छा होगा। आपको मूव करने के लिये १५ मिनट काफी होंगे ?

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं तो ऐसा मानता हूं कि इस पर ज्यादा बोलने वाले लोग नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इत्तला मिली है कि काफी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कौन साहब इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं ?

(कुछ माननीय सदस्य अपनी जगह पर खड़े हुए)

६ या दस हो गये और मुमकिन है कि शायद एक, आध और कोई आ जाय इसलिए आप २० मिनट ले लीजिये और बाकी माननीय सदस्य १५ मिनट का समय लें ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : ठीक है जैसी आपकी आज्ञा ।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार) : जैसा आप ने कहा है वैसा ही होगा।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहली अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में यह खबर छपी थी कि दिल्ली कारपोरेशन की मीटिंग में बिजली के जनरल मैनेजर ने इस बात को खास तरीके से पेश किया कि हमारे जेनेरेटर्स इतने पुराने हो गये हैं कि जितनी ताकत उन के जरिए से बननी चाहिए वह नहीं बन रही है। अगर उन को चलाया गया तो वह और रिस्की हो जायेंगे और अगर जरा ओवरलोड किया गया तो और भी ज्यादा दिक्कत आयेगी। इसी के साथ साथ ५ अगस्त के हिन्दुस्तान टाइम्स में पुनः इसी चीज के सम्बन्ध में एक बड़ा लम्बा चौड़ा स्टेटमेंट निकाला। मैं आप को यहां पर यह बतलाना चाहता हूं कि उस ५ तारीख वाली सूचना में एक बड़े मजाक की बात कही गई है। उस में दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी वालों ने अपने सारे चार्जेज पंजाब वालों पर डाले हैं और उन्होंने कहा है कि इस के लिये खतावार पंजाब की इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है। दूसरी ओर पंजाब वालों ने इस के लिए सारा का सारा उतरदायित्व दिल्ली वालों पर डाला है। यह कन्फयूजन हमारे सामने है ।

दिल्ली जो कि हमारे देश की राजधानी है औ जहां विभिन्न देशों के राजदूत रहते हैं वहां का सारा का सारा प्रबन्ध ऐसा होना चाहिए जिस पर गर्व किया जा सके क्योंकि केन्द्र की राजधानी होने के खातिर दिल्ली की ओर सब की नजर रहती है। दिल्ली में अनेकों देशों के बड़े बड़े लोग आया करते हैं और सामान्य जीवन की आवश्यकताएं जैसे पानी और बिजली आदि का भी जब हम समुचित प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं तो उसका उन सभी पर एक खराब असर पड़ता है और वह हमारे देश के बारे में कोई अच्छी राय कायम नहीं कह सकते हैं।

मैं इसी के सम्बन्ध में आप से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जो स्टेटमेंट टेबुल पर रखखा गया है उस में स्पष्ट अंकित है कि अक्तूबर १९६१ में सब स्टेशन फेल हुआ था। उस में यह लिखा है कि जो जेनेरेटर या जो मशीन फेल हुई उस की नार्मल लाइफ़ ३५ साल की थी। परन्तु वह सात वर्ष के अन्दर दो बार फेल हुए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि अब अक्तूबर सन् १९६१ में यह चीज हमारी केन्द्रीय सरकार के समक्ष लाई गई और आज उस बात को दस महीने होने को आये तो क्या हमारे देश के शासन प्रबन्ध में इतनी अधिक ढिलाई है कि एक बात और एक समाचार जो कि केन्द्रीय नगर में बिजली की इतनी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है उस को सफलतापूर्वक हल करने के लिए इस दस महीनेकी लम्बी अवधि में भी कोई कार्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ ? अगर इसी प्रकार की परिस्थिति हमारे देश में बनी रहेगी तो कैसे हम लोगों के हृदय में यह विश्वास पैदा होगा कि हम किसी भी प्राबलम को सफलतापूर्वक हल कर सकेंगे ? जब कि हम जीवन की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बिजली और पानी का भी समुचित प्रबन्ध करने में असफल रहते हैं तो इसका बड़ा ही

[श्री बिशन चन्द्र सेठ]

प्रतिकूल प्रभाव देश की जनता पर पड़ने वाला है और उसको हमारी क्षमता में कोई विश्वास नहीं रह जायेगा ।

मैं यहां पर निवेदन करना चाहुंगा कि अखबारों में कलकत्ते में बिजली की शौर्टेज के सम्बन्ध में काफी छप रहा है । मैं अभी चंद दिन पहले मथुरा और आगरा गया था । अब मथुरा जैसा बड़ा नगर जहां कि आजकल श्रावण के दिनों में लाखों आदमी देश के विभिन्न भागों से वहां पर नित्य-प्रति पहुंचते हैं बिजली की स्थिति यह है कि किसी भी आदमी को यह मालूम नहीं कि बिजली किस समय और कितनी देर के लिए चली जायगी ? दो रोज मथुरा रहने के बाद मैं आगरा गया । वही मथुरा वाला किस्सा आगरा में भी मैंने देखा । अब अगर मैं अपने नगर शाहजहांपुर की बात कहूं तो वहां तो हालत यह है कि यह पता ही नहीं रहता कि बिजली आयगी अथवा नहीं या आज शाम को बिजली आयेगी या गुल रहेगी । सारे देश में यह बिजली की प्राबलम है लेकिन तो भी खेद का विषय है कि हम अपने देश की इस महत्वपूर्ण दैनिक आवश्यकता के सम्बन्ध में कितने उदासीन हैं । इस को हल करने के लिये हमारे सामने कोई मशीनें नहीं आती हैं । नये नये प्रकार के रोज प्रोजेक्ट बनते हैं और अनेकों वर्ष से दुनिया भर में उसकी चर्चा चल रही थी कि हम अपने देश में एक ऐसी मोटर कार बनाने जा रहे हैं कि जिसको कि सामान्य स्थिति के लोग इस्तेमाल कर सकेंगे परन्तु आज पता लगा कि वह सारी की सारी भावनाएं शैल्व कर दी गई । अनेक कारण हैं, उन कारणों की ओर मैं नहीं जाना चाहता लकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हुं कि सरकार के प्रति देश की जनता के मन में विश्वास की लहर तभी पैदा हो सकती है जब कि हम जो भी निर्णय करें जो भी चीज सरकार की ओर से समाचारपत्रों में प्रकाशित हो उस को पूरा किया जाय । आज हमारे देश की जैसी स्थिति हो रही है उसमें एक निर्णय करने के बाद पता नहीं लगता है कि कल को उस का क्या परिवर्तित रूप आयेगा ।

मैंने आगरा और शाहजहांपुर के सम्बन्ध में इसलिये चर्चा कर दी कि मैं अभी चार दिन पहले वहां गया था । इन के अलावा अनेक अन्य शहर जहां भी मैं गया हुं वहां पर कहीं भी मैंने बिजली की संतोषजनक व्यवस्था नहीं देखी । करीब करीब सारे देश में यह परिस्थिति है और कहीं भी लोगों को इसका विश्वास नहीं है कि उनकी बिजली बराबर कायम रहेगी । यह परि स्थिति कब से आई मैं इसका एक विशेष उल्लेख आप की सेवा में करना चाहता हूं । जब से हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारे देश में आई हमें यह पता नहो लगता कि हाइड्रो इलेट्रिक कब बंद हो जायेगी । एक रेंज के बंद होने से केवल एक नगर की ही बिजली नहीं बन्द होती बल्कि उस रेंज में जितने भी नगर पड़ते हैं सब में बिजली गुल हो जाती है ।

मैं अपने नगर शाहजहांपुर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । शाहजहांपुर, पीलीभीत और बरेली ....

अध्यक्ष महोदय : बहुत जोर आप शाहजहांपुर पर न दें बल्कि दिल्ली के बारे में कहें ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : श्रीमान, मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूं और वहीं पर अपनी शेष उम्र भी व्यतीत करनी है । अब यह तो संयोग की बात है कि लोकसभा में चुन कर कुछ समय के लिये मैं दिल्ली में आ गया हूं ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो मोशन दिया है वह दिल्ली के बारे में है ।

श्री बिशन चन्द्र सेठ : मैं उसी के बारे में अर्ज कर रहा हूं । मैं अन्य नगरों की बाबत इसलिये चर्चा कर रहा था कि वहां पर भी यह बिजली का संकट है और इसलिये वह भी इससे सम्बन्धित

होते हैं। सारे देश में यह बिजली का संकट मौजूद है। मैं उस पर विस्तार से नहीं बोलना चाहता लेकिन केवल मैं यह बतलाना चाहता था कि आज ऐक्चुएली पोजीशन क्या है।

खैर मैं आप से यह निवेदन कर रहा था कि एक सर्किट जब खराब होता है तो केवल एक नगर की ही नहीं बल्कि उस सर्किट के अन्तर्गत जितने भी ८, १२ या १५ नगर पड़ते हैं उन सब में बिजली ठप्प हो जाती है। दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जिनका कि सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है जनता को वह आवश्यक सुविधाएं जब सुलभ नहीं हो पाती हैं साथ ही हल करने की ओर जो सरकार की उदासीनता बर्ती जाती है, तो इसका बाहर के देशों पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता। आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में जिस में एक ओर चीन हमारे सिर पर सवार है और दूसरी ओर पाकिस्तान जिस तरह से हमारी ओर शत्रुता भरी आंख से ताक रहा है वह हम सब को पता है। क्या हमारी इन कमजोरियों को देखने के बाद हमारे पड़ोसी राज्य यह नहीं सोचेंगे कि जिस देश का शासन अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं जैसे बिजली और पानी का प्रबन्ध नहीं कर सकता वह अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध के समय क्या कर सकेगा ? . यह एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है।

मैं यहां दिल्ली के सम्बन्ध में ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिसके लिये माननीय अध्यक्ष ने मुझे कहा है। दिल्ली के सम्बन्ध में एक सब-कमेटी बनाई गई जो कि इस बात पर चर्चा करेगी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में जो बिजली की कमी है उस का क्या करण है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस वालों ने ही इस देश का ठेका नहीं लिया बल्कि अन्य लोग भी जो देश में रहते हैं वह भी इस देश के हित के लिये चिंतित हैं और उसमें अपना योग देना चाहते हैं। मैं निवदन करना चाहता हूं कि उस कमेटी में सरकारी अफसरों के अलावा जो गैर-सरकारी व्यक्ति लिये गये हैं उन में एक भी नौन कांग्रेसी शामिल नहीं किया गया है। मैं यह गुजारिश नहीं करूंगा कि उसमें बिशनचन्द्र सेठ को रक्खा जाय लेकिन इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि आप उस कमेटी में अपोजीशन के आदमियों को भी रक्खें उनका सहयोग भी आमंत्रित करें ताकि ईमानदारी के साथ यह बात साफ हो सके कि दरअसल किसका कसूर है। अभी तो उसमें एक ही कुनबे के लोग जमा हैं दरअसल सच बात क्या है यह तो भगवान ही जाने सत्य बात हमारे सामने आयेगी भी या नहीं ? मैं आप की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसे केवल बिजली और पानी तक ही सीमित मत रखिये। हमारे सामने देश की रक्षा का प्रश्न है। अगर हमने अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी इस प्रकार असमर्थता प्रकट की तो उसका क्या नतीजा निकलेगा यह आपको बतलाने की आवश्यकता नहीं है उसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। जो परिस्थितियां चल रही हैं और जिस प्रकार का देश में वातावरण चल रहा है उसके लिये एक बड़े संगठन की देश को आवश्यकता है। अब उस संगठन के श्रीगणेश ए० वी० सी० डी० में जब बिजली गायब हो जाय तो और संगठन हम क्या करेंगे ?

मैं आप के सामने एक और निवेदन करना भी आवश्यक समझता हूं। मैं अन्य किसी देश के सम्बन्ध में नहीं जानता, लेकिन हमारे देश में एक दुर्भाग्य है। पड़ोसी राज्यों की ओर से हमारे सामने जो खतरे हैं, उनके साथ ही साथ करोड़ों पंचमांगी हमारे में बैठे हैं। अगर आज हमारे देश में कोई इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ कि हम को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ा, तो नतीजा यह होगा कि हमारे देश के रहने वाले कुछ लोग पानी, बिजली, रेल और नहरों आदि को खत्म कर देंगे। प्रश्न यह है कि उस अवस्था में हम किस तरह संसार की छोटी या बड़ी लड़ाई का सामना कर सकेंगे। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे देश के कम्युनिकेशन्ज, सुरक्षा और दैनिक जीवन सम्बन्धी साधनों के बारे में केन्द्रीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारों को बड़ी सावधानी के साथ अपना कार्यक्रम बनाना चाहिये।

[श्री बिशनचन्द्र सेठ]

इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को बीस मिनट के बजाये पंद्रह मिनट में ही समाप्त कर अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इससे मुझे होसला हो गया है कि हर एक मेम्बर दस मिनट में खत्म कर सकता है। माननीय सदस्य श्री बागड़ी चाहते हैं कि चूंकि उन्होंने जल्दी जाना है, इसलिये उनको पहले मौका दिया जाये । श्री बागड़ी

श्री बागड़ी (हिसार) : स्पीकर साहब, आज बिजली के संकट पर, जोकि बिजली बन कर आज भारत के दिल दिल्ली पर पड़ा है, सदन में जो चर्चा का मौका मिला है, उस में हम ने बड़ी गम्भीरता के साथ यह सोचना है कि आया यह संकट प्राकृतिक संकट है, ईश्वरीय देन है या यह संकट किसी की ग़लती या हिमाकत या भोलेपन से हुआ है या यह संकट बेईमानी से और शक्ति के दुरुपयोग से हुआ है ।

अगर यह संकट ईश्वरीय देन है, तब तो उस के ऊपर किसी का क्या चारा चलता है सिवा इस के कि इस सदन के जरिये भारतवासियों और दिल्ली वासियों के दिल को मज़बूत किया जाये । अगर यह संकट ईश्वरीय देन नहीं है, बल्कि हमारे कर्मचारियों और हाकिमों की बेवकूफी और ना-अहलियत से हुआ है, तो फिर उस के बारे में ऐसा प्रबन्ध किया जा सकता है कि ऐसे ना-अहल, बेवकूफ, और ग़ैर ज़िम्मेदार आदमियों को हटा कर आगे के लिये अक्लमंद और अहलियत रखने वाले आदमियों के हाथ में यह काम दिया जाये । अगर यह संकट बेईमानी की बिना पर और देश के साथ ग़द्दारी के कारण हुआ है, तो ऐसे बेईमानों और ग़द्दारों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिये, ताकि आईन्दा वे देश के काज़ को नुक्सान न पहुंचा सकें ।

पहला प्रश्न यह है कि क्या यह संकट ईश्वरीय देन है । क्या यह संकट आसमानी बादलों के टकराव से दिल्ली पर पड़ा है ? पंजाब के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और दिल्ली कारपोरेशन की इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडरटेकिंग के बादलों के टकरा जाने से तो यह संकट नहीं पड़ा है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह संकट ईश्वरीय देन नहीं है । यह संकट या हमारी ग़लतियों की देन है, या सरकार की बेईमानियों की देन है, या जनता के साथ बेवफाई की देन है ।

अब मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूं कि सारी दिल्ली का बिजली का खर्च ९३ हजार किलोवाट है, जिसमें से ४८ हजार किलोवाट बिजली रोहतक रोड के ट्रांसफार्मर से मुयस्सर होती है । उस ट्रांसफार्मर से नंगल की बिजली मिलती है और उस के जल जाने से यह संकट पैदा हुआ है । उस ट्रांसफार्मर के जलने से २३ या २४ हजार किलोवाट बिजली मिलनी बन्द हो गई है, जिस से दिल्ली में यह संकट पैदा हो गया है । सवाल यह है कि यह ट्रांसफार्मर क्यों जल गया, कैसे जल गया और अगर जल गया, तो फौरी तौर पर उस का रद्दो बदल क्यों नहीं हुआ, उस की जगह पर दूसरा ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगाया गया ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ट्रांसफार्मर कोई भगवान् नहीं है कि उस को तब्दील नहीं किया जा सकता है । खुदा और भगवान तो ऐसा है कि उस को फौरी तौर पर नहीं बदला जा सकता है, वर्ना हिन्दुस्तान क्या दुनिया की किस्मत को बदलने वाले मिन्टों में बदल जाते हैं, किसी देश का प्रेजिडेंट या सरकार मिनटों में बदल जाती है । मैं समझता हूं कि मशीनों के युग में एक मशीन को खुदा समझ कर दूसरी मशीन को तैयार न रखना ना-अहलियत है ।

जिस ट्रांसफार्मर की उम्र पैंतीस साल की होगी—हमारे माननीय मिनिस्टर साहब से शायद आधी या एक तिहाई —, वह अगर सात साल में मर सकता है, खत्म हो सकता है और इस बात का विश्वास नहीं कि वह पैंतीस साल तक चलेगा, तो हमारे काबिल अफसर, हमारे ईमानदार हुक्मरान किस दिलेरी के साथ कह सकते हैं कि बिजली पैदा करने वाला वह ट्रांसफार्मर कितनी देर तक जिन्दा रहेगा और वह किस वक्त मर जायेगा और इसलिए उसके रद्दो-बदल के लिए तरीके क्यों नहीं अख्तियार किये गए ?

सिर्फ गलती ही नहीं, उस के साथ धोखा भी किया गया। उसी ट्रांसफार्मर को रिपेयर के लिए गलत पुर्जों का आर्डर दिया गया। तहकीकात करने पर पता लगा कि वे औजार गलत हैं और आज भारत सरकार, जनतंत्र की सरकार जनता के पैसों को पानी की तरह से बहाने वाले पापी लोगों के खिलाफ कोई कदम न उठा कर खुद उस पाप को भागी बन रही है । यह कोई छिपी हुई बात नहीं है—यह शाराह-ए-आम की बात है जो कि तमाम प्रेस में आ चुकी है ।

इस देश में ज्योतिषी और पंडित मशहूर हुआ करते थे, जोकि ज्योतिष और पंडिताई के नाते विवाह और निकाह के दिन बताया करते थे और मत्यु का दिन भी बता दिया करते थे। लेकिन हमारी सरकार के पंडित बड़े भारी ज्योतिषी हैं । उन्होंने मौत और जिन्दगी दोनों एक दिन बता दिये । पिछले अक्तूबर की २६ तारीख को ट्रांसफार्मर जला और इस जुलाई की २६ तारीख को उस ट्रांसफार्मर की रिपेयर के लिए पुर्जों का इम्पोर्ट लाइसेंस मिलता है ।

जब इस बात का जिक्र कार्पोरेशन में आया, तो वहां पर एक मेम्बर ने कहा कि जब एक बड़े भारी मिल का एक ट्रांसफार्मर जल गया, तो दो हफ्ते में उस के इम्पोर्ट लाइसेंस की मंजूरी आ गयी, लेकिन लेकिन तब मेयर साहब ने बड़े अन्दाज से कहा कि आप जानते हैं कि इस देश में प्राइवेट सैक्टर का काम चलने की कितनी जरूरत है । मैं अर्ज करूंगा कि यही सब से बड़ी बेईमानी है । इस बेईमानी को सरकार बेशक दबा दे, लेकिन अगर बिजली के महकमे में कोई कत्ल है, कोई डकैती है, इन्सानियत पर कोई जब्र किया गया है, तो इस से बड़ा कत्ल और जब्र नहीं हो सकता है । अगर बिजली के कत्ल की सजा फांसी हो, तो उन हाकिमों की जगह आज फांसी है । अगर इस जुर्म और डकैती की सजा जेलखाना हो, तो मिनिस्टरों और जिम्मेदार हाकिमों की जगह जेलखाना है।

श्री फ्रेंक एन्थनी : (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : बहुत शेमफुल है ।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज करूंगा कि मैं नहीं कहता, बरमला मेयर कहता है कि दो हफ्ते किस तरह गुजार दिये—बेईमानी के तरीके से गुजार दिये । कितना नुकसान हुआ कौम का। वक्त के मुताबिक इस देश में महापुरूष आये, ऋषि-मुनि आये, पीर पैगम्बर और वली-अल्लाह आए और हाकिमे-वक्त की हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी आये । ऐसा दौर भी आया कि उन आवाजों को सुन कर भी अनसुना किया गया, जिस का नतीजा देश में बहुत बुरा हुआ । जो शक्ति आज सत्तारूढ़ है, वह बेईमानी को भी ईमानदारी का नाम दे कर छिपा लेगी ; गुनाह, पाप और गद्दारी को देश-भक्ति का नाम दे कर छिपा लेगी, लेकिन वक्त और इतिहास उन गद्दारों को नहीं बख्शेंगे, जिन्होंने आज भारत के दिल इस दिल्ली पर इतना गहरा जख्म किया है, इस का इतना नुकसान किया है क्या वे यह मजाक

[श्री बागड़ी]

समझते हैं ? आज पांच पैसे की ब्लैक-मार्केटिंग करने के लिए किस को पकड़ते हैं ? माचिस वाले को । एक रुपया रिश्वत लेने के लिए किस को पकड़ते हैं ? पुलिस के सिपाही को । क्यों नहीं पकड़े जाते ये मिनिस्टर लोग, जिन की हुकूमत में भ्रष्टाचार चलता है ? पिछले अक्तूबर में ट्रांसफार्मर जला और उस के पुर्जों को इम्पोर्ट करने की मंजूरी मिली इस जुलाई में । वहां का इंजीनियर मित्तल अभी तक इंजीनियर है । वह उसके इंचार्ज हैं । वह कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को कुछ न कहो । दो मूर्तियां बैठ कर के, यह पचहत्तर सिंह और पंजाब के चौत्तीस सिंह जोकि चौतीस वोट से जीते हैं, उन्होंने फोटो खिचवा दिया और कह दिया कि अब तो हंगामी हालत के अन्दर सब कुछ कर देंगे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि वह कहां गये थे जब अक्तूबर के अन्दर यह ट्रांसफार्मर जला था....

अध्यक्ष महोदय : अबतक तो मैंने आपको नहीं टोका, लेकिन अब टोकूंगा जरूर । इस पार्लियामेंट में कम से कम यह जाहिर तो होना चाहिये कि आप दूसरों को यकीन कराने की दलीलों से कोशिश कर रहे हैं । आप अपनी बात को जितनी भी शक्ति के साथ कहें मुझे कोई एतराज नहीं है । शायद मैं भी कई बातों में आप से इत्तिफाक करता हूं । मगर आप उस आदमी के बारे में कोई बात न कहें जिस को जवाब देने का मौका न मिल सकता हो । आप किसी को नाम ले कर कोई बात न कहें, यह यहां का रूल है, पार्लियामेंट का रूल है ।

श्री बागड़ी : जो इसके अन्दर कंसर्ड हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप महकमे को कहते चले जायें और जो चाहें आप कहते चले जायें, लेकिन कोई नाम न लें ।

श्री बागड़ी : चौंतीस नम्बरिया मैं नहीं कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : चौतीस नम्बर और तैंतीस नम्बर का यह सावल नहीं है । नाम आप नहीं ले सकते हैं उसका जिसको अवसर नहीं मिलेगा कि वह अपनी डिफेंस दे सके ।

श्री बागड़ी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट तो कहती है कि यह इनक्वायरी बोर्ड आप नहीं बना सकते हैं । यह सरदार प्रताप सिंह कैरों का स्टेटमेंट है ; वह कहते हैं कि यह चीज पंजाब से ताल्लुक रखती है । और दिल्ली में बाबा बचित्तर सिंह अपना बोर्ड बनाने को तैयार हैं । जब इनक्वायरी की बात होती है तब तो उस से वे रजामन्द हो जायेंगे लेकिन जब फांसी की बात होगी तो दोनों में से कोई भी तैयार नहीं...

अध्यक्ष महोदय : जिन को फांसी मिलेगी, वे देखेंगे । मगर आप महकमा बिजली को., कारपोरेशन को कोसते चले जायें, पंजाब गवर्नमेंट को कोसते चले जायें, मिनिस्ट्री को कोसते चले जायें, मुझे कोई एतराज नहीं है । आप कारपोरेशन की जो कमेटी है, उसको कोसें, मुझे कोई एतराज नहीं है । मगर नाम ले कर आपको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिये ।

श्री त्यागी (देहरादून) : कोसने की इजाजत तो मिल गई है ।

श्री बागड़ी : अगर आप लोग खुश हैं इस बात में कि इसी तरीके से देश की दौलत लुटती चली जाए और आप गीत गाते चले जायें, तो आप लोग देश को जल्दी ही ले डूबेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई ऐसा रिफ्लेक्शन नहीं करना चाहिये कि दूसरे इस बात के लिए खुश हैं। दूसरे मैम्बर्ज़ पर आपको किसी तरह का रिफ्लैक्शन नहीं करना चाहिये और यह नहीं कहना चाहिये कि वे खुश हैं ।

श्री बागड़ी : स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर बात है। कितना ही देश का इससे नुक्सान हुआ है । यह मामूली बात नहीं है । अगर देश के साथ इस तरह की गद्दारी और बेईमानी की जा सकती हैं तो फिर देश के अन्दर और कौनसा बुरा काम है जो किया नहीं जा सकता है । तब तो कोई भी काम किया जा सकता है ।

इसलिए, स्पीकर साहब , मैं कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ सख्ती से कदम उठाया जाए ! मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हमारा किसी के प्रति द्वेष है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम चाहते हैं कि किसी को सजा हो ही जाए लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि देश का अगर भविष्य आपको बनाना है तो जो गुनहगार हैं उनको उन गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिये। इसीलिए मैंने इसको तीन हिस्सों में बांटा है। पहली बात तो यह है कि अगर यह चीज एक्सीडेंटल है, खुदाई देन है, तब तो किसी का इस पर वश नहीं हो सकता है। अगर यह किसी की नाअहलियत की वजह से हुआ है तो उसको आप बदलो और अगर बेईमानी की वजह से हुआ है तो बेईमानी को आप सजा दो।

स्पीकर साहब, इस से देश का कितना नुक्सान हुआ है, इसका अन्दाज़ा भी आप लगा सकते हैं। कितनी ही एयर-कंडिशनिंग मशीनें, इसकी वजह से खराब हो गई हैं, कितने ही रेफ्रिजरेटर खराब हो गए हैं, छोटी मोटी मशीनें बार बार-बीच में बिजली के जाने से खराब हो गई हैं, कल कारखानों को इसकी वजह से हज़ारों लाखों की हानि उठानी पड़ी है, कितने ही मजदूर इसकी वजह से बेकार हो गए हैं और आम जनता को कितने ही दुःख और तकलीफ का सामना करना पड़ा है। यह सब कुछ हुआ है और इस सब का क्या नतीजा हुआ है, इसका अंजदाजा हर कोई बड़ी आसानी से लगा सकता है। हां यह बात दूसरी है कि परसों से पहले हम साउथ एवेन्यू में इस बिजली रूपी संकट की वैतरणी नदी से गाय की पूंछ पकड़ कर तैरते रहेहैं और हमारी बिजली तो कटी नहीं और हमारे कनैक्शन में कोई फर्क नहीं आया था। शायद यह इसलिए हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब की कोठी साथ लगती है और उन के तथा मिनिस्टर्ज़ के साथ-साथ हम भी बच गए . . .

अध्यक्ष महोदय : शायद वहां बिजली इसलिए नहीं गई कि बागड़ी जी रहते हैं। यहां तो कटती रही है, बागड़ी की नहीं कटी ।

श्री बागड़ी : ऐसी बात नहीं है ।

मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैंने तकलीफ का अंदाजा सिर्फ अखबारों को देखकर ही लगाया था। कितना ही सिनेमाज़ को नक्सान हुआ, इंडस्ट्रीज को नुक्सान हुआ, मशीनरी को नुक्सान पहुंचा । मैं अन्त में एक सजैशन मिनिस्टर साहब की सेवा में रखना चाहता हूं।

[श्री बागड़ी]

यह जो इनक्वायरी होनी है यह किसी मुख्य मंत्री के बोर्ड द्वारा नहीं होनी चाहिये, इलैक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड है, उसके जरिये नहीं होनी चाहिये, इसको आपको खुद करवाना चाहिये और यह ज्यूडीशल इन्क्वायरी होनी चाहिये । जिन्होंने देश के साथ धोखा किया है, देश के साथ अन्याय किया है, देश को नुक्सान पहुंचाया है, देश के धन के साथ बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया है, उनको ज्यूडीशल इनक्वायरी करवा कर मुंजरिम गरदाना जाए, जेल में डाला जाए। उन लोगों ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी कार्य किया है और बहुत ज्यादा जनता को मुसीबत में डाला है। मैं मिनिस्टर साहब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर देश पर बिजली का संकट आए तो जिस तरह से चपड़ासी के घर पर वह आए उसी तरह से प्राइम मिनिस्टर के घर पर भी आना चाहिये, मिनिस्टर्ज़ के घरों पर भी आना चाहिये। अगर वहां पर एयर-कंडीशनर्ज़ चलते रहे तो पंडित जी को पता ही नहीं चलेगा कि यहां बिजली फैल हो गई है। उस वक्त तक उनको पता नहीं चल सकता है जब तक उनका अपना स्विच बन्द नहीं होगा। उनका स्विच तब बन्द हुआ होगा जब सारे देश में हंगामा मच गया था ।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने देश की सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाया है, जिन्होंने बईमानी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन के खिलाफ ज्यूडीशल इन्क्वारी करवा कर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये, उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिये ताकि इस तरह के तत्व कौमी मफाद को आइंदा नुक्सान न पहुंचा सकें।

†डा० क० ल० राव (विजयवाड़ा) : दिल्ली को अपनी विद्युत् दो स्रोतों से प्राप्त होती है एक तो अपने बिजलीघर से और दूसरे २०० मील दूर भाखड़ा के बिजलीघर से। दिल्ली मद्रास के बराबर होने पर भी यहां बिजली की खपत मद्रास से अधिक है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली में बहुत से विदेशी रहते हैं और यहां शीतोष्ण नियंत्रण के काम में भी बिजली का बहुत व्यय होता है।

यह कमी केवल बिजली के संबंध में ही नहीं अपितु पानी के संबंध में भी है। यद्यपि दिल्ली जमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है और जमुना नदी में पानी की न्यूनतम मात्रा ४००० क्यूसक्स रहती है तथापि ताजेवाला बांध के कारण यह पानी अन्यत्र भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं दिल्ली को पानी और बिजली का संभरण करने वाले केन्द्र या तो पंजाब में हैं या दिल्ली में। अतः हमें चाहिये कि हम इस संबंध में नीति संबंधी निश्चय करें यद्यपि इस संबंध में कई बैठकें हुई हैं तथापि कोई फल नहीं निकला है। विद्युत् संभरण के संबंध में दिल्ली का नक्शा इस प्रकार का है कि एक भाग को एक बिजलीघर से बिजली दी जा सकती है तो उसे दूसरे बिजलीघर से बिजली नहीं दी जा सकती है। इस के अतिरिक्त भाखड़ा की बिजली में अतिरिक्त क्षमता भी होनी चाहिये तथापि दिल्ली में ऐसा नहीं है।

हमें दिल्ली का संबंध उत्तर प्रदेश विद्युत् ग्रिड से करना चाहिये क्योंकि गंगा और शारदा में विद्युत् की काफी क्षमता मौजूद है। तथापि दिल्ली से इसका कोई संबंध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

तात्कालिक समस्या यह है कि रोहतक में दो ट्रान्सफार्मर एक के बाद एक दस महीनों के भीतर ही खराब हो गये । इस संबंध में —एक समिति नियुक्त की गयी है जो इस सारे मामले की जांच करेगी तथा यह पता लगायगी कि ऐसे महत्वपूर्णस्थान में त्रुटिपूर्ण संयंत्र लगाने का दोषी कौन है ।- जब एक ट्रान्सफार्मर १० महीने पूर्व खराब हो गया था तो हमने पिछले दस महीनों में क्या किया ।

अतः इस प्रकार के विभाग से काम नहीं चलेगा इसके लिये राज्य विद्युत् बोर्ड की तरह एक पृथक विभाग बनाया जाये जिसका अध्यक्ष एक इंजीनियर होना चाहिये। उसके अधीन विद्युत् का उत्पादन और वितरण सभी कुछ रखा जाये । दिल्ली में भविष्य में विद्युत् खपत की मात्रा में बहुत वृद्धि होगी और आगामी १० वर्षों में यह अनुमान है कि यह बढ़ कर ५ लाख किलोवाट पहुंच जायेगी इस की व्यवस्था इस प्रकार के विभाग द्वारा नहीं हो सकती है अतः आवश्यक है कि इसका स्वरूप बदल दिया जाये ।

इसी के साथ साथ हमने इस बात का भी विचार करना है कि इस विद्युत् का उत्पादन कहां से किया जायेगा । हमें चाहिये कि हम जल विद्युत् का उत्पादन करें । हमारे पास भागीरथी और तपोवन की प्रस्तावित योजनाएं हैं जहां से हम बहुत अधिक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं ऐसे ही किसी स्थायी विद्युत् स्रोत से दिल्ली को मिलाया जाये । यह स्मरण रखना चाहिये कि विदेशों में ऐसे कई उदाहरण हैं ।

इसी अवसर पर हमें दिल्ली के तापीय बिजलीघर को समाप्त कर देना चाहिये यह बहुत पुराने प्रकार का है और अलाभकारी है । इसकी मशीनें कई छोटे नगरों में काम में आ सकती हैं । भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हमें इस संबन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये । वस्तुतः हमें इस अवसर का लाभ उठाकर इस सारी समस्या का विश्लेषण करना चाहिये ।

जहां तक वर्तमान समस्या का सबंध है हमें चाहिये कि भाखड़ा से आने वाली २२० किलोवाट की लाइन को जल्दी तैयार किया जाये । सारे भारत में ट्रान्सफार्मर की तलाश की जाये और इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि भारत स्वयं ट्रान्सफार्मरों का निर्माण करे । हम बिजली के भारी सामान बनाने के कारखानों में जिन में हमने लाखों रुपये लगाये हैं ट्रान्सफार्मर बनाने का तत्काल प्रयास करना चाहिये ।

†**श्री फ्रेन्क एन्थनी :** मेरे विचार से यह मात्र बिजली की खराबी नहीं है अपितु यह प्रशासन की असमर्थता का उदाहरण है ।

मेरा विश्वास है कि वे लोग जो अधिकार और शक्ति के स्थान पर हैं उनको इसका बहुत कम असर हुआ है । वे लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दिल्ली के सामान्य नागरिक पर क्या बीत रही है । सच्चाई यह है कि कई हजार दैनिक मजदूरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा है और सारा उद्योग व्यापार ठप्प हो गया है । बच्चों को कड़ी गरमी का शिकार होना पड़ा है ।

यह इस बात का प्रमाण है कि सारे देश का प्रशासन ढीला हो गया है । अधिकारी लोग अपने दायित्व के प्रति उपेक्षा करते हैं इसका फल यह होता है कि यदि कोई ऐसा संकट उपस्थित हो जाता है

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक एन्थनी]

तो उसका सामना नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः जनता का विश्वास प्रशासन से हटता जा रहा है। और यदि जनता को कुछ विश्वास रह गया है तो वह सेना पर है।

यह समझ में नहीं आता कि जब सरकार अपने कार्यों में करोड़ों रुपये व्यय कर रही है तो एक ट्रान्सफोर्मर के लिये १.८० लाख रुपये क्यों व्यय नहीं किये गये। यदि ऐसा ट्रान्सफोर्मर दिल्ली में नहीं था तो सारे भारत में इसकी तलाश क्यों नहीं कराई गयी। बल्कि आवश्यकता होने पर इसे बाहर से मंगाया जा सकता था। मुझे ज्ञात हुआ है कि कि ऐसे कई ट्रान्सफोर्मर विमान से लाये जा सकते हैं दुख की बात यह है कि जब चीन ने हमारे विरुद्ध एक गोली नहीं छोड़ी तब हमारी यह अवस्था है जैसे कि एक विजित देश की होती है।

हम ने इस संकट की जांच के लिये एक जांच समिति बिठलाई है उस में एक ऐसा व्यक्ति भी रख दिया गया है जो इस संकट के लिये पूर्णतः जिम्मेदार है। मेरे विचार से जांच समिति से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। यद्यपि यह इतना गम्भीर मामला है तथापि एक भी व्यक्ति को मुअतिल नहीं किया गया है। इस प्रकार की घटनाओं से हम विदेशियों के उपहास पात्र बन गये हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर): मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारा प्रशासन ठप्प होता जा रहा है। पिछले वर्ष कलकत्ता में यह स्थिति हुई थी तो हम ने सभा में यह मामला उठाया था तथापि हमें अत्यंत असंतोषजनक उत्तर मिला। वस्तुतः दिल्ली में जो स्थिति आज हो रही है कलकत्ता तथा आस पास के औद्योगिक क्षेत्र में यह स्थिति पिछले वर्ष से जारी है।

इस सब का कारण यह प्रतीत होता है कि हमारे कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं चल रहेहैं। अब इस बात को स्वीकार किया जाने लगा है कि बंगाल तथा बिहार की कोयला खान वाले क्षेत्रों में विद्युत् संभरण को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये। यह बात संदिग्ध है कि दामोदर घाटी निगम, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अलावा बंगाल को बिजली भी दे सकेगी। पिछले वर्ष कलकत्ता विद्युत् संभरण निगम के सभी ट्रान्सफोर्मर एक के बाद एक खराब हो गये। जब हमने सभा में यह प्रश्न उठाया तो कहा गया कि यह ट्रान्सफार्मर पश्चिमी जर्मनी से खरीदे गये थे। जो अच्छे सिद्ध नहीं हुए।

हमें यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जिस बिजली पैदा करने वाले यंत्र का जीवन प्रायः ३५ वर्ष कहा जाता है वह ७ ही वर्ष में बेकार हो गया है। हमें पता करना चाहिये कि आखिर इसे क्या हुआ, कौन इसके लिये जिम्मेदार है ? लाखों रुपया खर्च करके इसका आयात किया गया है आखिर यह क्यों ठीक तरह काम नहीं करते। इसका आर्डर किसने दिया था। यह भी देखना पड़ेगा कि आखिर इसका प्रयोग भी ठीक ढंग से हुआ है अथवा नहीं ? परन्तु कोई चिन्ता ही नहीं करता। बड़ी खेदजनक बात है। और सब बातें तो हैं ही उद्योगों पर इसका प्रभाव होने वाला है। आगे ही आप शिकायत करते हैं मजदूर काम नहीं करता, उसका कारण यह है कि उसे उचित मज़ूरी नहीं मिलती। उत्पादन कैसे बढ़ेगा ?

पश्चिमी बंगाल में भी लगभग इसी प्रकार की स्थिति पैदा कर दी गई है। हमें प्रतिदिन उत्तर प्रदेश सरकार की खुशामद करनी पड़ती है। बिहार भी सहायता कर रहा है। खेदजनक

---

†मूल अंग्रेजी में

बात यह है कि हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि कहां प्राथमिकता दी जानी है, किसको पहले चारा डाला जाना है। जल विद्युत् परियोजना को छोड़ दिया गया है, हालांकि इस साधन से सब से सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। कलकत्ता में ही आज इसी प्रकार बिजली का संकट चल रहा है परन्तु लोगों का ध्यान उधर नहीं जाता, केवल जब दिल्ली में कुछ होता है तो सभी चिल्लाने लगते हैं। जो कुछ हुआ है वह मंत्रालय, प्रशासन तथा योजना आयोग के प्रति अविश्वास व्यक्त किया गया है। हम गत एक वर्ष से इस मामले को लेकर शोर मचाते हैं परन्तु हमें कोई सन्तोषजनक उत्तर ही नहीं मिलता रहा। अब उन्हें सारी स्थिति सदन के समक्ष रखनी चाहिये।

एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आयोजन की प्रथम आवश्यकता बिजली है और इसके बिना उत्पादन बढ़ाना व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि उत्पादन बढ़ ही नहीं सकता। मेरा निवेदन है कि इस प्रयोजन के लिये जल ढाका परियोजना जैसे परियोजनाओं को पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत रखना चाहिये। मेरा अनुरोध है कि समस्त विषय पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये और इस संकट के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिये।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : आज जो बिजली का संकट हमारे सामने है। चाहे यह अयोग्यता के कारण हुआ है अथवा गलत आयोजन से, हम सब इससे दुःखी हैं। मैं जानता हूं कि मंत्री गण भी इससे काफी परेशानी में हैं। योजना मंत्री को देखना चाहिये कि आयोजन कैसे गलत ढंग से हो रहा है।

यद्यपि हम बड़ी बड़ी दूर से आये हैं परन्तु हमें दिल्ली के बारे में पता है कि केवल बिजली में ही नहीं वरन् अनेक बातों में दिल्ली के प्रशासन में अनुशासन व्यवस्था और कार्यदक्षता की कमी है। लोग दिल्ली में आ कर लाखों रुपये खर्च करके चले जाते हैं। परन्तु उनका कुछ नहीं बनता। दिल्ली में एक यह भी सब से बड़ी कमी है कि इसे बहुत बुरी तरह से बढ़ने दिया गया है। इसका आयोजित अथवा नियन्त्रित विकास नहीं किया गया। यह बात कहनी ही पड़ती है कि जिन लोगों के हाथ में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वे योग्यता से इसे निभा नहीं सके। उन्होंने इसके इतने बढ़ जाने की कभी कल्पना भी नहीं की थी।

यदि विदेशी दूतावासों को बिजली के मामले में दिल्ली के प्रशासन पर विश्वास नहीं तो यह प्रशासन पर कलंक का टीका है। हमें इस पर लज्जित होना चाहिये। इस प्रकार की अयोग्यता को प्रदर्शित करते और अपमान को सहते हुए हम कह सकते हैं कि हम एक स्वाभिमानी राष्ट्र हैं। मेरा निवेदन है कि जहां तक आवश्यक सेवाओं का सम्बन्ध है, जैसे पानी और बिजली का सम्भरण, उनके बन्द होने के सम्बन्ध में सामान्य अनुशासन कार्यवाही पर्याप्त नहीं है। यह बहुत भारी अपराध है इसके लिये भारी से भारी दंड दिया जाना चाहिये। दंड संहिता में इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री राव ने अभी कहा कि यह संकट एक दम आ गया, यह गलत बात है। यह गलत बात है, मैंने जांच की है। इस प्रकार का पता चला है कि उस ट्रान्सफार्मर के किसी भी समय खराब हो जाने के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। "जैनेरेटर" पर इतना कार्य भार था कि उसे पानी से ठंडा किया जाता था। मुझे आशा करनी चाहिये कि इस मामले में जांच समिति हमें अपना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हनुमन्तैया]

निष्पक्ष प्रतिवेदन दे सकेगी और उसकी एक सिफारिश यह भी होगी कि ऐसी दुर्घटनाओं के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : दिल्ली जैसे नगर में बिजली का संकट बहुत शोभा की बात नहीं है । दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, यहां का बिजली संकट यह प्रगट करता है कि प्रशासन यदि बिजली सम्भरण का छोटा सा काम भी ठीक ढंग से नहीं कर सकता तो और वह क्या करेगा । हमारे नगर बड़ौदा में जो कि एक छोटा सा नगर है बिजली की स्थिति दिल्ली से अच्छी है । हमारे यहां दोहरा सम्भरण है परन्तु भारत की राजधानी के लिये न यह बात योजना आयोग ने सोची और न ही सरकार ने अथवा सरकार के अधिकारियों ने यह बात सोची । श्री फ्रेंक एंथनी ठीक कहते हैं कि दिल्ली में रहने वाले विदेशी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं ।

मेरा निवेदन है कि राजधानी के लिये बिजली की कुछ रक्षित मात्रा होनी चाहिये ताकि नागरिकों को कष्ट न हो । सरकार काम को चालू रखने के लिये ट्रांसफार्मर भी प्राप्त कर सकती थी । अब जांच समिति के प्रतिवेदन तक तो कुछ नहीं हो सकेगा, परन्तु एक सभ्य भारतीय के नाते मेरा कहना है कि हमें स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये ।

†**श्री शिव चरण गुप्त** (दिल्ली सदर) : यह बड़े खेद की बात है कि बिजली बन्द हो जाने के कारण दिल्ली की जनता को असीम कष्ट उठाना पड़ रहा है । कभी ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है और कभी यमुना का पानी उतर जाता है, बड़ा गम्भीर मामला है । हर पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली के मामले पर ध्यान दिया जाता है । परन्तु यदि प्रशासन ही ढीला रहे तो उस ओर ध्यान दिये जाने का क्या लाभ हो सकता है । मैं यह स्वीकार करता हूं कि सब के सब अधिकारी बेईमान नहीं हैं । परन्तु प्रशासन में गुट बन्दियां हैं । इन गुट बन्दियों के कारण ही सारी स्थिति खराब हो जाती है । इसका यह भी परिणाम होता है कि शान्ति प्रिय और कानून का पालन करने वाले नागरिकों को भी कष्ट होता है ।

मेरा निवेदन है कि दिल्ली में एक स्वतन्त्र बिजली का प्लांट होना चाहिये । दिल्ली भारत की राजधानी है इसे केवल भाखड़ा के बिजली सम्भरण पर ही आश्रित न रखा जाय । मेरा अनुरोध है कि दिल्ली के नागरिकों के लिये बिजली सम्भरण को सुनिश्चित करने के लिये एक उच्च सत्ता प्राप्त समिति बनाई जाये । जनता में एक आम धारणा है कि उच्च अधिकारियों में ऐसा एक गुट है जो कि बिजली का सामान देने वालों से मिला हुआ है । यहीं से सब गड़बड़ का आरम्भ होता है । समिति को इस बात की पूरी छानबीन करनी चाहिये ताकि दोषी व्यक्तियों को समुचित दंड दिया जा सके । हमें इस मामले में कड़ी कार्यवाही करनी ही होगी ताकि पुनः यह दुर्घटना न देखनी पड़े ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : मुझे इस बात का हर्ष है कि बिजली के संकट ने हमारे राष्ट्रीय नेताओं की आंखें खोल दी हैं । यह संकट सारे देश को चेतावनी है । इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सरकार ने नागरिकों के विकास के लिये अपेक्षित बिजली के सम्भरण के लिये कोई योजना बनाई थी । मुझे याद है कि अंग्रेजों के समय भारत सरकार का एक विद्युत् आयुक्त हुआ करता था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसका काम प्रत्येक बिजली घर की संस्थापित्त क्षमता की जांच करना था। जांच के बाद वह समुचित निदेश दिया करता था। पता नहीं अब यह कार्य किसके सुपुर्द किया गया है।

यह जो अनिवार्य सेवायें हैं इसके ठीक ठाक करने में सरकार हस्तक्षप क्यों नहीं करती। इस बात का पता क्यों नहीं किया जाता कि आखिर यहां जिम्मेदारी किस की है। ऐसी दुघटनाओं के लिये पूरी छानबीन के साथ जिम्मेदारी निश्चित कर जानी चाहिये। सदन को यह बताया जाना चाहिये कि जो लोग अथवा विभाग खरीद करता मे उसे सन्तोष है कि प्राविधिक दृष्टि से वह यूनिट सर्वथा ठीक है। हमारी योजनायें बन रही है, मेरा यह निवेदन है कि सरकार को इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये कि राजधीनी में तीसरी और चौथी योजना के दौरान बिजली की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये पहले से ही क्या क्या कदम उठाये जाने चाहिये। मैं पुनः कहता हूं कि अच्छा ही हुआ कि श्री नेहरू के होते हुए सब कुछ हुआ और सरकार इस संकट के कारणों पर सोचने के लिये बाध्य हुई।

०**श्री अन्सार हरवानी** (बिसोली): मेरे विचार में इस सदन के इतिहास में यह प्रथम बार है कि प्रशासन की एक मत से निन्दा की गई है। दिल्ली प्रशासन की अयोग्यता सिद्ध हो गई। सारे राष्ट्र के लिये यह लज्जा की बात है। अक्तूबर से बार बार बिजली फेरल हो रही है। इससे लोगों को बहुत हानि पहुंची है। ट्रांसमिटरों की बात करते हैं, परन्तु सरकार को यह भी पता होना चाहिये कि देश में सैकड़ों ट्रांसमिटर फालतू पड़े हैं जिनका कि प्रयोग हो सकता था परन्तु नहीं किया गया। प्रस्तावित नापक संयंत्र को लगाया जाना चाहिये। यदि इस संयन्त्र को लगा दिया जाता तो हमें इस संकट का सामना न करना पड़ता।

समय आ गया है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री स्वयं इस संकट की जांच करें। जो भी कठिनाइयां हैं उन्हें ऐसे ही समाप्त किया जाय। और जो अधिकारी अपने कर्त्तव्य पालन में सुस्ती दिखाते रहे हैं, उन्हें सजा दी जाय।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली का महत्व अन्य शहरों की अपेक्षा कुछ विशेष है और इसलिए दिल्ली में जब इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो उन पर ध्यान भी विशेष रूप से दिया जाता है। सरदार पटेल जिस समय भारत के गृह मंत्री थे उस समय उनको यह हार्दिक अभिलाषा थी कि दिल्ली में किसी प्रकार की भी कोई कठिनाई किसी क्षण भी उत्पन्न न हो। और इस के लिये वह बराबर प्रयत्नशील भी रहे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले दो, तीन वर्षो से राजधानी में तरह तरह की कठिनाइयां उत्पन्न हो रहा है। अभी शायद एक, डेढ़ साल ही व्यतीत नहीं होता कि जब पानी की इसी प्रकार की कठिनाई दिल्ली में उत्पन्न हुई थी और इस सदन को अपनी कार्यवाही स्थगित कर उस के ऊपर विचार करना पड़ा था। आज फिर उस प्रकार की एक समस्या इस सदन में विचार के लिये प्रस्तुत है कि दिल्ली में बिजली की कमी के कारण काफी कठिनाईयां उत्पन्न हो रही है। मैं समझता हूं कि यह एक चेतावनी है न केवल राजधानी के नागरिकों के लिये अपितु सारे देश के लिए।

इस बिजली की कठिनाई के कारण जो आर्थिक हानि दिल्ली निवासियों को उठानी पड़ी है उस के मोटे मोटे आंकड़े जो मेरे पास अपनी जानकारी के सूत्रों के आधार पर उपलब्ध हो सके है वह मैं आपको देना चाहता हूं। दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडर टेकिंग को अब तक १० लाख रुपये की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हानि इस बिजली की कमी के कारण हो चुकी हैं । कारपोरेशन के जो इलेक्ट्रिसिटी का टैक्स लेती हैं उस को बिजली के अभाव में एक लाख बीस हजार रुपये की हानि उठानी पड़ेगी : अभी पीछे एक समाचार में यह प्रकाशित हुआ कि एअर कंडीशनर्स और रैफ्रिजिरेटर्स जो लोग इस्तेमाल करते है और जिस में कि २०० वाल्ट्स पावर की बिजली आयुक्त होनी चाहिए उसकी मात्रा कम होने के कारण १९० वाल्ट्स बिजली ही मिल सकी जिस के कारण उनका कहना है कि २९ जूलाई तक २०० यंत्र इस प्रकार के खराब हो चुके है और जिन पर कि ५० से लेकर १००० रुपये तक उनको ठीक करने पर खर्च करना पड़ेगा ।

इसी तरह नजफगढ़ की एक बड़ी फैक्टरी के मालिकों ने अपना वक्तव्य देते हुए कहा कि पावर फेलयोर से हम को करीब २००० रुपये प्रति घंटे की हानि है । ३० जूलाई को उस कम्पनी के मालिकों ने यह वक्तव्य दिया कि इस समय तक ५० घंटे की हानि हो चुकी हैं जिस से कि करीब १ लाख रुपये का नुक्सान वह इस समय तक उठा चुके हैं ।

इसी प्रकार दिल्ली फैक्टरी ओनर्स असोसियेशन के प्रेसीडेंट श्री भास्कर ने भी अपना एक वक्तव्य दिया है । जो भी कोल्ड स्टोरेज दिल्ली में है बिजली की सप्लाई बन्द हो जाने के कारण उन में लाखों रुपये के फल सड़ गये हैं । यह कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं जिनकी की जानकारी उपलब्ध हो चुकी हैं । लेकिन इन के अलावा और भी हानि लोगों को हुई हैं । फैक्टरी ओनर्स असोसियेशन के प्रेसीडेंट ने कहा है कि हम ने जो आर्डर्स ले रक्खे थे उनको कैंसिल करना पड़ा क्योंकि बिजली की सप्लाई समय पर उपलब्ध न हो सकने के कारण हम उन को पूरा नहीं कर सकते थे । मेरा अपना अनुमान है कि इन १५ दिनों में करीब १ या डेढ़ करोड़ रुपये की हानि दिल्ली शहर को आर्थिक दृष्टि से हुई ।

इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की यह समस्या जो इस देश की राजधानी से सम्बन्ध रखती हैं । और जिसके लिए विदेशों से स्पेयर पार्टर्स मंगाने के लिए लाइसन्स के लिए गवर्नमेंट को आवेदन-पत्र दिया गया । अभी कल-परसों की बात है कि दिल्ली कार्पोरेशन में इस की चर्चा आई और एक सदस्य ने कहा कि जब दिल्ली की एक प्राइवेट मिल को, जिस को इसी प्रकार के स्पेयर पार्टस् की जरूरत थी, पंद्रह दिन में लाइसेंस मिल गया , तो यह क्या बात है कि इस काम के लिए लाइसेंस नहीं मिला है । इस के उत्तर में कार्पोरेशन के मेयर साहब ने कहा कि यह सवाल तो पार्लियामेंट में पूछने का है, आप कार्पोरेशन में हम से यह सवाल क्यों पूछते है? मैं चाहता हूं कि विद्युत् मंत्री महोदय अपने वक्तव्य में अगर उन को इस एक वर्ष की अवधि में जानकारी प्राप्त हो चुकी हो ---कृपया इस स्थिति का स्पष्टीकरण करें कि क्यों इस विषय में लाइसेंस मिलने में देर हुई, जिसके कारण दिल्ली के नागरिकों को इस प्रकार की हानि का सामना करना पड़ा ।

इस विषय में एक प्रश्न यह भी सामने आता है कि जब इस प्रकार की बड़ी बड़ी मशीनें बाहर से मंगाई जाती हैं और एक छोटा सा पुर्जा खराब हो जाने पर बहुत बड़ा हानी उठानी पड़ सकती है । तो क्यों नहीं मशीन खरीदते समय ही उस के लिए स्पेयर पार्टस् और अधिक ले लिये जायें , ताकि अगर कभी ऐसी कठिनाई में फंसना पड़े---जैसी आज है, तो उस समय उनको इस्तेमाल किया जा सके ।

प्रायः यह देखा गया है कि ट्रांसफार्मर की आयु पैंतीस वर्ष के लगभग की होती है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर सात आठ वर्ष में ही खराब हो गया । क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है, कि जब

सात आठ वर्ष में ही यह ट्रांस्फार्मर अपनी आयु समाप्त कर बैठा, तो जिन से ये ट्रांस्फार्मर खरीदे गये थे, क्या उन से कोई गारण्टी ली गई थी ? यदि कोई गारण्टी ली गई थी, तो वह क्या थी ? अगर कोई गारण्टी नहीं ली गई थी, तो क्या सरकार के साथ इस प्रकार का धोखा तो नहीं हुआ कि नये ये ट्रांस्फार्मर के नाम पर पुराने ट्रांस्फार्मर खरीद लिये गए और उन पर देश का पैसा बर्बाद किया गया ? ये तमाम बातें इस समस्या के सम्बन्ध में सामने आती है और मस्तिष्क में प्रश्न उत्पन्न करती है।

लेकिन मैं आप के द्वारा सदन को इस से भी बड़ी दुःख भरी जानकारी देना चाहता हूं। अभी कल-परसों विद्युत् मंत्री ने अपने वक्तव्य में बताया कि पंजाब से हम को जो बिजली लेनी पड़ती है, उसके अतिरिक्त दिल्ली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई अंडर टेकिंग यहां पर ४५,८००किलोवाट बिजली तैयार करती है। लेकिन मैं अपनी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि यहां पर जो डीज़ल से चलने वाले जेनरेटर है उनको भी कुछ स्पेयर्स पार्टस की ज़रूरत है। उन्होंने लाइसेन्स के लिए एप्लाई किया है, लेकिन अभी तक उनको भी लाइसस नहीं मिल पाया है, जिस का परिणाम यह हो रहा है कि उन पुर्जों के अभाव में वे जेनरेटर केवल तेरह हज़ार किलोवाट बिजली पैदा कर रहे है, जब कि वह बीस हज़ार किलोवाट बिजली पैदा कर सकते हैं। आप इस से अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ़ रोहतक रोड़ के ट्रांसफार्मर की समस्या नहीं है, बल्कि यह समस्या दूसरे जेनरेटरों के साथ भी है। प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसी तमाम स्थितियों का सामना करने के लिए एक सामान्य नीति बना कर उस के अनुसार कार्य करने के लिये तैयार नहीं हैं।

विद्युत् मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सदन को यह आश्वासन दिया था कि कल से बिजली बन्द रहने के घंटों में कमी होना शुरू हो जायगा, लेकिन उस के एक दिन बाद यानी ८ अगस्त को बिजली बन्द रहने के घंटों में वृद्धि हो गई। कल पटेलनगर में साढे चार घंटे बिजली बन्द रही। और माली वाड़ा में छः घंटे बिजली बन्द रही। माननीय मंत्री सदन को आश्वासन देते हैं कि बिजली बन्द होने के घंटों में कमी होती चली जायेगी, लेकिन उन की और बढ़ोतरी होती चली जा रही हैं।

मैं आपके द्वारा सरकार को यह भी कहना चाहता हूं कि जिस समय भारत सरकार ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, तो पंजाब सरकार ने कहा कि चूंकि वह ट्रांसफार्मर उनके एरिया में पड़ता है, इसलिए भारत सरकार द्वारा जांच कराए जाने पर हमारी मान-हानि होगी और इसलिए हम स्वयं इस सम्बन्ध में जांच करेंगे। पंजाब सरकार ने जांच का आश्वासन तो दिया, लेकिन उसने जो टर्म्ज़ आफ रेफ़रेंस तय किये ह, उनमें इतना तो है कि इस बात की जांच की जायगी कि वह ट्रांस-फार्मर कैसे जला, लेकिन उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, इसके सम्बन्ध में कोई मुद्दा उसमें तय नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है, जिसकी ग़लती की वजह से इतनी बड़ी हानि का सामना करना पड़ा।

अपने वक्तव्य को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि आखिर केन्द्रीय सरकार देहली राजधानी को भाखरा-नंगल की बिजली पर कब तक निर्भर रखेगी ! जैसी भूमिकायें आज देश में तैयार होने लगी ह, जिस प्रकार आज केन्द्र और राज्यों में खिचाव शुरू हो गया है, उनको दृष्टि में रखते हुए भविष्य में किसी समय ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि पंजाब राज्य

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

देहली राजधानी को बिजली देना बन्द कर दे। उस समय राजधानी के सामने नये सिरे से समस्या उत्पन्न होगी। क्यों न केन्द्रीय सरकार अपने पैरों पर खड़े होने के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि वह बिजली के विषय में स्वावलम्बी स्थिति में हो जाये।

जो घटना घटी है, उसके लिये सेंट्रल गवर्नमेंट यह कहती है कि कार्पोरेशन जिम्मेदार है और कार्पोरेशन कहती है कि पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार है आज आपस में जो यह तालमेल नहीं बैठ रहा है, यह अवस्था कब तक जारी रहेगी ? आखिर कब तक एक दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की कोशिश जारी रहेगी ? इसलिये आज आवश्यकता इस बात की भी है कि एक हाई-पावर बोर्ड बनाया जाए, जो दिल्ली की विद्युत-समस्या को अपने तौर पर हल करें और किसी पर उस को निर्भर न करना पड़े।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राय: यह देखा गया है कि जब इस प्रकार की घटनायें होती हैं, तो जांच कमीशन बिठा दिये जाते हैं। जांच कमीशन महीनों तक जांच करते हैं और उस पर लाखों रुपये खर्च होते हैं और अन्त में परिणाम यह होता है कि "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया।" कह दिया जाता है कि चपरासी का कसूर था अथवा इंजीनियर अपने समय पर ड्यूटी पर वहीं पहुंचा था, इसलिये ट्रांसफार्मर जल गया। ढिलवां में हमारे पौने दो करोड़ रुपये के स्लीपर जल गये, लेकिन जांच के परिणामस्वरूप एक चपरासी को बरखास्त कर दिया गया। हम देखते हैं कि बड़े-बड़े रेल के एक्सिडेंट होते हैं और उनके बारे में कह दिया जाता है कि सिगनल ठीक नहीं दिया गया था। मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट को आज यह तय करना चाहिये कि जो इस प्रकार की भंयकर दुर्घटनाय होती हैं, जो कि सारे देश के लिये चुनौती होती हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल इंजीनियरों और आफिसरों पर न डाली जायें, बल्कि अब वह समय आ गया है कि मिनिस्टरों को भी इस जिम्मेदारी से मुक्त न किया जायें और उन पर भी जिम्मेदारी डाली जानी चाहिये। और उनसे भी जवाब तलब किये जायें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की बिजली की समस्या के बारे में मेरे दूसरे मित्रों ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं उनसे सहमत हूं। अभी ६ अगस्त को **हिन्दुस्तान टाइम्स्** के एडीटोरियल में जिसका शीर्षक था "कैपीटल शेम", यह लिखा था कि अगर इस प्रकार की स्थिति किसी दूसरी जगह होती, तो लोग विरोध की भावना प्रकट करके न रह जाते, बल्कि वे इस बात की मांग करते कि मंत्रिमंडल को चाहिए कि वह इस्तीफा दे दें।

मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब दिल्ली में पानी की कमी हुई, जब हमारे छोटे-छोटे बच्चे पानी के लिये तड़प-तड़प कर बेहाल हो रहे थे, तो इसी सदन में यह विश्वास दिलाया गया था, खासकर हमारे प्रधान मंत्री जी की तरफ से, कि ऐसी हालत फिर नहीं होगी। उस वक्त कहा गया कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को मालम नहीं था कि जमुना जी अब रुख बदल रही है और उनको कम से कम दस साल के बाद अचानक मालूम हुआ कि जमुना जी अब अपना रुख बदल रही है और उस रुख को ठीक करने के लिये बाद में एक कमीशन का निर्माण हुआ। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश में कमीशन बैठता है, बैठने के बाद लेटता है और लेटने के बाद सो जाता है और उसको जगाने के लिये एक अन्दोलन करना पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह देखते हुए कि जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपी जा रही है, पंजाब सरकार यह कहती है कि इस मामले की जांच हम करेंगे और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन

अपनी ज़िम्मेदारी को टालना चाहती है, जुडिशल एन्क्वायरी की मांग बिल्कुल ठीक और मुनासिब है ।

मेरे एक मित्र ने हंसते हुए मुझसे पूछा कि आखिर बिजली का यह संकट क्यों पैदा हुआ है, तो मैंने भी हंसते हुए कहा कि मालूम होता है कि हमारी पावरफुल सरकार शायद पावरलैस होती जा रही है, या ऐसा है कि शायद पावरडंक सरकार दूसरे को पावर सप्लाई करने में असमर्थ है । मैं समझता हूं कि इस के बारे में पूरे तरीके से जांच होनी चाहिए ।

ट्रांसफार्मर जल चुका पिछले अक्तूबर में और उसके लिए स्पेयर पार्ट्स के इम्पोर्ट लाइसेन्स की मंजूरी दी गई जुलाई में । हम देखते हैं कि जब किसी मामूली सरपायेदार को इम्पोर्ट लाइसेन्स की ज़रुरत होती है, तो किसी अन्डर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी से बात न कर के वह मंत्री महोदय के पास जाकर ला सकता है, लेकिन जहां पर लोगों की रोज मर्रा की जिन्दगी का सवाल है, तो इम्पोर्ट लाइसेन्स मिलने में इतनी दिक्कत बताई जा रही है । इस बात का सवाल नहीं है कि आज लोगों को कौन की आदत हो गई, लेकिन सवाल यह है कि विद्यार्थियों का क्या होगा । मैं खुद जानता हूं कि पांच बजे जाने के बाद जब सात बजे हमारे स्टेनोग्राफर आते हैं, तो मालूम होता है कि बिजली चली गई और उसके बाद वह आठ या नौ बजे आती है । मैं समझता हूं कि नार्थ ऐवेन्यू और साउथ एवेन्यू के लोग भाग्यवान हैं, क्योंकि वे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, इसलिये वहां पर बिजली थोड़ी देर के लिये जाती है सिर्फ घंट भर की तक्लीफ़ होती है। (**अन्तर बाधायें**) घंटे दो घंटे बिजली बन्द रहती है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : रोज चार घंटे बन्द रहती है ।

श्री स० मो० बनर्जी : ऐसा होगा, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, दोपहर को एक घंटा और शाम को एक घंटा बिजली बन्द रहती है। (**अन्तर बाधाएं**) लेकिन दूसरे इलाकों में, जहां पार्लियामेंट के मेम्बर नहीं रहते हैं, आप जा कर देखें, तो वहां के लोग कहेंगे कि घंटों का कुछ हिसाब ही नहीं है। लोग कहते हैं कि चूंकि यह बड़ा सीरियस क्राइसिस है, इस वजह से छः घंटे कुछ नहीं हैं, हमें तो सरकार को बधाई देनी चाहिए कि हमेशा के लिये बिजली बन्द नहीं की जाती है । यह उनको तसकीन दी जाती है, यह उनको तसल्ली दी जाती है । इसलिए मैं समझता हूं कि यह सिर्फ ज्यूडीशल एन्क्वायरी का सवाल नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर यह मसला हल नहीं हुआ, अगर इसकी जिमेदारी ठीक तौर से उन पर नहीं डाली गई जो कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले हैं तो बहुत ही खराब बात होगी । और भी जगह देश में इस तरह के वाकात हुए हैं । डी० वी० सी० में इस तरह से फेल्योर हुआ था और उस वक्त मैं कलकत्ता में था । इसके फैल होने से कैसी जिन्दगी वहां पर लोगों की हो गई यह मैं यहां बयान करना नहीं चाहता । मैं समझता हूं कि अगर अच्छी तरह से इसको देखा जाए तो आप इस नतीजे पर पहुंच बिना नहीं रह सकेंगे कि जो लोग इंचार्ज हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए कहा जाना चाहिए । लेकिन मुझे खतरा यह मालूम देता है कि जिस तरह से ट्रेन दुर्घटनाओं पर बहस हुई थी उसके बाद जिस तरह से दुर्घटनाएं बढ़ने लग गई थीं उसी तरह से उस बहस के बाद भी कहीं ऐसा न हो कि जहां आज दो या तीन घंटे के लिए बिजली जाती है, वहां वह चार घंटे के लिए जाने लग जाये । अक्सर बहसों का ऐसा ही नतीजा निकला करता है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

जो अकसर होते हैं वे समझते हैं कि जब पार्लियामेंट में बहस होगी तो जो ब्रीफ उन्होंने मिनिस्टर्ज को दिया है, उसको वे पढ़ देंगे और बाद में जब मिनिस्टर साहब बाहर आएंगे तो उनको बधाई दे देंगे और कह देंगें कि आपने हमारी जान बचा ली हैं। लेकिन उसके बाद जो होता हैं वह हम ही जानते हैं। दे ट्रीट अस विद कैंजीएंस। उसके बाद वे समझते हैं कि पावर क्रासिस और डिवेलेप हो।

मैं रूलिंग पार्टी के मित्रों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो एक क्राइसिस हो रहा है, वह कम से कम देश भर में तो आप पैदा न होने दें और अगर ऐसा होता है तो यह बड़ी खराब बात होगी। क्रासिस रिडन देश चल नहीं सकता है। आप रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं। जो हालत बिजली की आज है अगर वह तब हुई तो बहुत बुरा होगा। मैं चाहता हूं कि आज की डिसकशन को सिर्फ बहस न समझा जाए, बल्कि नो-कान्फिडेंस या सैंसर समझा जाए। आज की परिस्थिति में आपको चाहिए कि उन लोगों को आप ससपेंड करें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा न हो कि बाद में आपको अचानक मालूम हो जाए कि एक और चूहा घुस गया था इसलिए ट्रांसफार्मर जल गया और ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। मैं चाहता हूं कि हाई पावर्ड कमीशन नहीं बल्कि ज्यूडीशल इन्क्वायरी हो ताकि लोग जाकर वहां गवाही दे सकें।

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम): जनाब स्पीकर साहब, इससे पहले कि जो बहस यहां हूई है उसके बारे में कुछ अर्ज़ करूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हर साल जमना में पानी खुश्क होता रहता है। वक्तन फवक्तन ऐसा होता रहता है। इसके नतीजे के तौर पर ऐसा भी वक्त आता है जब वह ज्यादा खुश्क हो जाता है और पावर हाउस को चलाने के लिए जितने पानी की जरूरत होती है उतना पानी नहीं मिलता और उतनी जनरेशन हो नहीं सकती। आज अगर इस तरह की चीज़ पैदा हो तो उसके लिए यह इंतज़ाम हो गया है कि उत्तर प्रदेश के इंजीनियर जो ओखला में रहते हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम उस जगह को साफ करके और पानी को रवां कर देंगे और दिक्कत वाका नहीं होगी और ऐसा नहीं होगा कि इस किस्म की तकलीफ हो।

जहां तक इस मुबाहिसे का ताल्लुक है, मैं उन सब मैम्बर्ज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हुं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। मैं समझता हुं कि इससे मुझ को और मेरे उन साथियों को जो इस काम को करते हैं, बड़ा सबक हासिल करने का मौका मिला है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस बात की कोशिश करेंगे कि आप ने जो सबक दिया है, उसको याद रखें और जो बातें आपने कही हैं उन पर अमल करें। मैं समझता हुं कि बहस में कुछ बातें ऐसी कही गई हैं जो गलतफहमी पर मबनी थीं। मैं मानता हुं कि कुछ बातें ऐसी भी कही गई हैं जो सही थीं। मगर उनके साथ साथ कुछ ऐसी भी कह दी गई हैं जो गलतफहमी पर मबनी थीं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : जैसे ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : अभी उन पर आता हुं, सब्र रखिय।

जितनी भी तकरीरें मैंने सुनी हैं, उनमें से एक बात निकलती है। मैम्बर साहिबान की तरफ से कहा गया है कि यह दिल्ली वालों की करतूत है हालांकि उनकी यह बिल्कुल भी करतूत

नहीं है, कतईन भी नहीं है। मैं एक दूकान से चीज़ खरीदता हूं और दूकानदार मुझ को देता है और मेरे घर पहुंचते ही या रास्ते में अगर वह चीज़ खराब हो जाती है तो यह किस की जिम्मेदारी होगी ? इस बात का फैसला करना मुश्किल नहीं होना चाहिये। यही पोज़ीशन हमारी है। मैं कहना चाहता हूं कि जितनी बिजली यहां इस्तेमाल होती है उस में से आधी बिजली तो भाखड़ा नंगल से आती है। वह पंजाब गवर्नमेंट का है . . . .

मैं अर्ज़ कर रहा था कि वह बिजली भाखड़ा में बनती है और वहां से ट्रांसमिशन लाइंज़ से यहां तक आती है। ट्रांसमिशन लाइंज़ भाखड़ा की हैं। जितने उनमें कल पुर्ज़े लगे हुए हैं वे सब पंजाब के हैं। पंजाब उनका मालिक है, उसी ने उनको लगाया है, उसी ने उनको खरीदा है और जो इंजीनियर हैं, वे भी उन्हीं के हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : आपने जो रुपया दिया है उसका क्या हुआ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : इसके साथ ही साथ जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, वह भी उन्हीं का है। यहां पर दिल्ली में जो लोग काम करते हैं, उनका उससे कोई तालुल्क नहीं है। इन हालात में मैं कैसे कह सकता हुं कि दिल्ली में जो काम करने वाले हैं, उन्होंने किसी किस्म की खराबी की है ? किस तरह से मैं उन पर किसी किस्म का इलज़ाम लगाप्सकता हुं और कैसे कह सकता कि व इलज़ाम के काबिल हैं। मैं समझता हुं कि उन के ऊपर उसका इलज़ाम नहीं है। उन्हें तो यही देखना है कि जाब के उस ट्रांसफार्मर को क्या हुआ।

अभी आपने सुना कि ट्रांसफार्मर सात साल हूए खरीदा गया था और ट्रांसफार्मर की उम्र ३५ बरस या ३८ वरस की होती है। वाका ऐसा हुआ है कि वह सात बरस के अन्दर ही खराब हो गया। क्यों खराब हुआ, इसको आज कोई शख्स नहीं बता सकता है। यह टैक्नीकल चीज़ है और टैक्नीकल आदमी ही इसकी वजह बता सकता है। टैक्नीकल आदमी को बुला लीजिये और वह जब तक पूरी तहकीकात नहीं कर लेगा, पक्के तौर पर उस वक्त तक कतईन नहीं कह सकेग कि क्या बात हुई और इसका क्या काज़ रहा। अब उसके लिए कमेटी बिठाई गई है।

अब जहां तक कमेटी बिठाने का ताल्लुक है वह काम भी उन्हीं का था, पंजाब गवर्नमेंट का था। उन्होंने वह कमेटी बिठा दी है और यह काम उसके सुपुर्द कर दिया है कि वह बताये कि इसका क्या सबब था, कैसे वह खराबी हुई। अब इस खराबी के बारे में कमेटी रिपोर्ट देगी और मालूम हो जायेगा कि क्या वजह हुई और कौन जिम्मेवार है।

जहां तक बिजली की शैडिंग का ताल्लक है, यह ठीक है कि लोगों को तकलीफ हो रही है और यह भी ठीक है कि तीन तीन घंटे बिजली बन्द रहती है, चार चार घंटे बन्द रहती है। इसकी निसवत मैं अर्ज़ करना चाहता हुं कि यह जो कटौती हूई है यह बीस तारीख से बिल्कुल खत्म हो जायेगी, ऐसी तवक्कय की जाती है। ट्रांसफार्मर भी लग जाएगा। और मौजूदा तकलीफ भी दूर कर दी जायगी। अब सवाल पैदा होता है कि हमारी ख्वाहिश के खिलाफ ऐसा क्यों हो ? दुनिया में हमारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई भी बात नहीं, यह मुम्किन नहीं है। हां यह बात दुरुस्त है कि हम जान बूझ कर करें तो हम उसके गुनहगार हैं। लेकिन छ बातें होती हैं, कुछ तकलीफें इंसान पर आती हैं, जिन को उसको भुगतना पड़ता है। उस तकलीफ की वजह से मैं किसी पर गलत इलज़ाम लगा दूं, यह कैसे हो सकता है और न ही यह बात मेरी

[हाफिज मुहम्मद इब्राहिम]

समझ में आती है । किसी पर भी खवाह मखवाह इलजाम नहीं लगाया जा सकता है । अगर इसका इलजाम आ सकता है तो पंजाब पर ही आ सकता है . . . . .

एक माननीय सदस्य : पंजाब हिन्दुस्तान में है या बाहर ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : पंजाब हिन्दुस्तान में है, इसको मैं मानता हूं । चूंकि यू० पी० भी हिन्दुस्तान में है, मद्रास भी है, पंजाब भी है, सभी सूबे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक सूबे का आदमी अगर गुनाह करता है, तो मैं कह दूं कि उसके कान पकड़ लो ? जहां का आदमी जो कुसूर करे वह उस की सजा पायगा । क्या इस के यह माने हैं कि हिन्दुस्तान जो है उस के अन्दर से आदमियत बिल्कुल निकल गई है ? आदमी रहते हैं जगह जगह पर, और वे काम करते हैं । उन से गलती भी होती है, सही बात भी होती है । इस से वह नतीजे निकालने जोकि यहां निकाले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है । यह तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं है जिस के लिये यह समझा जाय कि और कुछ होना चाहिये । इस के लिय यही हो सकता था, और जो कुछ इस के लिये होना चाहिय था वह हो गया है । कमेटी बनाई गई है, वह मालूम करेगी ।

इस के बाद मैं अर्ज़ कर दूं . . . . .

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि कोई जांच नहीं होगी यह तो ऐसे बहाना होगा । अपने भाषण में माननीय मंत्री ने कहा "इल्ज़ाम किस पर है और किस पर नहीं है" बहुत से माननीय सदस्यों ने न्यायिक जांच की मांग की है । क्या माननीय मंत्री को जांच के बारे में ऐसा सन्देह व्यक्त करना चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : जुडिशल एन्क्वायरी और इन्क्वायरी बाई एग्जीक्यूटिव यह दो चीजें तो हैं, लेकिन इस बात में तमीज करनी होती है कि किस मौके पर और किस लिहाज से जुडिशल एन्क्वायरी होनी चाहिये और किस मौके पर एग्जिक्यूटिव के जरियें से एन्क्वायरी होनी चाहिये । कोई जुडिशल प्राब्लेम इस के अन्दर नहीं है । कोई चीज फलां से टूट गई, इस के लिये सुप्रीम कोर्ट का जज बुलाया जाये, वह आ कर तहकीकात करे कि यह कैसे टूट गई, यह कैसे हो सकता है ? हूजूर वाला, हिन्दी का एक मसला है :

"जिस का काम उसी को साजे"

दूसरा हिस्सा क्या है ? मुझे वह याद नहीं रहा । बहरहाल जो चीज जिस के काबिल होती है उसी से कराई जानी चाहिये । इस लिये यह काम कमेटी के सुपुर्द किया गया है । अब उन को बईमान हम समझें, उन पर एतबार न करें, अगर इस तरह से होता है, तो मैं समझता हुं कि हिन्दुस्तान में किसी मौके पर किसी के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता । सारी सर्विसेज को ही खराब समझ लिया गया है । साहब, बेएतबारी तो उस के मुताल्लिक हो सकती है जिस के मुताल्लिक बेएतबारी साबित हो गई हो । आप ने बईमानी देखी तो है नहीं, लेकिन सोचते हैं कि चूंकि आदमी है इस लिये बेईमानी करेगा ही । पहले से यह तय कर लिया गया है कि आदमी है, बईमानी जरूर करेगा । इस प्रिजम्शन के ऊपर कि चूंकि आदमी है इसलिये बईमानी करेगा, जरूर, उस में बेईमानी करने का माद्दा है जरूर, यह गलत है । यह चीज़ नहीं चल सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री त्यागी : (देहरादून) : उसे तो बिजली ने जलाया है। वह बिजली की गर्मी से जला है, किसी आदमी ने नहीं जलाया।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : आप खुद अपनी बात फरमाते रहते हैं, मुझे आगे नहीं चलने देते। इस तरह से कैसे काम चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब को आगे चलने दिया जाय . . . .

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : लोड शडिंग के बारे में मैं ने अर्ज़ कर दिया कि वह गड़बड़ी २० तारीख तक खत्म हो जायगी। (**अन्तर्बाधा**)

इस से पहले जो ट्रांसफार्मर खराब हुआ उस की बाबत मैं अर्ज़ नहीं करना चाहता। लेकिन उस की निस्बत मैं ने यहां लोगों को फरमाते सुना कि फलां वक्त हुआ था और इतने अर्से के बाद उस का लाइसेंस दिया गया। बात तो यह सही है और वक्त होता तो मैं उस के बारे में बतलाता। उस की कुछ तफसील है मेरे पास। वह सब मैं आप को दिखा देता। उस से आप को मालूम हो जाता कि यहां की किसी मिनिस्ट्री का उस में कोई कुसूर नहीं है। जहां तक उस की एजेन्सी का वास्ता है, उस एजेन्सी की निस्बत भी उन तहरीरों में जो यहां हैं, कोई बात लिखी हुई नहीं है और न किसी से उस में देर हुई है। अगर कोई बात हुई तो उन्हीं से हुई। पंजाब वालों का ही ट्रांसफार्मर था और उसी लाइन में सब कुछ हुआ जो यहां भाखरा की बिजली को ला रहा है। जो भी खराबी थी वह वहीं पर हुई। यहां सेन्टर में किसी से कोई खराबी नहीं हुई।

श्री त्यागी : एक ऐतराज यह किया गया है कि इम्पर्ज़ लाइसेंस मंजूर करने में आप की गवर्नमेंट ने देर की है। इस का क्या जवाब है ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : हुजुर वाला, नहीं की है।

श्री त्यागी : यानी देर नहीं की गई है ? जिस दिन एप्लाई किया उसी दिन मिल गया ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : हाँ, महीने दो महीने हम ने नहीं लगाये। (**अन्तर्बाधाय**)

श्री शं० शा० मोरे (पूना) : पंजाब गवर्नमेंट ने ऐप्लीकेशन करने में देर लगा दी ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह बात भी है। इस में यह तक नहीं लिखा है कि . . . (**अन्तर्बाधायें**)

श्री गौरी शंकर : मुझे यह अर्ज करना है कि यह जो घरेलु बातें होती हैं उस से कुछ सुनाई नहीं देता।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैं खयाल कर रहा था कि मैं ला जाऊं यहाँ से।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : हर जगह जिम्मेदारी का जिक्र है यहाँ, ज़िम्मेदारी का रिस्पांसिबिलिटी का, और कुछ मेरे दोस्तों का खयाल यह है कि शायद सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है इरिगेशन

[हाफिज मुहम्मद इब्राहिम]

ऐंड पावर की,[1] वह इस के लिये जिम्मेदार है। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूं, हुजूर से, कि बदकिस्मती से . . . . .

अध्यक्ष महोदय : हाफिज साहब तो बुजुर्ग हैं, हाथ तो मैं जाड़ता हूं। वह क्यों जोड़ें ? यहां डिमाक्रेसी में न कोई हुजुर है और न किसी को हाथ जोड़ना चाहिये ।

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : यह "सर" का ट्रांस्लेशन है ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : यह तो हमारे हिन्दुस्तान की तहजीब की बहुत पुरानी चीज हैं जोकि बुजुर्गों से चली आई है और हमारे तमाम जिस्म में छाई हुई है । मैं ने उसी में परवरिश पाई है । यह कोई बदतमीजी नहीं है, किसी के खिलाफ कोई बात नहीं है, बल्कि अदब है, रिस्पैक्ट है जो एक आदमी अदा करता है बड़े आदमी को । यह साइन है, एक्स्प्रेशन है बाहर की दुनिया की तरफ, जिस में दुनियाँ समझती है कि उस ने अदब से बात की है । इस में ऐसी कोई बात नहीं है जिस के लिये समझा जाय कि वह गलत है, अगर मैं उन का ऐड्रेस करता हूं "हुजूर" कह कर । आज कल तो लोगों ने हुजूर केलफ्ज को छोड़ना शुरू कर दिया है । मैं इस से वाकिफ हूं । लेकिन मैं तो ६०-६५ बरस का आदमी हूं और मैं ने तालीम पाई थी इस बात की ।

†**श्री फ्रेन्क एन्थनी :** क्या कारण है कि केन्द्र ने ट्रांसमीटर की देखभाल नहीं की और अभी हालात खराब चल रहे हैं । मेरी इन दोनों बातों का उत्तर दिया जाये ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं समझता हूं कि जो साहिबान बिजली इस्तमाल करते हैं उन को इस किस्म के तजरबे हुए होंगे और वह इस बात को समझ लेंगे ।

जहाँ तक शेडिंग का सवाल है, जिस हिस्से में शेडिंग होता है उस में जितना लोड हाना चाहिये उस से लोग ज्यादा लोड ले लेते हैं । जो वहाँ के बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं वे ज्यादा बिजली ले लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब मेरी तरफ मुखातिब हों तो ज्यादा बेहतर होगा । उन्हों ने दो सवाल किये हैं । एक तो यह कि सेंटर इस वक्त आया और दखल देने लगा, तो पहले सेंटर ने दखल क्यों नहीं दिया । और दूसरा सवाल यह था कि जब शेडिंग का शिड्यूल बनाया जाता है तो उसके मुताबिक शेडिंग क्यों नहीं किया जाता । जो वक्त बतलाया जाता है उस से दूसरे वक्त में बिजली बन्द कर दी जाती है जिस से लोगों को तकलीफ होती है । ये सवाल एंथनी साहब ने किये हैं ।

हाफिज महम्मद इब्राहीम : मैं समझता हूं कि मैं लेजिस्लेचर में बोल रहा हूं और वह भी हिन्दुस्तान के लेजिस्लेचर में बोल रहा हूं जहाँ इस बात को गालिबन साफ कहने को जरूरत नहीं है । यहाँ सब ने कॉंस्टीट्युशन को देखा है और उस को अच्छे तरीके से जानते हैं । इलेक्ट्रिसिटी स्टेट का सबजेक्ट है और प्रेक्टिकली तमाम स्टेट्स इस मामले में आजाद हैं । जहाँ तक सेंटर का ताल्लुक है उस से किसी स्टेट के ऊपर किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा होती ।

श्री प्रिय गुप्त : संविधान की व्यवस्था के अनुसार ऐसे मामलों में केन्द्र हस्तक्षेप कर सकत. है ।

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम : मैं अर्ज करूं कि जो वह फरमाते हैं वह कहीं नहीं लिखा है । लेकिन लिखा न होने के बावजुद हम इटरवीन करते हैं, वह एक अलग बात है । मैं तो इस वक्त यह अर्ज

---

†मूल अंग्रेजी में

कर रहा हूं कि जहाँ तक कॉस्टीट्युशनल और लीगल जिम्मेदारी का सवाल है वह मेरी नहीं है। मझ को कोई अख्तियार नहीं है। मैं उस के अन्दर दखल नहीं दे सकता। मैं उन के साथ मूहब्बत से, दास्ती से इखलाक से बरताव करता हूं, तो वह मेरी बात सुनते हैं और मैं उन की बात सुनता हूं। यह अलग बात है। लेकिन जहाँ तक कानूनी जिम्मेदारी का सवाल है, मैं इस में दखल नहीं दे सकता।

दिल्ली के बारे में बिजली का जो कानून है वह मेरे पास है। उस को मेरे दोस्त देख लें। यह काम कारपोरेशन के जिम्मे है। उस ने इस के लिये एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी के लिये साफ साफ लिखा है इस कानून में कि उस को क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। मैं इन मामलों में जो जवाब देता हूं उस की एक वजह है। जब पन्त जी के पास होम मिनिस्ट्री थी तो उन की यह राय थी कि दिल्ली की बिजली के बारे में जो सवालात हों उन का जवाब मेरी मिनिस्ट्री दे दिया करे। इस बिना पर हमारी तरफ से जवाब दिये जाते हैं वरना मुझे मिनिस्टर की हैसियत से यहाँ की बिजली से कोई वास्ता नहीं है। मैं उस में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस के मानी यह नहीं हैं कि मूझ से जो कुछ हो सकता है वह मैं न करूं। मैं तो वह कर ही रहा हूं इस मामले में भी और आगे भी जो मामले आयेंगे उन में भी करता रहूंगा। लेकिन वह दूसरी बात है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जिन आदमियों की यह कॉस्टीट्यूशनल जिम्मेदारी है उस को वे पूरा नहीं कर रहे हैं। यह बात गलत है और इसीलिये मुझ को यह बताना पड़ा कि यह मामला पंजाब का है और दिल्ली को इस से कोई वास्ता नहीं। हाँ इस से लोगों को जो तकलीफ हुई उस से हर रन्सान को तकलीफ होगी। लेकिन ऐसा किसी ऐसे आदमी के कुसूर से नहीं हुआ जिस की जिम्मेदारी थी और उसको उसने पूरा नहीं किया। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, उस को दुहराने की जरूरत नहीं है।

†**श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : (क्विलोन) जो बिल्कुल हिन्दी नहीं समझते उन्हें मंत्री महोदय के भाषण का संक्षेप दिया जा सकता है अथवा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अंग्रेज़ी में मंत्री महोदय के उत्तर का सार उन्हें दे दिया जायगा।

श्रीमती जयाबेन शाह (अमरेली) : मिनिस्टर साहब जरा जोर से बोलें ताकि जो हिन्दी समझ सकते हैं वह तो समझ लें। मैं जहाँ बैठी थी वहाँ से कुछ सुन नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ आने पर भी समझने में तकलीफ होती है। वह जरा जोर से बोलें।

अध्यक्ष महोदय : मैं हाफिज साहब से दरखास्त करूंगा कि वह अपना बयान बजाये बायें से दायें करें। या मैं मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी एफेयर्स से दरखास्त करूंगा कि वह दायें को चले जायें।

†**हाफिज मुहम्मद इब्राहीम** : मैं कह रहा था कि जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है केन्द्र पर बिजली की कोई जिम्मेदारी नहीं। यह बात संसद् सदस्य भी जानते हैं और विधान मंडलों के सदस्य भी। कानुनन बिजली निगम के सुपुर्द है और उस की एक समिति इस सम्बन्ध में सारा काम चलाती है।

मंत्री की हैसियत से मेरा उस से कोई सम्बन्ध नहीं। इतना ही था कि इस सम्बन्ध में प्रश्नों का उत्तर सिंचाई तथा विद्यूत् मंत्रालय दे देगा। दिल्ली के बारे में यही स्थिति है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय का भाषण समाप्त हुआ अब सभा स्थगित होती है।

इस के पश्चात लोक सभा शुक्रवार १० अगस्त, १९६२/श्रावण १९, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गुरुवार, ९ अगस्त, १०६२
१९ श्रावण, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४११—३९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१४४	बाल फिल्म संस्था	४११–१२
१४५	काहिरा में आर्थिक सम्मेलन	४१३—१५
१४६	केन्द्रीय औषधि पुनर्नियंत्रण संस्था	४१६
१४७	गोआ में पुर्तगाली कानूनों का निरसन	४१६–१७
१४८	प्रतिरक्षा सेवाओं में गोआनी युवकों की भर्ती	४१७–१८
१४९	भारत में अल्पसंख्यक जातियाँ	४१८–१९
१५०	विद्युत् चालित करघों का बन्द होना	४१९–२०
१५१	निर्यात योग्य वस्तुओं की किस्म पर नियंत्रण	४२१–२२
१५२	अमेरीका के साथ वस्तु विनिमय करार	४२२–२३
१५३	निर्यात योग्य वस्तुओं की लागत के पहलू	४२३–२४
१५५	चीन में भारतीय राजदूत	४२४—२६
१५६	औषधि संयंत्रों की स्थापना	४२६—२८
१५७	पूर्व पाकिस्तान के नोआखाली जिले में हिन्दू अल्पसंख्यक	४२८–२९
१५८	अमेरीका को 'ब्लीडिंग मद्रास' कपड़े का निर्यात	४३०
१५९	कृषि अध्ययन के लिये डेन्मार्क को भेजे गये तिब्बती विद्यार्थी	४३०–३१
१६०	ग्राम्य क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योग	४३२–३३
१६१	लैंसडाउन जूट मिल, कलकत्ता	४३३–३४
१६२	निर्बाध व्यापार क्षेत्र	४३५–३६
१६३	पूर्वी उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण	४३७–३८
१६४	प्रशासनिक सुधार	४३८–३९

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	४३६--७८

तारांकित
प्रश्न संख्या

१५४	पुर्तगाल में नजरबन्द भारतीय	४३६
१६५	भारत में चीनी राजदूत	४३६-४०
१६६	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की १९६० की हड़ताल के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	४४०
१६७	मारमागाओं में कर्मचारियों की हड़ताल	४४०
१६८	समुद्र पार क्रय संगचठन	४४१
१६९	दिल्ली में अनधिकारवासियों के परिवार	४४१
१७०	कोयला खानों में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति	४४१-४२
१७१	अफ्रीकन मिलिटरी हाई कमाण्ड	४४२

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३४६	वाराणसी में पकाई हुई मिट्टी के बर्तन आदि बनाने के लिये अग्रिम केन्द्र	४४२-४३
३४७	हस्तकला उद्योग	४४३
३४८	पंजाब के लिये आवास याजनायें	४४३-४४
३४९	सीरा का निर्यात	४४४
३५०	तिब्बती शरणार्थी	४४५
३५१	पटसन के माल का निर्यात	४४५-४६
३५२	सौराष्ट्र और कच्छ में आणविक खनिजों का सर्वेक्षण	४४६
३५३	काफी के बीजों की बिक्री	४४६
३५४	चाय बागान उद्योग	४४७
३५५	अखिल भारतीय खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड	४४७
३५६	राजस्थान में गन्दी बस्तियों का हटाया जाना	४४८
३५७	त्रिपुरा में अम्बर चर्खा	४४८-४९
३५८	अफगानिस्तान को हरी चाय का निर्यात	४४९
३५९	आविष्कार संवर्धन योजना	४४९
३६०	मजूरी बोर्ड	४४९-५०
३६१	दक्षिण दिल्ली में बाजार	४५०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३६२	केरल में बेरोजगारी का सर्वेक्षण	४५०
३६३	पालमपुर में चाय बागान	४५०–५१
३६४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में विकेन्द्रीकरण	४५१
३६५	गोआ के लिये चीनी	४५१
३६६	श्रीमती कनेडी की भारत यात्रा संबंधी प्रलेखीय चलचित्र	४५२
३६७	कागज उद्योग के लिये लकड़ी की लुगदी	४५२
३६८	पुनर्वास उद्योग निगम से ऋण	४५२–५३
३६९	काँगड़ा (पंजाब) में अखबारी कागज का कारखाना	४५३
३७०	लघु उद्योग बार्ड	४५३–५४
३७१	इंजीनिअरी माल का निर्यात	४५४–५५
३७२	गोआ में शिक्षा	४५५
३७३	व्यापार बोर्ड	४५५–५६
३७४	अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन	४५६
३७५	युद्धविराम रेखा का उल्लंघन	४५६–५७
३७६	ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात	४५७
३७७	सामान के निर्यात के लिये प्रचार सामग्री	४५७–५८
३७८	दिल्ली के रोजगार दफ्तरों में दर्ज कर्मचारी	४५८
३७९	लघु उद्योगों के लिये कच्चा माल	४५८–५९
३८०	रबड़ बोर्ड की श्रम कल्याण योजना	४५९
३८१	गोआ में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य	४५९
३८२	ग्वालियर रेयन मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	४६०
३८३	अलवाय में गन्धक का तेजाब बनाने का कारखाना	४६०
३८४	अभ्रक उद्योग में उपदान याजना	४६०–६१
३८५	मद्रास में सहायक काफी विपणन पदाधिकारी का कार्यालय	४६१
३८७	ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर	४६१–६२
३८८	औद्योगिक क्षेत्र	४६२
३८९	नारियल जटा उद्योग	४६२
३९०	पटसन का निर्यात	४६३

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

३९१	त्रिपुरा में लघु उद्योग निगम	४६३
३९२	अणुशक्ति केन्द्र	४६४
३९३	जर्मनी को पटसन का निर्यात	४६४
३९४	उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों का सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण	४६४–६५
३९५	तिब्बत में निरुद्ध भारतीय राष्ट्रजन	४६५
३९६	ग्राम समाज के निर्बल अंगों सम्बन्धी अध्ययन दल	४६५
३९७	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी में घातक दुर्घटना	४६५
३९८	बाल फिल्म संस्था	४६६
३९९	गोहाटी में आकाशवाणी केन्द्र	४६६
४००	अम्बर चरखे	४६६–६७
४०१	मनीपुर में हथकरघे	४६७
४०२	नारियल जटा का रेशा	४६८
४०३	ऊन के तकुए	४६८
४०४	राजस्थान में ताँबा और पीतल से बनी वस्तुयें	४६८-६९
४०५	संयूक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित आर्थिक आयोजन सम्मेलन	४६९
४०६	पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली में क्वार्टरों का निर्माण	४६९–७०
४०७	क्वार्टरों के निर्माण के लिये सिंगरेनी कोयला खानों को ऋण	४७०
४०८	बहुप्रयोजनीय संस्थाओं के लिये क्वार्टर	४७०
४०९	पुराने बंगलों का निरीक्षण तथा मरम्मत	४७१
४१०	परबेलिया कोयला खान	४७१
४११	लन्दन में फिल्म समारोह	४७२
४१२	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये मकान	४७२
४१३	सरकारी विज्ञापन	४७३
४१४	ग्रामीण आवास	४७३
४१५	रेडियो स्टेशन	४७३–७४
४१६	हुबली कोआपरेटिव काटन मिल्स के मजदूरों की मजूरी	४७४
४१७	अलीगंज, नई दिल्ली में क्वार्टर	४७४
४१८	पटसन से अखबारी कागज	४७४–७५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४१९ अस्पृश्यता निवारण संबंधी फिल्म . . . ४७१

४२० पंजाब को वित्तीय सहायता . . . ४६५

४२१ पंजाब में राज्य कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत अस्पताल . ४७५—७६

४२२ प्रबन्धक सक्षमता प्रमाण पत्र परीक्षा . . . ४७६—७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र-- . . . ४७८–७९

(१) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक २९ जून, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८८८ में प्रकाशित रूई नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १५ के अन्तर्गत निकाला गया दिनांक १६ जुलाई, १९६१ का एस० ओ० संख्या २२०३ ।

(तीन) वर्ष १९५९–६० के लिये चाय बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन

(२) नमक उपकर एक्ट, १९५३ की धारा ६ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १००७ में प्रकाशित लाइसेन्स प्राप्त नमक उत्पादकों को ऋण देना (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(३) एक विवरण जिस में २३ जून से ३ अगस्त, १९६२ तक हुई १५ रेल दुर्घटनाओं और हताहतों का ब्यौरा दिया हुआ है तथा रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताई गई है ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य-- ४७९–८०

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) ने यह घोषणा की कि शुक्रवार, १० अगस्त, १९६२ को सहकारिता प्रशिक्षण संबंधी अध्ययन दल पर चर्चा होने की सम्भावना है ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . ४८०—८७

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि विशिष्ट सहायता विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विषय पृष्ठ

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--स्वीकृत . . ४८७-९२

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) ने प्रस्ताव किया कि महाप्रशासक विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा . . . ४९२-५१५

श्री बिशनचन्द्र सेठ ने दिल्ली में बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर चर्चा उठायी। सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफिज मुहम्मद इब्राहीम) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया तथा चर्चा समाप्त हुई ।

शुक्रवार १० अगस्त, १९६२ / १९ श्रावण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

सहकारिता प्रशिक्षण सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर प्रस्ताव के बारे में चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1502 (Ai) LSD—14-12-62—140.